(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 21वां दिवस [संख्या 15

गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद, उद्योग, अकाल राहत, शिक्षा, नगर नियोजन, वित्त, जन-स्वास्थ्य, गृह, स्वायत्त शासन एवं नगर आयोजन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री मोहनराज !

गेहूं व मोटा अनाज का सरकारी दुकानों से वितरण

351. **श्री मोहनराज** (वाली) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं व मोटा अनाज प्रति व्यक्ति भिन्न-भिन्न मात्रा में सरकारी दुकानों पर दिया जा रहा है। यदि हां तो, कहां कितनी-कितनी मात्रा में अनाज दिया जा रहा है ? क्या इस वितरण में विभिन्न जिलों व शहरों में भी भेदभाव बरता गया है ?

(2) राजस्थान को पिछले छः माह में प्रति माह कितना-कितना गेहूं व अन्य अनाज भारत सरकार से मिला और राजस्थान सरकार ने प्रति जिला कितना-कितना अनाज वितरित किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) (अ) जी हां।

(आ) विभिन्न जिलों में विभिन्न मात्रा में खाद्यान्न दिया गया है।

(इ) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति भिन्न-भिन्न मात्रा में सरकारी दुकानों पर अनाज वितरित किया जा रहा है। क्या यह सही है ? जिलों में भी शहरी और गांव के क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति अलग-अलग मात्रा में दिया जा रहा है। तहसील-तहसील में यह मात्रा अलग-अलग है। क्या यह भी सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने प्रश्न इतना विस्तृत किया है कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता इस थोड़े समय में पूरी जानकारी करके। इसके लिये काफी समय चाहिये। पर आपके कहने का आशय यह हो कि एक ही गांव में या एक ही शहर में एक दुहीकान पर किसी को दो किलो दे रहे हैं तो किसी को सवा किलो या एक किलो तो यह सम्भव प्रतीत नहीं होता अब तीन हजार दुकानें हैं और काफी कार्ड होल्डर हैं अब उनमें से एक-एक को कितना-कितना राशन कहां-कहां मिला यह सूचना इकट्ठी करू तो मुझे काफी समय लग सकता है।

यह बात जरूर है कि भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न कोटा अलाट किया गया है। यह भी जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी भिन्नता रही है और यह भी सही है कि एक तहसील और दूसरी तहसील में भिन्नता रही है। यह भी सही है कि किसी एक ही तहसील के एक एरिया में ज्यादा दिया है तो दूसरे में कम दिया है। इसलिये यह हमने कलक्टर के विवेक पर छोड़ दिया है कि वह वहां की स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए अकाल के वे अफेक्टेड एरिया हैं जहां अनाज बिल्कुल नहीं हुआ है और कहीं 50 परसेन्ट से ऊपर सूखे में है, एक में सूखा पचास परसेन्ट है और दूसरे में 95 परसेन्ट तो इसमें भी फरक है इसलिये स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कहां कितना वितरण किया जाना आवश्यक है इसके लिए निर्णय करने के लिये कलक्टर को सक्षम बनाया है।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, यह जो भिन्न भिन्न मात्रा में भिन्न भिन्न तहसीलों में या अलग जिलों में प्रति व्यक्ति अनाज दिया है उससे उनमें असन्तोष फैला हुआ है और निवेदन करूंगा कि जयपुर में, जोधपुर में अजमेर में प्रति व्यक्ति जितना गेहूं मिलता है उतना ही पाली, बाली, सोजत, सादड़ी में भी मिलना चाहिये। वहां भी अनाज की बड़ी गम्भीर स्थिति है। पाली जिले में, मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि फरवरी में कोटा अलाट हुआ है बाली तहसील को चार हजार मन मक्का दिया है। एक को 800 बोरी गेहूं दिया है। दूसरे को 1420 बोरी मक्का। खारची को 1622 बोरी गेहूं। सेंदड़ा में 100 बोरी, जैतारण में 200 बोरी, रायपुर में दो हजार मन और बाली तहसील के ग्रामीण क्षेत्र को एक क्विन्टल भी गेहूं नहीं दिया गया। इस तरह का भेदभाव तहसील से तहसील में बरता गया है। इससे असन्तोष है। आप इसके मुतल्लिक मालूम करके जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो जानकारी करूंगा। पर निवेदन साथ में यह कर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी हम अभी खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं उसमें शहर और ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखकर चल रहे हैं।

जयपुर के बारे में बात कही, जयपुर और जोधपुर दो सबसे बड़े टाउन हैं राजस्थान में उनमें सभी तरह के सेक्शन हैं जो प्रोड्यूसर नहीं हैं और वे साल भर तक बाजार से प्राप्त होने वाले अनाज पर निर्भर रहते हैं उनको ध्यान में रखकर शहरों में वितरण करते हैं।

दूसरी बात आपने पाली, बाली की कही तो जिलाधीश ने अरबन आबादी को

(श्री परसराम मदेरणा)

ध्यान में रखकर गेहूं की मात्रा जरूर रखी होगी। अब रहा सवाल बाली तहसील का तो बाली तहसील राजस्थान में सबसे पहली होगी जिसको अगस्त में 200 टन मक्का दी गई थी। आपके कहने से वहां आदिवासी लोग हैं, इसलिये उसका ध्यान रखते हुए यह दी गई थी। फिर अक्टूबर में मैं स्वयं वहां आया था आपको स्वयं को मालूम है कि लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किया कि हमें मक्का नहीं दिया जावे गेहूं दिया जावे। अगर अनाज की कमी होती हो तो उस इलाके में जिसमें भील लोग अधिक हैं उसमें यह वितरण होती हैं मैंने स्वयं ने जिलाधीश को यह बात कही थी कि फरदर भी निर्देश दे रहा हूं कि आदिवासी जहां हैं वहां अनाज का वितरण दूसरों के मुकाबले ज्यादा किया जावे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भावों में तेजी के कारण और महंगाई के कारण जिले के हर हिस्से से, हर तहसील से, हर गांव से यह मांग आ रही है कि उनको सस्ता अनाज दिलाया जाय।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह बात मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि भरतपुर के सब-जिला धौलपुर में किसी महीने में तीन किलो और किसी महीने में एक किलो अनाज मिलता है?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : एक प्रश्न मेरा भी है। यहां पर तो टनों की बात आप कह रहे हैं। टनों में अनाज और जिलों में और जगहों से दिया जा रहा है, पर जयपुर जिला ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसके अन्दर आमेर एक बड़ी तहसील है, दो पंचायत समितियां हैं इसमें आमेर और गोविन्दगढ़ पंचायत और म्युनिसिपल बोर्ड हैं वहां आमेर को केवल 300 क्विन्टल अनाज दिया गया है अभी तक। क्या इतने बड़े जिले की इन तहसीलों के लिये यह मात्रा पर्याप्त है?

श्री मोठालाल (लालसोट) : एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं। क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि शहरों को गेहूं दिया जावे और देहातों को गेहूं नहीं दिया जावे। यह कहां तक उचित है?

दूसरी बात जयपुर जिले की माननीय सदस्या ने जो बात कही वह बिलकुल उचित है। लालसोट में अभी तक एक ट्रक मक्का आपने भेजी है वह भी तहसील में पड़ी-पड़ी सड़ रही है, उसका भी वितरण नहीं हो रहा है। अब तो वह खाने लायक भी नहीं रह गई है। तो गेहूं और मक्का पर्याप्त मात्रा में इस जिले को भी देने की तरफ ध्यान दें।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की दृष्टि से जो भेदभाव आप कर रहे हैं क्वालिटी में ही नहीं करते, क्वान्टिटी में भी करते हैं यह कह कर कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को अनाज खरीदना पड़ता है और देहातों में खुद का अनाज होता है, पर अकाल की परिस्थिति में जब अनाज खेतों में पैदा ही नहीं हुआ तो उनके घरों में भी आज खाने को नहीं है। ऐसी स्थिति में शहरों और देहाती क्षेत्रों में भेदभाव करना कहां तक उचित है?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : एक प्रश्न मेरा भी। मैंने प्रश्न पूछा था कि

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

उदयपुर जिले में जो अनाज मिल रहा है वह इतना पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण कलक्टर ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को अनाज देने का आदेश दिया है। इ कारण दूसरे लोगों को जो गांवों में रहते हैं उनको भी अनाज नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप गांवों में इस प्रश्न पर बड़ी बेचैनी है और इसका उत्तर दिया था कि सरकार की ओर से ती यह नहीं कहा गया या आदेश दिया गया था कलक्टर को पर मुमकिन है कलक्टर की ओर से ऐसा आदेश दिया गया हो। आपने जानकारी करके उत्तर देने के लिये कहा था। इसका भी कृपया अब स्पष्टीकरण कर दें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : जब अनाज की सर्वत्र कमी है किसी स्थान पर सूखा पड़ा है और किसी स्थान में अकाल। तो सूखे और अकाल वाले हिस्से को ही अनाज दिया जावे बाकी को नहीं। पर डिमाण्ड और सप्लाई के आधार पर जहां कमी है तो क्या वहां भी यह मानकर चलते हैं कि वहां पर्याप्त मात्रा में अनाज है इसलिये जहां अकाल और सूखाग्रस्त क्षेत्र नहीं है वहां अनाज नहीं दिया जावे ? क्या सरकार की यह नीति उचित और वाजिब है ?

श्री बिट्ठल भाई (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में कम अनाज आने से क्या हुआ कि वहां आधे लोगों को मिला और आधों को मिला ही नहीं। क्या आप कलक्टर के मार्फत यह जांच करावेंगे कि कितने लोगों को बिलकुल नहीं मिला और आगे हर व्यक्ति को मिले इस हिसाब से ही कोटा भेजने की सरकार कोशिश करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्षजी, जहां तक राज्य सरकार की नीति का प्रश्न है, मैं पूर्व में इस सदन में स्पष्ट कर चुका हूं कि राज्य सरकार भारत सरकार से कोटा बढ़ाने की बराबर मांग करती आ रही है। राज्य सरकार को जितना अनाज मिलता है, उसका वितरण ठीक तरह आगे हो। क्वान्टिटी कम मिल रही है यह समस्या राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की है। डिमान्ड और सप्लाई की पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं इसलिये औचित्य में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतभेद रखा जाय। बढ़े हुये भावों को देखते हुये हम पूर्ति नहीं कर सकते है।

मैं निवेदन कर रहा था जहां तक एक-एक तहसील में 300 क्विन्टल, 200 क्विन्टल अनाज मिल रहा है। यह अलग से प्रश्न है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं शहर और गांवों के बीच भेद रहे यह कोई औचित्य नहीं है। वहां की मांग को देखते हुये आवंटन करें। जहां तक मुझे जानकारी मिली है उदयपुर कलक्टर ने इस महीने में मिलने वाले अनाज का पूरे कोटे का वितरण नहीं किया और वहां अभी स्टाक पड़ा हुआ है। वह यह सोच रहे हैं कि दूसरा आवंटन मिलेगा तब करेंगे। मैंने उनसे कहा यह तो मिलता रहेगा लेकिन वितरण बन्द नहीं होना चाहिये। आज ही मैं कलक्टर उदयपुर को आदेश देकर आया हूं। गांवों में बेचैनी है। लोग अनाज मांगेंगे इसलिये कलक्टर को सक्षम बनाया है। मैंने उनसे यह भी कहा है आप परिस्थितियों को देखते हुये हेर-फेर कर सकते हैं। रहा सवाल माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्यों को कान्फीडेन्स में लेकर जिलाधीश को आगे तहसीलों में वितरण करना चाहिये। हर तहसील के लोग सूखे से प्रभावित हैं। उदयपुर में पिछले साल भी सूखा था और इस साल भी सूखा है। मैं समझता हूँ कलक्टर को इतना डिस्क्रिशन होना चाहिये जहां पर दो साल से लगातार सूखा हो वहां और हालत खराब है। यह मौजूदा परिस्थितियों में जो कन्डीशन है हमारे पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूँ जो अनाज मिला है मार्च में 46 हजार टन, हमको जनवरी में मिला 52 हजार टन, फरवरी में 5 हजार टन इसमें माइलो नहीं मिल सका इसलिये टोटल जो अनाज दिया है इनक्ल्यूडिंग माइलो 62 हजार टन है। कभी भी राजस्थान में एक महीने में नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने बढ़े हुये खाद्यान्नों के भावों को और मांग को देखते हुये अनाज में बढ़ोतरी की है और जितनी मदद की आवश्यकता है हमको आवंटन किया जाना चाहिये, इस ओर भी पूरा ध्यान दे रही है और पूरी सिचुएशन के बारे में डेली—रोजाना इस बात से आश्वस्त कर रहे हैं। भारत सरकार के खाद्य मन्त्री आज यहां आये हुये हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जो कुछ स्थिति है राजस्थान में खाद्यान्न के सम्बन्ध में यह बराबर भारत सरकार को बताते रहे हैं। पूरी सिचुएशन रखते रहे हैं। केवल राजस्थान में ही नहीं भारत के अन्य राज्यों में भी सूखे की स्थिति देखते हुये आल इण्डिया लेवल पर आवंटन करती है। उसको हम फरदर कलक्टर को करते हैं और कलक्टर को यह आदेश है वहां की परिस्थितियों को देखते हुये अनाज का स्केल रखना चाहिये

श्री मीठालाल: जयपुर जिले के लिये नगरपालिका के क्षेत्र के लिये ही आदेश निकाले हैं कि केवल नगरपालिका क्षेत्र को ही वितरण किया जाय, देहाती क्षेत्र को नहीं। माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूँ अब तक कितना देहाती क्षेत्रों में अनाज बांटा है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मीठालाल : यह आपकी नीति तो नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

प्रश्न संख्या 352

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चेतराम !

अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये।

श्री मीठालाल !

राष्ट्रीय पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

353. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राष्ट्रीयकृत पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकें विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के साथ साथ उपलब्ध नहीं हो पातीं ? यदि हां तो क्यों ? तथा क्या सरकार अब तक के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : 1 यह पूर्ण रूप से सही नहीं है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के साथ साथ उपलब्ध नहीं हो पाती। राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की संख्या 51 है जिन में से 40 शिक्षा सत्र 72-73 के प्रारम्भ से ही विद्यार्थियों को उपलब्ध थीं। 11 पुस्तकें विलम्ब से उपलब्ध हुईं जिनमें से भी 3 पुस्तकें थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य प्राप्त थीं। पाठ्य पुस्तकों की विलम्ब से उपलब्धि के विविध कारण हैं अतः किसी अधिकारी विशेष को जिम्मेदार ठहराया जाना सम्भव नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): कितना प्रतिशत सही है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, जो 40 पुस्तकें विलम्ब से छपी हैं जो विविध कारण बताये, किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले सकती है। इनमें मुख्य-मुख्य क्या कारण हैं और जो देरी से छपीं, इनके प्रकाशक कौन-कौन हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जो कारण बताये हैं उनमें यह है कि राजस्थान के मुद्रकों की प्रार्थना पर, उनको पुस्तकों की छपाई का कार्य देने हेतु मण्डल ने दुबारा पुस्तक मुद्रण दरों के लिये निविदा मांगी, इस कारण दो माह का विलम्ब मुद्रण कार्य देने में हुआ।

2. भारतीय उप महाद्वीप में बंगला देश का अभ्युदय होने के कारण भारतवर्ष के मानचित्रों में परिवर्तन आवश्यकहो गया। इन नये नक्शों को छपाने हेतु सर्वे आफ इंडिया की स्वीकृति देरी से प्राप्त हुई।

3. लेखकों द्वारा नई पुस्तकों की पांडुलिपि देर से प्राप्त होना।

4. ट्रक चालकों की हड़ताल, अति वृष्टि होने के कारण सड़क मार्ग का अवरुद्ध होना, बिजली सप्लाई में कटौती।

5. कुछ प्रेसों द्वारा लापरवाही बरतना।

विलम्ब से प्राप्त 11 पुस्तकों की सूची संलग्न है जो मैं अभी बता रहा हूँ। इन 11 पुस्तकों में से 1 माह जुलाई में, 7 माह अगस्त में, 1 माह सितम्बर में, 2 माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो गई थीं।

जो पुस्तकें देरी से प्राप्त हुईं और क्यों हुईं उसके कारण मैं बता रहा हूँ :—हिन्दी कक्षा 1 प्राप्त होने की तिथि 5 अगस्त, 72। पुस्तक की पाण्डुलिपि मुद्रक को दिनांक 24-1-72 को दी गई थी। इस पुस्तक की सत्रारम्भ में आवश्यकता नहीं थी। यह पुस्तक सत्र प्रारम्भ होने के तीन माह बाद पढ़ाई जानी थी क्योंकि इस पुस्तक से पूर्व हिन्दी प्रवेशिका नामक पुस्तक का पाठन कराया जाना था जो कि सत्रारम्भ के समय से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। अतः यद्यपि यह पुस्तक सत्रारम्भ के समय उपलब्ध नहीं थी तो भी जब इसकी विद्यार्थियों को आवश्यकता थी यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई थी।

हिन्दी कक्षा 2 प्राप्त होने की तिथि 10-8-72। मुद्रक की लापरवाही तथा प्रेस पर अनियमितताओं के कारण पुलिस द्वारा सील लगाया जाना है।

हिन्दी कक्षा 3 प्राप्त होने की तिथि 5-8-72 मुद्रक की अकर्मण्यता। दिनांक 1-7-72 को वैसे यह पुस्तक उपलब्ध थी।

(श्री चन्दनमल बैद)

(28221 प्रतियों में) गणित कक्षा 3, प्राप्त होने की तिथि 23-8-72 । इस पुस्तक में कुछ चित्रों के प्रकाशन हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं पोस्ट मास्टर जनरल की अनुमति एवं विधि विभाग कि राय प्राप्त करने में विलम्ब तथा मुद्रक ने भी कार्य को पूर्ण करने में लापरवाही बरती ।

हिन्दी कक्षा 5 प्राप्त होने की तिथि 15-7-72 । इस पुस्तक की पूर्व संस्करण की 7,212 प्रतियां दि० 1-7-72 को उपलब्ध थीं । इस पुस्तक की विलम्ब से उपलब्धि में मुख्य कारण बाढ़ एवं ट्रक चालकों की हड़ताल रही है ।

गणित कक्षा 6, प्राप्त होने की तिथि 3-10-72 । लेखकों द्वारा पुस्तक की पांडुलिपि देर से प्रस्तुत करने के कारण । पुस्तक की पाण्डुलिपि लेखकों से माह जून में प्राप्त हुई थी किन्तु इस पुस्तक के मुद्रण के समय इसका पुनः संशोधन लेखक ने माह अगस्त में किया ।

विज्ञान कक्षा 4, प्राप्त होने की तिथि 15-8-72 । इन पुस्तकों की पाण्डुलिपियां विलम्ब से प्राप्त हुई । लेखकों से इन पाण्डुलिपियों को अन्तिम रूप देकर माह मई में उपलब्ध कराई ।

विज्ञान कक्षा 7, इन पुस्तकों की पाण्डुलिपियां विलम्ब से प्राप्त हुई । लेखकों से इन पाण्डुलिपियों को अन्तिम रूप देकर माह मई में उपलब्ध कराई ।

भूगोल कक्षा 6, 18-8-72 को प्राप्त हुई । इन पुस्तकों से जो मानचित्र छापे जाते हैं उनका बंगला देश एवं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन बिल के अन्तर्गत संशोधन करवा कर पुनः तैयार करने एवं सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर छपवाने में समय लगा । दिनांक 27-6-72 तक अनुमोदन प्राप्त हो सका ।

भूगोल, कक्षा 8– 5-10-72 । इन पुस्तकों में जो मानचित्र छापे जाते हैं उनका बंगला देश एवं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन बिल के अन्तर्गत संशोधन करवा कर पुनः तैयार कराने एवं सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर छपवाने में समय लगा । माह अगस्त में अन्तिम अनुमोदन प्राप्त हुआ ।

सामाजिक ज्ञान, कक्षा 3 (नवीन पुस्तक) —11-9-72 । इन पुस्तकों में जो मानचित्र छापे जाते हैं उनका बांगला देश एवं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र-पुनर्गठन बिल के अन्तर्गत संशोधन करवा कर पुनः तैयार कराने एवं सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर छपवाने में समय लगा । दिनांक 22-6-72 को अनुमोदन प्राप्त हो सका ।

इन पुस्तकों के छपवाने में देरी हुई उसको रोकने के लिए कारगर उपाय इस साल कर लिये गये हैं और आशा की जाती है कि अगले साल में यह देरी नहीं होगी लेकिन फिर भी इन पुस्तकों के छपवाने में जिन प्रेसों ने देरी की और जिनको कसूरवार पाया गया उनको दण्ड दिया गया है:–

1. मेहता ऑफसेट वर्क्स, दिल्ली	7023-80 रु. जुर्माना किया गया ।
2. मेहता आर्ट प्रेस दिल्ली	5458-64 रु. जुर्माना किया गया ।

(श्री चन्दनमल बैद)

3. इलाहाबाद लॉ जरनल एण्ड कं. लि., इलाहाबाद	3594·72 रु. जुर्माना किया गया।
4. अजन्ता ऑफसेट एण्ड पेकिंग्स, दिल्ली	2085·00 रु. जुर्माना किया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या राजस्थान सरकार की यह जानकारी में है कि प्रेस वाले समय के ऊपर पुस्तकें छाप कर नहीं देते हैं इस कारण से विलम्ब होता है, यह मन्त्री महोदय ने बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार का इरादा है कि शिक्षा विभाग अपना निजी प्रेस चालू करके किताबें छपवाने का कार्य अपने हाथ में लें ? दूसरी बात यह है कि जिन पब्लिशर्स के द्वारा या पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा किताबें बेची जाती हैं वे लड़कों को मजबूर करते हैं कुन्जी लेने के लिए, क्या राज्य सरकार का इरादा है कि पुस्तक विक्रेताओं के साथ ही साथ उपभोक्ता सहकारी भंडारों की मार्फत भी सरकार किताबें बेचें ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इसके लिए हमने कारगर उपाय उठाये हैं।

श्री जेठमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बार-बार पुस्तकें बदली जाती हैं इसका क्या कारण है ?

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कुन्जी के बारे में कहा वह बिल्कुल सही है। प्रेस से छप कर किताबें आ जाती हैं और आपके पुस्तक मण्डल में जमा हो जाती हैं और मैं कुछ पुस्तक विक्रेताओं के नाम आपको बताता हूँ—अरोड़ा बुक डिपो, चौड़ा रास्ता, जयपुर और सफलता प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर। इनको एक-एक महीने पहले किताबें दे दी जाती हैं और जब तक कुन्जी का इन्तजाम नहीं कर लेते तब तक इन पुस्तकों को वे नहीं देते और जैसे ही कुन्जी तैयार हो जाती है तो बीस-बीस और पचीस-पचीस किताबें बेची जाती हैं कुन्जियों के साथ जब कि कानून यह है कि जो पुस्तक मण्डल की किताबें बेचेगा वह कुन्जी नहीं बेच सकेगा इसलिये मन्त्री महोदय से निवेदन है कि भविष्य में ये पुस्तक विक्रेता कुन्जियां नहीं बेचें और सितम्बर-अक्टूबर के पहले कुन्जियों को नहीं बेच सकें ऐसा प्रावधान माननीय मन्त्री महोदय को करना चाहिये।

दूसरे विनोद प्रकाशन, आगरा है उनको 9वीं क्लास की किताबें दीं और वे पांच महीने तक नहीं आईं और फिर आईं तो लोगों से पैसे ले लिये गये पांच महीने पहले और दस-दस बीस-बीस किताबें किस्तों में दीं तो भविष्य में आप क्या कर रहे हैं ? लेकिन कुन्जियों के बारे में स्पष्ट करें कि इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद : ये कुन्जियां बिकती हैं इसके बारे में हम कारगर उपाय उठा रहे हैं। सहकारी भण्डारों में हम किताबें देंगे और साथ ही हमने यह भी इन्तजाम किया है कि जिसने हमारे विद्यालय हैं उनको भी हम नेशनेलाइज्ड बुक्स भेज देंगे जिससे दुकानदारों से खरीदने का प्रश्न ही उनके सामने उपस्थित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री आचार्य !

श्री दलपतसिंह (खारची) : मैं पूछना चाहता हूं कि विद्यार्थियों की संख्या देख कर मालूम हो सकता है कि कितनी पुस्तकें उनको दी जायेंगी ? अगर उसके अन्दर कोताई होती है और पांच-छः महीने तक किताबें नहीं मिलतीं यह दिक्कत आती है और इसी कारण बहुत से बच्चों के एग्ज़ामिनेशन्स में कम नम्बर आते हैं।

श्री चन्दनमल बंद : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री चन्दनमल बंद : कि कितनी-कितनी देरी हुई है। 6 महीने की देरी किसी में भी नहीं हुई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पी० के० चौधरी का भी सवाल सुन लें फिर साथ-साथ ही जवाब दे देना।

श्री पी० के० चौधरी : आपने जवाब दिया था कि देरी होने की वजह यह थी कि राजस्थान प्रेस को आप देना चाहते थे ?

श्री चन्दनमल बंद : राजस्थान प्रेस वालों की शिकायत यह थी कि टेण्डर मन्जूर नहीं हुए तो उनको एक चान्स और दिया गया कम्पीटीशन का। यह तो नहीं हो सकता था कि राजस्थान वालों के मुकाबले यदि उनका कम है तो उनको नहीं दिया जाये। लेकिन उनको एक चान्स और दिया गया लेकिन मेरे खयाल से नहीं दिया जाना चाहिए था और किसी कारण से चान्स दिया गया और कुछ किताबें देरी से छपने के लिए गयीं तो यह मेरी मजबूरी थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : शिक्षा विभाग का अपना प्रेस लगाने का इरादा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री आचार्य !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्षजी इस प्रश्न की वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने तो अभी प्रश्न का नम्बर ही नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 354।

अकाल राहत के मद से निर्मित डाक बंगले

354. **श्री निरंजननाथ आचार्य** : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1967-68 से लेकर राहत के मद से राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा कहां पर डाक बंगले बनवाये गये और किन-किन डाक बंगलों की मरम्मत और उनमें विस्तार करवाया गया ?

(2) इन डाक बंगलों के लिये कब कब किस किस मूल्य का कितना-कितना फर्नीचर एवं अन्य सामान खरीदा गया ? कृपया उसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : इसको स्थगित करने के लिए मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट ! श्री मोहनलाल छंगाणी !

जे० के० सिन्थेटिक, कोटा को उद्योग को स्थापना हेतु दिया गया ऋण

355. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार अथवा उसकी

(श्री मोहनलाल ढंगाणी)

अन्य एजेन्सी द्वारा जे० के० सिन्थेटिक लि०, कोटा को उसकी स्थापना से लेकर 31 जनवरी, 1973 तक कब कितना व किस-किस उद्योग की स्थापना के लिए ऋण दिया गया ?

(2) उक्त उद्योग को उसकी स्थापना से लेकर 31 जनवरी, 1973 तक कब-कब कितनी-कितनी बैंक गारन्टी राज्य सरकार अथवा उसकी एजेन्सी द्वारा दी गई ?

(3) जिन उद्योगों के लिए ऋण दिया गया वे उद्योग कौन-कौन से थे ? उक्त कम्पनी ने कब-कब भारत सरकार से लाइसेंस किस-किस स्थान के लिए प्राप्त किये ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण अथवा बैंक गारन्टियों के संबंध में उक्त कम्पनी ने ऋण अथवा बैंक गारन्टियों की स्वीकृति की तिथि से कितने समय पश्चात् व किस तिथि को मोर्टगेज डीड एग्रीमेन्ट का सम्पादन किया ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के गारन्टी नियमों के अन्तर्गत 40 पर्सेन्ट मार्जिन रखा जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त प्रतिष्ठान को दिये गये ऋण अथवा बैंक गारन्टी के समय राज्य सरकार द्वारा इन नियमों की पालना नहीं की गई ?

(6) द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में कुल कितनी धनराशि उद्योगों को ऋण के लिए निर्धारित की थी व जे० के० सिन्थेटिक लि० को उक्त राशि का कितना प्रतिशत ऋण दिया गया ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सूची 'क' व 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा मैसर्स जे०के० सिन्थेटिक लि० हेतु दी बैंक ऑफ राजस्थान लि०, कोटा को एक प्रत्याभूति 23.40 लाख रुपये की दिनांक 29-10-66 को दी गई थी। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस संस्थान के लिए कोई गारन्टी नहीं दी गई।

(3) जिन उद्योगों के लिए ऋण दिया गया वे सूची 'क' और ख' में अंकित हैं। उक्त कम्पनी द्वारा भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त किये लाइसेन्सों की सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची 'घ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। गारन्टी नियमों के नियम 6 (3) के अनुसार पुरानी मशीनरी, प्लान्ट, बिल्डिंग्स एवं भूमि की बाजार की कीमत या घिसावट के बाद वाले मूल्य में 40 पर्सेन्ट मार्जिन रखा जाता है। चूंकि गारन्टी नियम 1971 से प्रभावशील हैं अतः उक्त सीमा तक मार्जिन रखा जावे या नहीं रखा जावे इस प्रसंग में लागू नहीं होता है क्योंकि बैंक ऑफ राजस्थान को दी गई गारन्टी 1971 के पूर्व समय की है।

(6) द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योगों को ऋण देने के लिए कोई प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था अतः जे० के० सिन्थेटिक को कितना प्रतिशत दिया गया इसका प्रश्न नहीं उठता। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

श्री मोहनलाल ढंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया यह बताने की कृपा

(श्री मोहनलाल छगाणी)

करेंगी कि आप जो लोन देते हैं उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आप लेते हैं ऐसा कोई प्रावधान है या नियम है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो लोन दिया जाता है उसका यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है और जिन टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के द्वारा उनका री-पेमेन्ट किया जाना चाहिए वह भी पूरे हुए हैं या नहीं इसकी भी जांच पड़ताल होती है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि 4 नवम्बर में आपने 60 लाख लोन दिया निम्बाहेड़ा सीमेन्ट फैक्टरी को और 20 लाख वित्त निगम ने दिया इसके यूटीलाइजैशन के बारे में आंपकी क्या सूचना है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : किस-किस मद में दिया गया लोन है और उनका किस प्रकार से यूटीलाइजैशन किया जा चुका है इसका विवरण अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने 30 लाख रुपया राजस्थान सरकार की तरफ से निम्बाहेड़ा में फैक्ट्री लगाने के लिए लोन दिया और 20 लाख रुपया वित्त निगम ने दिया तो उस रुपये से किस तरह का काम हुआ । फैक्ट्री लगी या नहीं लगी । उस रुपये का यूटीलाइजैशन हुआ या नहीं या आप सस्पेंस अकाउण्ट में ही रखते हैं जै० के० सिंथेटिक्स को ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो लोन राज्य सरकार द्वारा अथवा वित्त निगम द्वारा दिया जाता है उनकी किश्तें देय होती हैं। वे किश्तें बराबर पेमेंट की या नहीं की इसके बारे में मेरे पास में विवरण उपलब्ध नहीं है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : लोन हम देते हैं इण्डस्ट्रीज के लिए । आप स्पष्ट जवाब दीजिए कि यूटिलाइजैशन हुआ है कि नहीं ? जिस मद के लिए लोन दिया गया था उस मद में उपयोग हुआ या नहीं ? जिस काम के लिये रुपया मांगा गया था उसके लिए ही काम में लिया या नहीं इसका उत्तर आप दीजिए ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास इसका विवरण उपलब्ध नहीं है कि मैं आपको अर्ज कर सकूं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : तो आप स्थगित कीजिए इसको ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : सीमेंट फैक्ट्री के लिए किन-किन सालों में कितना कितना लोन दिया गया ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यूटिलाइज किया या नहीं किया इसकी पूरी जानकारी दीजिए और अगर नहीं दे सकती हैं तो स्थगित करिए ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया । एडजोर्न्ड ।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसमें और भी बहुत से प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्न कर दिया है ।

प० सं० 356

श्री शंकरलाल पाली !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री अमृतलाल गहलोत !

Page No 12

(12)

जोधपुर नगर का मास्टर प्लान

357. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदार-रा) : क्या नगर नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर का मास्टर प्लान बनाने का राज्य सरकार ने कब निर्णय लिया ? इस कार्य का आरम्भ कब से हुआ और इसे पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय क्या था ?

(2) क्या यह सत्य है कि जोधपुर से कम जनसंख्या वाले नगर अजमेर और कोटा के मास्टर प्लान तैयार हो गये हैं परन्तु जोधपुर का नहीं हुआ ? यदि हां, तो राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करने का उत्तरदायी कौन है ? क्या अन्य नगरों की भी यही परिस्थिति रही है और है ?

(3) अब तक जोधपुर के मास्टर प्लान बनाने में कितनी धनराशि व्यय हुई हैं और क्या प्रगति हुई है ? भविष्य में उपरोक्त मास्टर प्लान कब तक अवश्य तैयार हो जायेगा ?

नगर नियोजन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) निर्णय अप्रेल, 1967 में लिया गया एवं इस पर कार्य 68-69 में आरम्भ हुआ । इसे पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक का है।

(2) जी हां। मास्टर प्लान बनाने के लिये केवल मात्र जनसंख्या ही आधार नहीं है । राज्य सरकार के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की गई।

(3) फरवरी, 1968 से जनवरी, 1973 तक क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर पर करीब 4.45 लाख रुपये खर्च हुए जोधपुर मास्टर प्लान बनाने में हुए, खर्च का अलग से हिसाब नहीं रखा गया है। मास्टर प्लान का बुनियादी मानचित्र, अध्ययन एवं सर्वेक्षण कार्य पूरे किए जा चुके है। मास्टर प्लान के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जोधपुर जैसे बड़े शहर का मास्टर प्लान नहीं बना लेकिन जयपुर का मास्टर प्लान बन गया, इससे छोटे शहर कोटा और अजमेर के मास्टर प्लान बन गए तो मास्टर प्लान बनाने का आधार क्या है ? जनसंख्या का आधार रहता है या और कोई आधार रहता है ? मैं तो यह कहूंगा कि आपका यह कार्य सिद्धान्तहीन है और जोधपुर के साथ सौतेली मां का सा बर्ताव किया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या, उद्योग, पर्यटन और विकास की सम्भावनाएं और वास्तविक दृष्टिकोण को मद्देनजर रख कर मास्टर प्लान तैयार किये जाते हैं, केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं। एक पहले मास्टर प्लान बनाने के लिए भारत सरकार से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलती थी। हमने भारत सरकार को लिखा है कि आप जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर तथा भाखरा केनाल क्षेत्र और चम्बल केनाल क्षेत्र के मास्टर प्लान बनाने की स्वीकृति दीजिए। हमारी

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रार्थना को भारत सरकार ने स्वीकृत नहीं करके केवल जयपुर, कोटा, अजमेर और राजस्थान नहर के क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय सहायता देना स्वीकार किया। इसलिए जोधपुर का प्लान नहीं बन सका। जैसा कि मैं अपने उत्तर के भाग 3 में निवेदन कर चुका हूं कि ऐसी सम्भावना है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जोधपुर का मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा।

श्री **अमृतलाल गहलोत** : कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जो सीमा मास्टर प्लान में निर्धारित की है वह सीमा नगर परिषद् की सीमा तक ही सीमित होगी या कुछ फर्क होगा? इस वक्त नगर परिषद् की सीमा में 16 गांव हैं। मास्टर प्लान की सीमा में कितने गांव आयेंगे?

श्री **परसराम मदेरणा** : मास्टर प्लान जो बनता है वह केवल अरबन एरिया का ही नहीं, आने वाले कुछ वर्षों के लिए बनता है। इसलिए जोधपुर के अन्दर भी नगरीय क्षेत्र के साथ सर्वेक्षण में अभी फरवरी के महीने में ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मरुस्थल एरिया के करीब 46 विलेजेज जो हैं उनका सर्वेक्षण किया जाय। उनका भी मास्टर प्लान नगरीय क्षेत्र के साथ बनाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : Next question.

गारन्टी की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वितरण

358. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) एवं श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1970-71 एवं 1971-72 में कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितने रुपये की गारन्टी देने का निश्चय किया था? यदि हां तो कौन-कौन से बैंकों को?

(2) उक्त गारन्टी की राशि को किन-किन बैंकों द्वारा कितनी-कितनी किस जिले में वितरित की? विगतवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) वर्ष 1972-73 में कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितने रुपयों की गारन्टी देने का प्रावधान किया?

(4) राज्य सरकार इस प्रकार के निर्णय लेते समय क्या आधार रखती है?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) कृषि विभाग ने निम्न बैंकों को उनके सामने दर्शित राशियों के लिए गारन्टी देने का प्रस्ताव किया था:—

नाम	राशि
(1) बैंक ऑफ बड़ोदा	1 करोड़
(2) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1 करोड़
(3) पंजाब नेशनल बैंक	1 करोड़
(4) युनाइटेड कामर्शियल बैंक	1 करोड़
(5) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (6) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	2 करोड़

(2) यह विगत कृषि विभाग ही दे सकता है।

Page No 14

(14)

(श्री चन्दनमल बैद)

(3) गारन्टी देने के बारे में बजट में अथवा अन्य नियमों में पहले से ही कोई प्रावधान करने का नियम नहीं है।

(4) इसका उत्तर भी कृषि विभाग ही दे सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय, जब इन सारे प्रश्नों का उत्तर कृषि विभाग ही दे सकता है तो मेरी रिक्वेस्ट है इस प्रश्न को स्थगित किया जाय और कृषि विभाग से इसका उत्तर दिलवाया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : ऐसा प्रश्न पूछें जो दो विभागों से सम्बन्धित हो तो मैं क्या करूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोआर्डीनेट करके उत्तर दे सकते हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : सरकार की जोइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी है। आप भी तो सब एक हो, बिखरे हुए थोड़े ही हो।

श्री चन्दनमल बैद : जोइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी का मतलब यह तो नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स का मैं ही जवाब दूं सब कुछ।

श्री रामसिंह कुड़ी : आपको देखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न में एक विभाग से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछना चाहिए।

प्रश्न सं० 359

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री यशवन्तसिंह नाहर!

ग्रामीण व नगरीय जलप्रदाय योजना

360. श्री **यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष जल प्रदाय योजनाओं (ग्रामीण व नगरीय) के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी रकम प्राप्त हुई और उसमें से कितनी रकम खर्च हुई? कुल रकम खर्च न होने के क्या कारण हैं?

(2) अब तक कितनी और योजनायें बन कर तैयार हैं और उन पर कितनी रकम खर्च होने की सम्भावना है?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस वर्ष नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए कोई रकम प्राप्त नहीं हुई और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए जो प्राप्त की गई व खर्च की गई है वह इस प्रकार है:—

	प्राप्त धनराशि	सम्भावित व्यय मार्च, 73 तक
1. डी. पी. ए. पी.	रु. 185 लाख	रु. 100 लाख
2. एक्सलेरेटेड प्रोग्राम	रु. 175 लाख	रु. 175 लाख

पाइप इत्यादि सामग्री की देश में कमी होने के कारण कुल रकम डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत खर्च नहीं हो सकी।

(2) अब तक 280 और योजनाएं बन कर तैयार हैं जिनकी अनुमानित लागत

(श्री चन्दनमल बैद)

लगभग 10 करोड़ रु० है। इन योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह जल प्रदाय योजनाओं को जो पैसा मिला है वह कुल मिला कितना, वह तो बतलाया नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : बता दिया ना। 185 लाख और 175 लाख। डी० पी०, ए० पी० की रकम जो प्राप्त हुई है वह तीन साल की योजना है और तीन साल में उसको खर्च करना है और जो कुल डी. पी. ए० पी० की रकम प्राप्त हुई है वह है 335 लाख यानी 3 करोड़ 35 लाख। अब इस 3 करोड़ 35 लाख को हमें तीन साल में खर्च करना है। इस साल के लिये जो 185 लाख रुपये हैं उसमें से हम कुल 100 लाख खर्च कर चुकेंगे, यानी कुल एक करोड़ खर्च कर लेंगे ऐसी सम्भावना है। अगले साल यह रकम लेप्स होने का प्रश्न नहीं है। एक्सलेरेटेड प्रोग्राम के तहत 175 लाख प्राप्त होंगे और उनको इसी साल खर्च कर देंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह पाइप नहीं मिले तो क्या कभी तलाश किया बाजार में भी ?

श्री चन्दनमल बैद : कई बार दिल्ली में उच्च स्तरीय विचार हुआ और बहुतसी पाइप मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनियां पावर कट होने के कारण वहां पर पाइप सप्लाई नहीं कर पाती हैं। इसके लिये मैंने केन्द्रीय मन्त्री महोदय को भी कई बार लिखा है। उनका भी पत्र आया है कि हम विचार कर रहे हैं और उनके लेवल पर भी दिल्ली में कई मिटिंगें हुई हैं। लेकिन सारे देश में पाइप की कमी है। इस वक्त न केवल राजस्थान बल्कि भारत देश के दूसरे प्रदेशों की जो जल प्रदाय योजनाएं हैं उन पर भी असर पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : भानुकुमार शास्त्री !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह पावर कट तो अब चालू हुआ है। गत मार्च में तो पावर कट नहीं था तो यह पाइप्स मार्च, अप्रैल, मई, जून में क्यों नहीं मंगाली ?

श्री चन्दनमल बैद : ये पाइप कम्पनियां इस साल तो क्या उससे भी अगले साल के लिये बुक कर चुकी हैं, लेकिन पाइप की सप्लाई मार्च में ही शुरू हो जाय यह सम्भव नहीं है। जो पाइप बनाने वाली कम्पनियां हैं वे सा । पाइप पिछले मार्च में ही बना कर दे दें यह सम्भव नहीं है। उनका भी प्रोडक्शन प्रोग्राम होता है, सालभर का फेज्ड प्रोग्राम होता है और उसके अनुसार ही सप्लाई करते हैं। अब इसी बीच में पावर कट हो गया तो यह उनके लिये सम्भव नहीं रहा कि उसके अनुसार, फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार पाइप सप्लाई कर सकें। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है यह पाइप के बारे में नहीं है लेकिन जो हमारा शोर्टफाल हुआ है वह कुल 75 लाख का है उसमें भी हमारा पैसा लेप्स नहीं होगा, वह अगले साल कैरी ओवर होगा। इसको हम अगले साल खर्च कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती मदन कौर (पत्रपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह

Page No 16

(16)

(श्रीमती मदन कौर)

जानना चाहूंगी कि डी० पी० ए० पी० से नल योजना के लिये जो पैसा मिलेगा उसके बारे में मन्त्री महोदय ने कहा कि वह लेप्स नहीं होगा। यह आश्वासन दिया गया है परन्तु साथ ही यह कहा है कि पाइप का उत्पादन बहुत ही सीमित है। गत वर्ष भी पाइप के अभाव में पैसा लेप्स हो गया तो क्या इस वर्ष यह पैसा लेप्स नहीं होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : बहुत सम्भव है कि अगले वर्ष पावर की कमी नहीं रहे।

श्री मोहनलाल छंगाणी: अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न किया चाहता हूँ। जिस तरह की हमारी योजनायें हैं जल प्रदाय के लिए क्या उनको देखते हुए पी० एच० इ० डी० इसकी फैक्ट्री नहीं लगा सकता है। कुल 35 लाख रुपया इस फैक्ट्री के लिये चाहिये जिसको सरकार उपलब्ध करा सकती है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ग्राम जल प्रदाय योजना में प्राथमिकता का आधार क्या है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इसका पहले भी मैं विस्तारपूर्वक उत्तर दे चुका हूं। 12 तारीख को जल प्रदाय योजनाओं पर बहस होगी उस समय आप इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री !

नाहरगढ़ थाने के थानेदार द्वारा महिला की बरामदगी

361. **श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज, जिला कोटा के नाहरगढ़ थाने के थानेदार श्री रामप्रताप शर्मा एक महिला को बरामद करने के लिये मार्च, 1972 में मध्यप्रदेश के गांव गुना में गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि वहां गांव वालों के एकत्र होने पर थानेदार ने उस भीड़ पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप घटनास्थल पर ही तीन व्यक्ति मर गये तथा चार पांच व्यक्ति घायल हो गये ?

(3) क्या यह सही है कि नियम के अनुसार उस थानेदार को मध्यप्रदेश की पुलिस की सहायता से ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिये था ?

(4) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार को निवेदन किया है कि थानेदार श्री रामप्रसाद शर्मा का 302 की धारा के अन्तर्गत चालान किया जाय ? यदि हां, तो क्या उसके खिलाफ राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। श्री रामप्रताप, पुलिस उप निरीक्षक, थाना नाहरगढ़ मु० नं० 19 धारा 452/366/107/148 आई. पी. सी., पी. एस. नाहरगढ़ की तफतीश के

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

संबन्ध में एक महिला की बरामदगी हेतु ग्राम मादागन, जिला गुना (मध्यप्रदेश) में गये थे।

(2) जी हां।। उक्त ग्रामवासियों द्वारा पुलिस पार्टी के साथ मुकाबला करने व घातक हथियारों से हमला करने के फलस्वरूप पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में गोली चलाई थी जिसके परिणाम स्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ग्रामवासियों के हमले के फलस्वरूप चार पुलिस कर्मचारियों को चोटें पहुँची। इस घटना के सम्बन्ध में दो क्रास केस एक पुलिस की की तरफ से मु० नं० 3/1972 धारा 307/148/149/332/353 आई. पी. सी. तथा दूसरा केस पब्लिक की तरफ से मुकदमा नं० 2/1972 धारा 302 आई. पी. सी. पु. थाना कुम्भराज पर दर्ज किये गये।

(3) जी हां। उक्त थानेदार को मध्यप्रदेश पुलिस की सहायता प्राप्त करनी चाहिए थी लेकिन अगर तफतीश कुनिन्दा को यह विश्वास हो जावे कि सहायता प्राप्त करने में देरी हो सकती है या तफतीश बिगड़ने का अंदेशा है तो वह स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त किये बगैर भी उचित कार्यवाही कर सकता है।

(4) जी नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मंत्री महोदया, कृपया बताने की कृपा करेंगी कि उस समय ऐसी परिस्थिति बनी, जिस परिस्थिति के आधार पर महिला की बरामदगी करना चाहते थे, तो बिना मध्यप्रदेश सरकार की पुलिस की सहायता के वह गये और परमीशन के बिना वहां गये, तो वहां जाने के कारण यह परिस्थिति बनी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस कारण से परिस्थिति नहीं बनी। पहले परमीशन ली। उसमें देर लगी तो वह स्वयं वहां पर पहुँचे। उसने सारी कार्यवाही की, लिखा पढ़ी की, बरामदगी की और महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया और जिस समय उस महिला को लेकर वहां से चलने लगे उन पर ग्रामवासियों द्वारा हमला किया गया जिसके कारण यह 302 का केस चल रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 302 का यह जो केस चल रहा है वह क्या मध्यप्रदेश में चल रहा है? क्या इस थानेदार को सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां यह मध्यप्रदेश में चल रहा है।

अभी इसको सस्पेण्ड नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि अभी मध्यप्रदेश की सरकार से बातचीत चल रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि इस थानेदार ने रामप्रताप से नाम बदलकर रामप्रसाद रख लिया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं ऐसी बात हमारे ध्यान में नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उसने गोली चलाई और फिर भी उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : 302 का मुकदमा चल रहा है। उसने गोली सेल्फ

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

डिफेन्स में चलाई और यह 302 में साबित होना संभव नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो अदालत ही तय करेगी। आप कैसे निर्णय दे रही हैं। अदालत के निर्णय से पहले यह कैसे निर्णय कर लिया आपने। सेल्फ डिफेन्स में गोली चलाई, फिर भी उसको सस्पेन्ड नहीं किया जाये यह तो समझ में नहीं आता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह 302 से साबित नहीं होगा तो उस थानेदार की पैरवी के लिए, पुलिस की तरफ से कोई एडवोकेट मुकर्रर किया गया है। क्या आप उसके बचाव पक्ष की तरफ से कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। फिर जिस प्रकार के हालात होंगे कार्यवाही की जाएगी। जो हालात का वर्णन है, जिस प्रकार की सूचना हमको मिली है उससे स्पष्ट है कि गोली चलाने का एक कारण सेल्फ डिफेन्स था। मर्डर करने के इरादे से यह नहीं किया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका तो मतलब यह है कि राज्य सरकार उसको डिफेन्ड करेगी. इस केस को राज्य सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है। इस प्रकार आप वहां के जज पर भी प्रभाव, असर डालेगी और इस केस का सारा खर्चा भी राज्य सरकार बर्दाश्त करेगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जज पर प्रभाव या असर डालने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वह राज्य की ड्यूटी की रिपोर्ट को अंजाम देने में यह घटना घटी है.......

श्री निरंजननाथ आचार्य : एडवोकेट और मुकदमें का खर्चा महकमें के जिम्मे होगा क्योंकि उसने सेल्फ डिफेन्स में गोली चलाई है फिर क्यों एक गरीब को परेशानी में डाला जाए और खर्चा भी वह करे। क्या यह राज्य सरकार उठाएगी ?

श्री मोठालाल : अभी जो मंत्री महोदया ने स्टेटमेन्ट दिया है कि 302 में केस साबित नहीं होगा। यह अच्छा होगा कि इस स्टेटमेन्ट को अभी यहीं पर सुधार लिया जाए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : भाषा का फर्क हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर जिले में जल संकट समस्या के निवारण हेतु स्वीकृत योजनाएं

362. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, राजस्थान ने बाड़मेर जिले में जल संकट समस्या के निवारण हेतु किन-किन क्षेत्रीय जल प्रदाय ग्रामीण नल योजनाओं की सर्वे रिपोर्ट सम्पूर्ण तौर से तैयार कर दी है ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां एवं सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनमें से कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं ? प्रत्येक योजना की

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

स्वीकृत राशि का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त स्वीकृत योजनाओं को कब से शुरू कर दिया जाएगा और कब तक संपूर्ण कर दिया जायगा ? विवरण प्रत्येक योजना का अलग-अलग देने की कृपा करें।

मंत्री, जन-स्वास्थ्य विभाग (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, राजस्थान ने बाड़मेर जिले में जल संकट समस्या के निवारणार्थ जिन-जिन क्षेत्रीय जल प्रदाय ग्रामीण नल योजनाओं की सर्वे सम्पूर्ण तौर से तैयार कर दी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां प्रत्येक लगभग 30 पत्रों में है अतः इनके लिये समय की आवश्यकता है।

(2) इनमें से जो योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं उनकी सूची मय स्वीकृत राशि के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) समस्त स्वीकृत योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। सम्पूर्ण किए जाने का वर्ष एवं प्रगति हर एक योजना के सामने संलग्न सूची में अंकित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । पोस्टपोन्ड प्रश्न !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय....

श्री **नाथूराम** (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है....

श्री **मूलचन्द सामरिया** : अध्यक्ष महोदय, मेरे जितने भी प्रश्न हैं उनका नम्बर नहीं आ रहा है। मेरी सूचना है कि किसी तरह से मेनीपुलेशन कर के रखा जाता है....

श्री अध्यक्ष : यह जो माननीय सदस्य आप कह रहे हैं इसको मैं एक सीरियस चार्ज मानता हूं....

श्री मूलचन्द सामरिया : पहले के सवाल भी रह गये। यह मेनीपुलेशन किया गया है....

श्री अध्यक्ष : आप यह कह रहे हैं कि आपके सवाल मेनीपुलेशन कर के रख दिये गये हैं। इसको प्रमाणित करना आसान बात नहीं है। आप यह अनुचित कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरे चार प्रश्न रह गये हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका यह कहना कि आपके प्रश्न नीयत से रख दिए गये उचित नहीं हैं....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : इतनी देर में तो हमारा एक प्रश्न पूरा हो जाता....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य द्वारा ये शब्द जो आसन के प्रति कहे गये हैं वापिस लिए जाने चाहिए।....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो मेनीपुलेशन शब्द है वह प्रोसिडिंग्स से वापिस लिया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेनीपुलेशन से मेरा यह अर्थ नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप इसको वापस ले लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को वापस लिया जाए....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने वापस ले लिया है....

श्री मूलचन्द सामरिया : केवल चमचागिरी ही करते रहो।....

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम तो चमचे हैं और तू क्या है ?....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न !

(स्थगित प्रश्न)

(22-2-1973)

यू. आई. टी., उदयपुर द्वारा प्लॉटों का अलॉटमेंट

77. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़), **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में जनवरी, 1972 में पुरानी यू. आई. टी. समाप्त कर दी गई थी ? क्या यह भी सही है कि यू. आई. टी. की समाप्ति से पहले इसने अनेकों प्लाट अलाट किये ? यदि हां तो किस-किस को कितने-कितने मूल्य में ? नाम, प्लाट नम्बर, कीमत, प्लाट का साइज आदि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ?

क्या यह सही है कि यू. आई. टी. ने पोलो ग्राउन्ड के सबसे कीमती प्लाट भी अलाट कर दिये ? यदि हां तो ये प्लाट किस-किस को कितने-कितने मूल्य में अलाट हुए ? इनमें से कितने सरकारी अफसर हैं ? सरकारी अफसरों के नाम तथा ओहदे आदि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यू. आई. टी. के पदाधिकारियों तथा उनके रिश्तेदारों को कौन कौन से प्लाट कितने कितने मूल्य में किस-किस को अलाट हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि यू. आई. टी. द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, गबन, घोटालों आदि के विरुद्ध उदयपुर की जनता लगातार जांच की मांग करती आई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस मांग पर चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर, उदयपुर को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया था ? यदि हां तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

(6) क्या यह सही है कि बाद में चीफ सेक्रेटरी ने आयुक्त जन-अभियोग निराकरण विभाग को जांच के आदेश दिये ? यदि हां तो इस जांच के क्या परिणाम निकले तथा जांच अधिकारी बदलने का क्या कारण था ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां । जिन प्लाटों के आवंटन पत्र जारी किए गए हैं इस विषयक सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कहां पर है। अध्यक्ष महोदय सूची तो दिलवा दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष ही सक्षम है सूची देने में।

(2) पोलो ग्राउंड में आवंटित प्लाट्स की सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। जो प्लाट्स सरकारी अधिकारियों को आवंटित किए गए हैं उसके सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी उपरोक्त सूची के कॉलम 7 में अंकित कर दी गई है।

(3) यह जानकारी सूची (ग) में अंकित है जो कि सदन की मेज पर रख दी गई।

(4) जी हां कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(5) जी हां। जांच रिपोर्ट में आवंटन के कुछ मामलों में अनियमितता पाई गई है परिणामतः आवंटन के बाद की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(6) जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय सूची तो मुझे अभी मिली है। यह क, ख, ग, देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे इसके बारे में यह कहना है कि उदयपुर नगर विकास न्यास ने जो प्लॉट अलाट किए हैं उसमें जितने आफिसर, अधिकारी बैठे थे उन उन ने अपने नाम पर, उन सब ने मिल कर प्लाट अलाट करवा लिए जब कि हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री हीरालाल देवपुरा ने जो यहां पर बैठें हुए हैं उन्होंने अक्शन में एक प्लाट बीस हजार की रकम को देकर लिया है.......

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : इससे सम्बन्ध है। इन आफिसरों को भी आक्शन में ये प्लाटस लेने चाहिए थे। यह एक गंभीर अनियमितता है। इसके लिए एक जांच कमीशन बिठाया जाना चाहिए। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ललित शाह, दूसरे हैं सिटी मजिस्ट्रेट, तीसरे है नगर परिषद के कमिश्नर इन लोगों ने यह प्लाट आवंटित कराये हैं। इन लोगों ने ट्रस्ट का लाभ न देख कर अपने लाभ में ट्रस्ट के प्लाट अपने नाम पर अलाट करवा लिए है, मैं इनके नाम बता रहा हूं, एस. डी. ओ. मि. भार्गव हैं, टाउन प्लानर हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अखबार पढ़ने से तो यहां ठीक नहीं रहेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सूची में नाम हैं। जो सूची सदन पटल पर रखी गई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पोलो ग्राउण्ड के एलाटमेण्ट को लेकर लाखों रुपयों का घोटाला है। इसके लिए जांच के लिए कमीशन बैठायें। ताकि राज्य कोष में जो धनराशि कम प्राप्त हुई है, वह उनसे ली जाये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष पोलो-ग्राउण्ड में 17 प्लाट ऐसे व्यक्तियों को दिये गये हैं जो या तो राज्य के अधिकारी हैं या न्यास कर्मचारी हैं या न्यास वालों के भाई ग्रादि हैं। वहां 17 प्लाट दिये गये हैं। बाकी 600 का ग्रौर 24 प्लाट का जो ग्रावन्टन हुग्रा है, जिस राशि के ग्रन्दर यह सब राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार उचित कार्यवाही करेगी। किसी को ग्रनुचित प्लाट दिया गया है तो उसको संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : यह राज्य सरकार के विचाराधीन है, जब तक कि पूरे मकान नहीं बन जायें, तब तक के लिए विचाराधीन रख लें।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं न्यास के सम्बन्ध में मैंने ग्रादेश दिये हैं कि ऐसे प्लाटों में कोई कन्स्ट्रक्शन के कार्य नहीं किये जायें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां मकान बन चुके हैं। मकान बने हुये हैं।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : ग्रगर मकान बन गये हैं तो ग्रन्दर ग्रादमी नहीं रहने पायें।

श्री परसराम मदेरणा : मकान बन चुके हैं लेकिन इन प्लाटों की स्थिति ग्रलग प्रकार से है। 644 प्लाट थे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ग्राप उनको रेग्यूलराइज करने की कार्यवाही कर दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : 488 का ग्रभी लेटर ग्राफ ग्रलाटमेण्ट ही जारी नहीं किया गया है। ग्रलाटमेण्ट इश्यू हो गये वह 136 है। नजराना 113 का है। ग्रौर पजेशन में 58 हैं। जिनके लाइसेंस का एक्जीक्यूशन हुग्रा वह 33 है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उन लोगों ने लोन कैसे ले लिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो ग्रब जयपुर में एल. ग्राई. सी. है। किस-किस ने लोन ले लिया है, मैं मशीन तो हूं नहीं। ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन मुझे कलेक्टर ने जो सूचना दी है, इन प्लॉट्स के सम्बन्ध में, वह मैं निवेदन कर रहा हूं। उनको ग्रादेश दिये गये कि ग्रागे कोई कार्यवाही नहीं की जाये। उसके बाद में कोई कन्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। यह सूचना यू. ग्राई. टी. से, जो कलेक्टर उदयपुर हैं, उन्होंने सूचना दी है। ग्रगर माननीय सदस्य कहते हैं कि कलेक्टर ने गलत सूचित किया। ग्रगर गलत सूचित किया तो मैं एक्सप्लेनेशन लूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री निरंजननाथ ग्राचार्य !

श्री भानुकुमार शास्त्री : बंगले बन गये हैं। दो के नक्शे पास हुये हैं। मैं स्वयं देखकर ग्राया हूं। बनाने वाले एक्जीक्यूटिव ग्रॉफिसर हैं। वह उसमें रह रहे हैं। दूसरा मकान बनकर तैयार हो चुका है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री निरंजननाथ ग्राचार्य।

स्थगित प्रश्न

(22-2-73)

अकाल राहत कार्यों में धन दुरुपयोग के मुकदमें

82. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

राज्य के विभिन्न स्थानों में सन् 1968-69 तथा 1970 में अकाल राहत कार्यों में धन के दुरुपयोग, गबन एवं जाली कागजात बनाने के सम्बन्ध में जो मुकदमें पंजीकृत किये गये थे उनमें अब तक क्या-क्या प्रगति हुई है ? कृपया ऐसे प्रत्येक मुकदमे के सम्बन्ध में विवरण सहित एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : कुल 180 मुकदमें पंजीबद्ध किये गये जिनमें अब तक जो-जो प्रगति हुई है उस बाबत प्रत्येक मुकदमे की विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

बाड़मेर जिले के जसोल ग्राम के जटपट्टी उद्योग का विकास

363. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के जसोल ग्राम में बकरी और ऊंट की जट (बालों) की पट्टियां बनाई जाती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन जट की पट्टियों को अरब देशों को निर्यात किया जाता है ? यदि हां, तो कितने रुपये का सालाना निर्यात होता है और किस एजेन्सी द्वारा ?

(3) क्या राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम ने इस जट पट्टी उद्योग के विकास और निर्यात की ओर ध्यान दिया है ? यदि नहीं तो भविष्य में सरकार अथवा निगम इसके विकास की ओर ध्यान देगी ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

निर्यात नियोजन हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के द्वारा तथा सीधे स्थानीय निर्यातकर्त्ता फर्मों के द्वारा भी किया जाता है। निर्यात के आंकड़े राज्य सरकार के पास नहीं हैं।

(3) जी हां।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग 3 में 'जी हां' जवाब दिया गया है। मैं नहीं समझी, यह कोई लघु उद्योग ने कोई खास प्रकार की मदद दी है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : लघु उद्योग निगम द्वारा यह किया जा रहा है। इसमें सबसे पूर्व जो उत्पादक हैं, उनसे सीधा सम्पर्क किया जा रहा है। जिसमें उन्हें

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

ऐसी कम्पनी से सम्बन्धित किया जा सके। बॉम्बे में उनका हैड ऑफिस है। उनके द्वारा निर्यात होगा, उनके द्वारा निर्यात होगा तो सुविधा मिल सकेगी। सेम्पुल जो आते हैं वह निर्यात संस्थाओं को भेज दिये जाते हैं। इसी तरह से निगम ने प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादकों को ऐसे सेम्पुल भेजे जिससे कि निर्यातकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। इससे अच्छी क्वालिटी तैयार हो सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था निगम के द्वारा की जा रही है। आगे भी जो आवश्यक होगा, वह किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

'सी स्कीम' का गन्दा नाला

364. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही कि गांधीनगर क्षेत्र में स्थित सी-स्कीम में इस वस्ती की स्थापना के बाद से आज तक भी विशाल गन्दा नाला पड़ा हुआ है? यदि हां तो इसको पक्का करने और पाटने की क्या कोई योजना है? यदि नही तो क्यों? यदि हां तो यह कार्य कब तक पूरा किया जा सकेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि इन गन्दे नाले के दोनों ओर काफी जमीन बेकार पड़ी हुई है जिस पर प्रायः अनाधिकृत कब्जे किये जा रहे हैं? यदि हां तो क्या सरकार इस भूमि को इसके आसपास बसे मकान-वालों को ही आवन्टित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में अन्य क्या योजना बनाई गई है?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, नाले के दोनों ओर पक्की दीवार बनाने का कार्य शुरू किया हुआ है और गत वर्ष न्यास द्वारा इस पर 1,02,000 रु० खर्च किये जा चुके हैं। इस वर्ष भी इतना ही खर्च करने का अनुमान है और आशा की जाती है कि न्यास की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए 5 वर्ष में नाले के दोनों तरफ दीवार व फर्श व नाली बना दी जावेगी।

(2) नाले के दोनों ओर व्यापारिक योजना बनाने का ध्येय है जैसा कि पांच वत्ती से जानवरों के अस्पताल तक योजना बनाई गई है। न्यास की वित्तीय स्थिति एवं कार्यक्षमता को दृष्टि में रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में पांच वत्ती से अशोक मार्ग तक के विकास कार्यों की कार्यवाही की जावेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा, यह पूछना चाहूंगा, क्या नाले के दोनों तरफ कुछ लोगों ने जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप फिर जब तक व्यापार सेन्टर बनायेंगे तब तक नाले के आसपास सारी जमीन पर कब्जा हो जायगा, तो आपकी योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो पायेगी?

श्री परसराम मदेरणा : डिमालिस कर देंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं पूछना चाहूंगा, आप डिमालिस करने की बात करते हैं तो नगर विकास न्यास ने अब तक कितने डिमालिस किये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उस नाले के आसपास इतने नाजायज कन्स्ट्रक्शन हुए हैं लोग-बाग नाजायज कब्जे करते जा रहे हैं और नाले के आसपास लोगों के मकान बन जायेंगे, आज जो बंगले बने हैं, वह बंगले जितने आगे हैं उतने ही पीछे बनने जा रहे हैं। इसलिये राज्य सरकार की कोई योजना तो होनी चाहिये या तो पैसा लेकर वह लोगों को दे दें अन्यथा वहां दीवार तो खड़ी कर दें ताकि लोग नाजायज कब्जे न करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, 365 बहुत आवश्यक है। यह आदिवासी छात्रावासों के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : आपका हर प्रश्न आवश्यक रहता है।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय यह आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

श्री नाथूराम : मैं मन्त्री महोदय से इसका जवाब चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह जवाब भेज देंगे सीधे-सीधे।

श्री नाथूराम : वहां पर राज्य के रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। यह छात्रावासों के सम्बन्ध में है, हरिजनों के सम्बन्ध में है। केवल दो मिनिट लगेंगे, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जवाब भेज दें।

श्री नाथूराम : यह आवश्यक प्रश्न है....

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों से सम्बन्धित है, इसको ले लिया जाय। इसका जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय इसका जवाब भेज देंगे।

श्री नाथूराम : जवाब से क्या होगा ? इसमें बहुत घोटाला हो रहा है। जवाब लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : छात्रावासों में अधीक्षक शराब पीते हैं, और....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग धंधे के विकास एवं विस्तार की योजना

352. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राजस्थान के उद्योग धंधों के विकास एवं विस्तार के लिये कोई नई योजना बना रही है ? यदि हां तो उस योजना का जिलेवार प्रारूप क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने कलकत्ता में उद्योग धंधों के बारे में स्टेटमेंट दिया उस आधार पर राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां तो वह क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां । योजना का राज्य-स्तरीय प्रारूप तैयार किया जा चुका है तथा जिलेवार प्रारूप तैयार किया जावेगा ।

(2) मुख्य मंत्री महोदय ने कलकत्ता में फर्टीलाइजर कॉम्पलेक्स एवम् मिनी-स्टील प्लान्ट की स्थापना के बारे में वक्तव्य दिया था । इन दो उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योग विभाग प्रयत्नशील है ।

उद्योगों में हड़ताल

356. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में चालू वर्ष में किन-उद्योगों में कब-कब कितने दिनों के लिए कितने मजदूरों ने हड़ताल रखी और हड़ताल करने के क्या कारण थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन हड़तालों की समाप्ति किन निर्णयों के साथ हुई और उन निर्णयों की क्रियान्विति हुई या नहीं ? ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) सरकार द्वारा इन हड़तालों के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई और क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) इन हड़तालों की समाप्ति किन निर्णयों के साथ हुई, यह भी उक्त विवरण में अंकित है ।

(3) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा क्या नतीजा रहा यह भी उक्त विवरण में अंकित है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर नगर में नजूल सम्पत्ति की नीलामी

359. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कलेक्टर उदयपुर द्वारा 1972 में कितनी-कितनी नजूल सम्पत्ति उदयपुर नगर में कितने-कितने मूल्य में नीलाम की गई ? प्रोपर्टीवार मय नीलाम में लेने

Page No 27

(27)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वालों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नीलाम मौके पर न किया जाकर कलेक्टर ने अपने दफ्तर में ही कर डाला ?

(3) उपरोक्त नजूल सम्पत्ति किन-किन सरकारी कर्मचारियों ने ली; उनकी सूची मय उनके ओहदे दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त नजूल सम्पत्ति में काफी पुराने किरायेदार बैठे हैं, जो नीलाम की रकम से भी अधिक रकम देने को तैयार थे तथा आज भी तैयार हैं ? यदि हां तो उचित मूल्य पर पुराने किरायेदारों को यह सम्पत्ति क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) जिलाधीश, उदयपुर द्वारा 1972 में उदयपुर नगर में कुल 21 अचल नजूल सम्पत्तियों की नीलामी की गई, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नये कमरों की व्यवस्था

166. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) दौसा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुल कितनी छात्रायें अध्ययन कर रही है ? कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय में कितने कमरे हैं तथा कितनी अध्यापिकाएं हैं ?

(2) क्या छात्र संख्या को देखते हुए विद्यालय में कमरे काफी हैं ?

(4) क्या विद्यालय में नये कमरे बनाने की व्यवस्था की जावेगी ?

उत्तर

(1) दौसा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुल 234 छात्राएं हैं जो निम्न प्रकार है:—

कक्षा 6–52, कक्षा 7 (अ)–29,
कक्षा 7 (ब)–24, कक्षा 8 (अ)–25,
कक्षा 8 (ब)–27, कक्षा 9 (अ)–24
कक्षा–9 (ब)–20, कक्षा 10–33।

(2) विद्यालय भवन में कुल मिला कर 6 कमरे हैं, हॉल जाफरीदार, 1 लम्बा बरामदा पार्टीशन सहित तथा 9 कोठरियां हैं, इसमें से एक कोठरी 8'×8' प्रधानाध्यापिका के कार्यालय के लिये है। विद्यालय में कुल 11 अध्यापिकाएं हैं।

Page No 28

(28)

(शिक्षा मंत्री)

(3) विद्यालय में कमरे अपर्याप्त हैं।

(4) अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

गांधी सेवासदन, राजसमन्द

167. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री देवेन्द्र-कुमार कर्णावट द्वारा राजसमन्द में गांधी सेवासदन नाम की संस्था संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो कब से और इसकी वर्त्तमान कार्यकारिणी में कौन-कौन सदस्य हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था के जन्मकाल से अब तक राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रवृत्तियों में दी गई सहायता की तालिका सदन की मेज पर रखने का का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था का बराबर ऑडिट किया जाता रहा है ? यदि हां तो उक्त ऑडिट रिपोर्ट्स को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि गांधी सेवा सदन की स्थापना दिवस से लगाकर अब तक उक्त संस्था द्वारा जितने रुपयों का सामान खरीदा जाता रहा उसके बिलों के संदर्भ में कभी भी सामान का फिजीकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया ?

(5) गांधी सेवासदन के अन्तर्गत जितनी तथाकथित प्रवृत्तियां चल रही हैं क्या कभी उनके चलने की वास्तविकता की जांच की गई है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त संस्था के संचालक श्री देवेन्द्रकुमार सन् 65-66, 67-68 में संचालक का वेतन संस्था से उठाते रहे, जब कि वे अणुव्रत समिति, दिल्ली में भी नौकरी करते रहने से वहां से भी वेतन लेते रहे ? यदि हां तो कितने साल तक वेतन लेते रहे ?

(7) गांधी सेवासदन राजसमन्द के भवन एवं कुए के निर्माण के लिये ऋण अथवा आर्थिक सहायता का अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो कब और कितना ?

उत्तर

(1) वर्त्तमान समय में गांधी सेवा सदन, राजसमन्द के संचालक के पद पर श्री मोहनलाल पुरोहित कार्य कर रहे हैं। श्री पुरोहित 1-4-72 से कार्यरत हैं। इसके पूर्व 1-4-71 से 31-3-72 तक सुश्री रसिकप्रिया ने संचालक के पद पर कार्य किया। इसके पूर्व 26-11-52 से 31-3-71 तक संचालक के पद पर श्री देवेन्द्रकुमार कर्णावट ने कार्य किया। संस्था का पंजीयन 25/56-57 दिनांक 5-9-56 से हुआ है। वर्त्तमान में कार्यकारिणी के सदस्यों की नामावली संलग्न है।

(2) गांधी सेवासदन, राजसमन्द की स्थापना 26-11-52 को हुई है। संस्था को राज्य सरकार द्वारा 1-4-57 से अनुदान दिया जा रहा है। वर्षवार दी गई अनुदानित राशि का ब्योरा संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

संस्था में निम्न प्रवृत्तियां चलाई जा रही हैं:—

1. बाल निकेतन 2. महिला उद्योग-शाला 3. पुस्तकाल एवं वाचनालय 4. समाज-शिक्षण केन्द्र ।

(3) उक्त संस्था का प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा बराबर लेखा की जांच की जाती रही है, जिसकी पत्रावली विद्यालय वरिष्ठ उप-निरीक्षक, राजसमन्द के कार्यालय में है। यह बहुत विस्तृत है।

(4) गांधी सेवासदन की स्थापना 26-11-52 को हुई है। स्थापना दिवस से अब तक जितने रुपयों का सामान क्रय किया गया, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना पाया नहीं गया। स्टॉक रजिस्टर सन् 1962 से रखा जाना मालुम हुआ।

(5) गांधी सेवासदन राजसमन्द के अन्तर्गत निम्न प्रवृत्तियां चलाई जाती रही हैं:—

1. बाल निकेतन, 2. महिला उद्योग-शाला 3. पुस्तकालय एवं वाचनालय, 4. समाज शिक्षण केन्द्र (समाज शिक्षण केन्द्र 1-4-72 से बन्द है) समय-समय पर विभागीय अधिकारियों के निरीक्षणोपरान्त यह जानकारी प्राप्त हुई है उक्त चारों प्रवृत्तियों 1, 2 व 3 निरंतर वास्तविक रूप से अब तक चल रही हैं। समाज शिक्षण केन्द्र प्रवृत्ति 1-4-72 से बन्द है। इसके पूर्व निरंतर वास्तविक रूप में चली।

(6) श्री देवेन्द्रकुमार कर्णावट ने सन् 65-66, 67-68 में संस्था ने निम्न प्रकार वेतन उठाया:—

अप्रैल 65 से मार्च 66 (65-66)
2040/– 170/– प्रतिमाह

अप्रैल 67 से मार्च 68 (67-68)
3364/-अप्रैल से सितम्बर 273/- प्रतिमाह

अक्तूबर	281/- ,,
नवम्बर से मार्च	289/- ,,

श्री कर्णावट के अणुव्रत समिति दिल्ली में नौकरी करने व वेतन लेने की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है। संस्था में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं पाया गया।

गांधी सेवासदन, राजसमन्द को भवन एवं कुए के निर्माण हेतु ऋण दिये जाने का कोई उल्लेख संस्था में नहीं मिला। संस्था को सहायता, अनुदान आदि जो दिया गया उसका व्योरा साथ संलग्न है:

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज.

168. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितने राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज हैं? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान के राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों का कम्पलसरी रिटायरमेन्ट

169. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत दो वर्षों में कितने गजटेड एवं नॉन-गजटेड अधिकारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(स्थगित किया गया)

जिलाधीश सवाईमाधोपुर, श्री हरिशचन्द्र पाण्डे के विरुद्ध शिकायतें

170. **श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिलाधीश, सवाई माधोपुर श्री हरिशचन्द्र पाण्डे की नियुक्ति आई. ए. एस. ग्रेड में कब से हुई और उसके पश्चात् कब से कब तक कहां-कहां किस-किस पोस्ट पर कार्य किया ?

(2) इनकी शिकायतें कब-कब कहां-कहां से क्या-क्या आई और किसके द्वारा जांच कराई गई ?

(3) सवाई माधोपुर में आने के पश्चात् उनके विरुद्ध कितनी शिकायतें कहां-कहां से प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) श्री हरिश्चन्द्र पाण्डे की नियुक्ति आई. ए. एस. में दिनांक 11 मई, 1959 में हुई। आई. ए. एस. में नियुक्त होने के पश्चात् उन्होंने जिस-जिस पदों पर कार्य किया उसकी सूची मय अवधि के संलग्न है।

(2) जो शिकायतें श्री पाण्डे के विरुद्ध प्राप्त हुई तथा जिनके द्वारा जांच कराई गई है, उसकी सूची संलग्न है।

(3) सवाई माधोपुर आने के बाद इनके विरुद्ध 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी सूची मय वस्तुस्थिति के संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सतर्कता आयोग द्वारा हथियारों के विक्रय से सम्बन्धित मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

171. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) एवं **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सतर्कता आयोग ने मई, 1968 में विभिन्न जिलों में हथियारों के विक्रय से सम्बन्धित मामलों में अपनी पड़ताल के फलस्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा ?

(2) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कितने-कितने अधिकारी उनमें थे ? उनके क्या-क्या नाम हैं व उस समय वे किस जिले में किस पद पर थे व वर्तमान में किस पद पर हैं ?

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(3) राज्य सरकार ने उक्त अधिकारियों के विरुद्ध किस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही सतर्कता आयोग से सूचना प्राप्त होने की कितनी अवधि पश्चात् की ?

(4) उक्त अधिकारीगण में से कितने अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं व उनके क्या नाम हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सतर्कता आयोग ने विभिन्न जिलों में हुए हथियारों के विक्रय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अलग-अलग रिपोर्ट भेजी थी जिनमें कुछ अनियमिततायें सामने आई थीं। विक्रय भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों ने भी किया था परन्तु सतर्कता आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु नहीं कहा गया था।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

रोहतास इण्डस्ट्रीज लि, डालमिया नगर (बिहार) को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण

172. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी) एवं **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि रोहतास इण्डस्ट्रीज लि., डालमिया नगर (बिहार) को राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1969-70 में 20 लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो उक्त ऋण किस तिथि को किन शर्तों पर स्वीकार किया गया ? शर्तों की प्रतिलिपि संदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋण उक्त कम्पनी को तत्काल मशीनरी या अन्य असेट्स के उपयोग हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त ऋण का कम्पनी द्वारा किस तिथि को उपभोग किया गया ? यदि नहीं तो किन कारणों से ऋण की राशि एक मुश्त में दी गई ?

(3) उक्त कम्पनी के ऋण के आवेदन के समय कौन संचालक थे ? संचालकों के नाम उनके पतों सहित बताने का कष्ट करें।

(4) उक्त कम्पनी द्वारा किस स्थान पर उक्त ऋण का उपभोग कैसे, कब व कहां किया गया और उसमें उत्पादन कब आरम्भ हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 7 जून, 1969 को रोहतास इण्डस्ट्रीज लि., डालमियानगर को 20 लाख रुपये का ऋण राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत किया गया था। ऋण की शर्तें संलग्न हैं।

(2) यह ऋण आवेदनकर्त्ता को फिक्स्ड एसेट्स क्रय के लिये दिया गया था। इस ऋण का वितरण तारीख 9 मार्च, 1970 को इस कम्पनी को 20 लाख रुपये के सिक्योर्ड डिबेन्चर्स की प्रतिभूति (Security) पर निगम के

(उद्योग मंत्री)

संचालकमण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर दिया गया था। इस ऋण की राशि का उक्त औद्योगिक संस्थान द्वारा 1 मार्च, 73 के पूर्व उपयोग कर लिया गया है।

(3) उक्त कम्पनी के ऋण के आवेदन के समय निम्न संचालक थे:—

1. श्री शान्ति प्रसाद जैन, चैयरमेन, टाइम्स हाउस, 7-बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-1
2. श्री मोहनलाल जालान, 34, चौरंगी, कलकत्ता-16
3. श्री सुकमल कान्ति घोष, 14, आनन्द चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-3
4. श्री नन्दलाल पोद्दार, 135 केनिंग स्ट्रीट कलकत्ता-1
5. श्री ई. आर. मेयर, 12, मेफेयर रोड, कलकत्ता-19

(4) उक्त कम्पनी द्वारा ऋण का उपयोग जयपुर में वृहत् आकार के वनस्पति प्लांट के फिक्स्ड एसेट्स पर किया गया है। यह कारखाना अभी निर्माणाधीन है। उसमें उत्पादन इस वर्ष जुलाई में होने की संभावना है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

राजस्थान में चोरियों के मामले

173. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1972-73 में कितने स्थानों पर चोरियां हुई तथा वर्ष 1971-72 में कितने स्थानों पर हुई थीं? इनमें से कितनी चोरियों का माल बरामद किया गया?

(2) कितने चोरों के विरुद्ध चालान पेश किये गये तथा कितने मुकदमों में सजा मिली?

उत्तर

(1) राज्य में सन् 1971 से सन् 1973 तक हुई चोरियों के सम्बन्ध में जिलेवार व वर्षवार सूचना संलग्न तालिका के कॉलम नं० 2 व 3 में की गयी है। उपरोक्त चोरियों में बरामद किये गये माल के सम्बन्ध में सूचना तालिका के कॉलम नं० 16 में दर्ज है।

(2) इस सम्बन्ध में चाही गई सूचना संलग्न तालिका के कॉलम नं० 10 व 11 में अंकित की गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जालौर में पुलिस थानो में फौजदारी मुकद्दमें

174. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में जिला जालौर के पुलिस थानों में फौजदारी मुकदमात पिछले वर्षों के अनुपात में ज्यादा दर्ज हुए हैं? अगर हां तो गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने मुकदमे दर्ज हुए? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) क्या यह भी सही है कि दर्ज-शुदा मुकदमात में ज्यादा मामले झूंठे पाये जाते हैं ? अगर हां तो कितने प्रतिशत मुकदमात झूंठे साबित हुए एवं कितने प्रतिशत मुकदमात का चालान किया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) पुलिस चालानशुदा मुकदमात में से कितने मुकदमों में सजाएं हुई एवं कितने मुकदमात में अभियुक्त रिहा या बरी किए गए ?

(4) पुलिस थानों में झूंठे मुकदमात कम दर्ज हों, इस बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सन् 1967 से 1972 तक की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चाही गयी सूचना संलग्न तालिका के कॉलम नं० 4 व 10 में अंकित की गयी है।

(3) चाही गयी सूचना संलग्न तालिका के कॉलम नं० 11, 12 व 13 में अंकित की गयी है।

(4) झूंठे मुकदमे दर्ज करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अदालतों से राज्य सरकार द्वारा वापिस लिये गये मामले

175. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) एवं श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा सन् 71-72 व 72-73 में अदालतों से किस-किस मामलों को वापिस लिया है या उसमें पैरवी नहीं की गई है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन मामलों को वापिस लेने या पैरवी नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) मुकदमे जो वापिस लिए गये हैं उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। और कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें पैरवी नहीं की गई हो।

(2) सम्बन्धित सूचना तालिका के कॉलम 5 में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला टोंक में अकाल राहत कार्य

176. श्री **राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या अकाल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में कुल कितने ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(2) जिले में कुल कितने अकाल राहत कार्य चालू किये जा चुके हैं ? कृपया सूची कार्यवार, तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला टौंक को अकाल राहत हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी धन-राशि आवंटित की गई है ?

(4) क्या कस्बा उनियारा में उसके आस पास के ग्रामों में अकाल घोषित है ? यदि हां, तो वहां क्या राहत कार्य खोला गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब-कब तक चालू हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला टौंक में कुल 1083 ग्राम हैं जिनमें से 625 ग्रामों को इस वर्ष अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया है, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) जिले में कुल 79 राहत कार्य चालू किये जा चुके हैं। कार्यवार, तहसील-वार सूची संलग्न है।

(3) टौंक जिले को अकाल राहत हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में कुल 11.74 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जा चुकी है।

(4) कस्बा उनियारा के आस पास के ग्रामों में कुछ ग्राम अभावग्रस्त हैं। जिले में जो राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनमें तहसील अलीगढ़ के काम भी शामिल हैं। इस समय जिले में लगभग 15,000 श्रमिक सहायता कार्यों पर लगे हुए हैं। उनियारा कस्बे के आस पास यह कार्य चालू है— कलवा बांध उनियारा, इन्द्रगढ़ रोड, टूटवा तालाब एवं काकोड फोरेस्ट किलोजर।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला अजमेर व उदयपुर में राहत कार्यों पर लगे श्रमिक

177. **श्री चिमनसिंह भाटी (भीम)**: क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष अजमेर जिले की अभाव-ग्रस्त जनसंख्या कितनी है ?

(2) इस वर्ष उदयपुर जिले की अभाव-ग्रस्त जनसंख्या कितनी है।

(3) 15 फरवरी, 1973 को अजमेर जिले के राहत कार्यों व उदयपुर जिले के राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की संख्या क्या-क्या थी।

(4) जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए इसमें अन्तर क्यों है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष अजमेर जिले की अभाव-ग्रस्त जनसंख्या 7,28 012 है।

(2) इस वर्ष उदयपुर जिले की अभाव-ग्रस्त जनसंख्या 14,25, 184 है।

(3) 15 फरवरी, 1973 को राहत कार्यों पर श्रमिकों की संख्या अजमेर जिले में 58,300 थी तथा उदयपुर जिले में 60,220 थी।

(4) सहायता कार्यों पर रोजगार उप-लब्ध करने का मामला जनसंख्या के किसी

Page No 35

(35)

(अकाल राहत मंत्री) निश्चित अनुपात से सम्बन्धित नहीं है। सहायता कार्यों पर क्षेत्र की अभाव स्थिति को देखते हुए श्रमिक संख्या में निरन्तर वृद्धि की जा रही है।

भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण का आवंटन

178. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या गृह निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा गत दस वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों में भवन निर्माण के लिये कितना ऋण अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत आवंटित किया गया है?

(2) सबसे अधिक राशि और सबसे कम राशि किस जिले में भवन निर्माण के लिये आवंटित की गई है?

(3) आवंटन करने में राज्य सरकार कौनसे आधारभूत सिद्धान्तों का परिपालन करती है?

(स्थगित किया गया)

अल्प आय व मध्यम आय वर्ग को भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण का आवंटन

179. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या गृह निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष सन् 1972-73 में राज्य के विभिन्न जिलों में भवन निर्माण के लिये कितना ऋण अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु आवंटित किया है।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1972-73 में अल्प आय व मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत जिस ऋण राशि का आवंटन जिलेवार किया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बाड़मेर जिले में ओल्ड एज पेन्शन के मामले

180. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मार्च, 1966 से अब तक बाड़मेर जिले में ओल्ड एज पेन्शन कुल कितने लोगों को मिल रही है? सूची मय नाम एवं पतों के तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त विषय में किन-किन की दरख्वास्तें पेण्डिंग हैं? तहसीलवार सूची मय नाम एवं पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त दरख्वास्तों पर कब तक निर्णय कर दिया जायगा?

उत्तर

(1) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 36

(36)

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पेण्डिग प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है। आशा है कि इन पर आगामी दो माह में निर्णय हो जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री निरंजननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है. जिनमें से एक में गलिया-कोट में बोहरा समाज के दो वर्गों में आपस में तनाव हो जाने की और दूसरे में राज-गढ तहसील के अकालग्रस्त केम्प खुड्डी व ढानी कुम्हारान पर काम कर रहे मजदूरों द्वारा उप-खण्ड अधिकारी के कार्यालय पर धरणा देने की चर्चा की गई है।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

शासकीय वक्तव्य

मद्यनिषेध नीति व आन्दोलन सम्बन्धी

मन्त्री महोदय ! बाद में लेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे काफी देर से सूचना मिली इसलिए मैं सब तैयारी नहीं कर पाया हूं। आपकी अनुमति हो तो दो घण्टे के बाद ले लें या साढ़े तीन बजे, चार बजे, जब चाहें।

श्री अध्यक्ष : साढ़े तीन बजे।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र प्रतिवेदन

श्री ओंकारलाल (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आयुक्त के उन्नीसवें प्रतिवेदन, 1969-70 को सदन की मेज पर रखता हूं।

आय-व्यय 1973-74 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री मनोहर कोठारी : आय-व्ययक....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कल बहुत से लोग बोल चुके हैं।

श्री मनोहर कोठारी : मैं नहीं बोला हूं। 1973-74....

श्री अध्यक्ष : शुरू कर दिया है। नैक्स्ट आपको मौका दे दूंगा।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : 1973-74 का आय-व्ययक, बजट हमारे सामने चल रहा है। मैं निवेदन करना

(श्री मनोहर कोठारी)

चाहता हूं कि इस राजस्थान की विधान सभा के इतिहास मे इतना सुन्दर और इतना प्रगतिशील बजट आज के पहले कभी नहीं रखा गया है। समाजवाद की दिशा में वस्तुतः यह एक बड़ा ही सुखद प्रयोग है और एक सुन्दर कदम है। मैं कहना चाहता हूं इस दृष्टि से कि राज्य सरकार के द्वारा दबे हुए लोगों, आम जनता पर इस बार कर भार नहीं लगाया गया है। लेकिन उसके साथ ही जहां तक मैं समझता हूं, राज्य सरकार के निरर्थक खर्चों में कमी नहीं की गई है। यह जरा एक देखने वाली बात है। यदि हमारे वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ विचार करें और यह देखें कि हमारे राज्य का जो भारी भरकम व्यय है, जो निरर्थक खर्च है, जो वैभव पर किया जाता है, कुछ अधिकारियों के, उसे कम किया जाय और यदि उससे कुछ रकम की बचत की जा सके तो हमारे प्रदेश के विकास में उसका उचित लाभ हो सकता है। जो बजट बनाया गया है उसमें कई हमारी जनता की महत्वाकांक्षाओं की ध्वनि भी प्रकट होती है लेकिन साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसकी पूर्ति करने का काम हमारे राजतंत्र पर है, शासन तंत्र पर है। अध्यक्ष महोदय महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर वर्षों तक हम लोगों ने जनतन्त्र के स्वप्न संजोये और देश की आजादी के बाद हम उस कदम पर आगे चलना चाहते थे। गांधीजी की यह कल्पना थी कि सही मायने में शासन तन्त्र जनता का शासन तन्त्र हो और इसलिए हमने उसका नाम जनतन्त्र दिया है, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें तन्त्र के लिए जनता का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शासन तन्त्र में परिवर्तन करने की नितान्त आवश्यकता है। कई निरर्थक अधिकारियों की भीड़ लगी हुई है उसे कम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के वैभव पर रात-दिन अन्धा-धुन्ध खर्च किया जाता है उसे कम करने की आवश्यकता है और यदि इन सब चीजों में हम कमी कर लें, तो जो पैसा हम बचा सकेंगे, उससे

(12·6 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राज्य के विकास को और त्वरित गति से आगे बढ़ा सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय इस बजट में एक बहुत ही सुखद बात यह है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष एक हजार प्राथमिक विद्यालयों और एक हजार पांच सौ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। गत वर्ष भी राज्य सरकार ने शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया था और एक हजार प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। मैं कहना चाहता हूं हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात की ओर भी इंगित कर दिया है कि छः से ग्यारह वर्ष तक के बच्चों में से कम से कम इस वर्ष के अंत तक पचास प्रतिशत बच्चों की अनिवार्य शिक्षा हो सकेगी, और इसी तरह माध्यमिक स्तर के 31 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य वह मान कर चलते हैं। जहां एक ओर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की दिशा में हम प्रगति करेंगे, वहां दूसरी ओर जैसा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने इशारा किया है, छः हजार के लगभग हमारे जो

(श्री मनोहर कोठारी)

शिक्षक बेरोजगार हैं उन्हें शिक्षक के पद प्राप्त हो सकेंगे। यह वस्तुतः एक सुखद बात है। मैं निवेदन करना, चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जैसा पहले कह चुका हूं, प्रशासन को चुस्त करने के लिए प्रशासन को साफ-सुथरा और निर्मल करने के लिए और प्रशासन में जो मितव्ययता लाने की आवश्यकता है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक प्रशासनिक आयोग का गठन करें और इस बात को देखें कि आया इन सचिव, पहले कमिश्नर, कमिश्नर के बाद सचिव, सचिव के बाद फिर अतिरिक्त सचिव, फिर उसके बाद उप-सचिव, सहायक सचिव यह भारी भरकम लम्बी जंजीर चल रही है प्रशासन की, उसमें कितनों की आवश्यकता है कितनी इसकी उपादेयता है और कितनों को रखने की आवश्यकता है। यह डी० आई० जी० की लम्बी फौज आखिर किस मसरफ की है। मैं यह जानना चाहता हूं। वह पोस्ट ऑफिस से ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार वह सोचने लगी है कि सी० आई० के सर्किल कम कर दिये जायं, सी० आई० के सर्किल की आवश्यकता है उसे तो कम करने की बात सोचते हैं, लेकिन डी० आई० जी० के पद बनाये रखना चाहते हैं—इसमें कोई औचित्य नहीं है, कोई तुक नहीं है। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करे और एक प्रशासनिक आयोग का गठन करे जिससे कि सारे का सारा पता लगाया जा सके।

अकाल के सम्बन्ध में निवेदन है, अकाल का एक लम्बा चौड़ा इतिहास है। राजस्थान का दुर्भाग्य यह है कि प्रति वर्ष हमारे यहां अकाल पड़ता है, कभी किसी बड़े भू-भाग में पड़ता है, कभी कहीं पड़ता है। इस बार तो राजस्थान के छब्बीस, पूरे के पूरे जिलों में से चौबीस जिलों में भयानक अकाल है। उस अकाल की विभीषिका इतनी भयानक है कि देखने से रोमांच हो जाता है। एक तरफ खाद्यान्न की कमी है, दूसरी तरफ लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, बाजार में अनाज बिल्कुल छिप गया है। आज गरीब आदमी के सामने एक समस्या आ गई है कि वह अपने जीवन का निर्वाह कैसे करे अपने अस्तित्व को कैसे बनाये रखे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार लेवी वसूल करने की बात सोचती है, लेकिन लेवी वसूल हो नहीं पाती और सरकार सफल नहीं हो पाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो लगान किसानों से वसूल करती है और बड़ी-बड़ी रकम वसूल करती है, तो राज्य सरकार को क्या कठिनाई है और यदि राज्य सरकार लगान नकद न लेकर अनाज के रूप में ले ले? मैं समझता हूं आप उन्नत कोठे खाद्यान्न के, बड़े भंडार अनाज के इस आधार पर निर्माण कर सकेंगे लेकिन राज्य सरकार इस बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती मैं नहीं जानता।

अभी अभी एक बात अखबारों में देखने को मिली कि भारत सरकार के मंत्री श्री अन्ना साहब शिंदे ने राजस्थान के अकाल की विभीषिका को स्वीकार किया है, और हमारे लोक सभा के सदस्य हैं, उनको भी आश्वासन दिया है कि राजस्थान को खाद्यान्न की दृष्टि से और अकाल राहत की दृष्टि से भी पूरी-पूरी सहायता की

(श्री मनोहर कोठारी)

जायेगी । अभी थोड़े ही दिन पहले, उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय उदयपुर में पधारे थे। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से अकाल की स्थिति का अवलोकन किया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वास्तव में इस प्रकार का भयंकर अकाल राजस्थान में पहले कभी नहीं पड़ा। अब अकाल राहत कार्य शुरू हो गये हैं लेकिन कई जगह परिचय-पत्र मजदूरों को नहीं भेजे गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार कम से कम इस स्थिति का जायजा ले और यह अकाल के जो अकाल राहत कार्य शुरू हुए हैं, वहां कम से कम वहां के लोगों को रोजगार मिले, धन्धा मिले इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन विभाग के पास कहीं औजारों की कमी है तो मजदूरों को लौटा दिया जाता है और कहीं परिचय-पत्र नहीं भेजे हैं तो मजदूरों को लौटा दिया जाता है। यह स्थिति बहुत दुखद और भयंकर है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आपने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि पहले के अकाल राहत कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा करने की दिशा में ठोस कार्य-वाही करनी है, और दूसरी तरफ मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में खमरोड़ लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम पर पहले अकाल में करीब 1,08,000 रुपये खर्च किये गये, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। वहां पर उस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है जिससे कम से कम दो हजार बीघा भूमि की सिंचाई हो सकती है। वहां टैंक बन चुके हैं मकान बन चुके हैं और सिंचाई के लिये जो नहरें बननी चाहियें, वह सब बन चुकी हैं। लेकिन राज्य सरकार केवल एक छोटी सी रकम के लिये भी उस योजना को पूरा नहीं कर पा रही है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी योजनाओं को तत्काल हाथ में लेकर पूरा किया जाना चाहिये।

राज्य सरकार ने इस बार एक बात का विशेष ध्यान रखा है की अकाल में एक तरफ तो लोगों को पूरा राशन नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ उनसे पूरी मजदूरी लेते हैं। पानी की कमी है और गन्दा पानी लोगों को पीने को मिलता है, तो इससे बीमारी फैलेगी। राज्य सरकार ने अकाल क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिये 45 लाख रुपये का प्रावधान किया है और एक बात और अच्छी है कि कम से कम 80 लाख रुपये उनके मेटीरियल कम्पोनेंट और औजारों के लिये भी स्वीकार किया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि उदयपुर जिला पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में अकाल राहत कार्य, चाहे वह छोटे से छोटे एनीकट का काम ही हो या सड़क बनाने का हो, यदि मेटिरियल कम्पोनेन्ट नहीं होगा, यदि उसके लिये प्रोविजन नहीं करेंगे तो वहां काम नहीं हो सकता है। वरना तो अकाल के नाम पर केवल धन का दुरुपयोग होगा, जिसको रोकने के लिये हमको कोशिश करना आवश्यक है।

आज घास की वहां कमी है। हमारे खाद्य मंत्री और अकाल राहत मंत्री इस बात की घोषणा करते हैं कि घास का हम

(श्री मनोहर कोठारी)

प्रबन्ध नहीं कर सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि कम से कम आप यह सोचिये कि आज पानी की कमी के कारण किसानों के पशु मर रहे हैं, उनके पास कोई चारे का साधन नहीं है। तो अगले साल जब बरसात होगी जुलाई के बाद, उस समय किसानों के पास उनके बैल नहीं बचेंगे। उस वक्त वह बिना अपने जानवर के, बिना अपने बैलों के कैसे अपनी जीविका चला सकेगा इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि वह कम से कम इन किसानों के बैलों को बचाने के लिये किसी तरह घास का प्रबन्ध करे जिससे सारी की सारी हमारी विलेज इकोनॉमी, हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सुधार आ सके, वरना लोग परेशान हो जायेंगे।

इस बजट भाषण में दो और महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती है। वह यह है कि हरिजन और आदिवासियों की बस्तियों में पानी के नलों का प्रबन्ध करने के लिये और बिजली पहुँचाने के लिये आखिर राज्य सरकार ने कुछ रकम अलॉट की है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। प्रतिवर्ष राज्य सरकार बराबर इस बात की कोशिश करती है कि जो लोग दबे हुए हैं, जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, उनको कुछ सहायता उपलब्ध हो और उनके लिये बिजली और पानी पहुँचाने के लिये कुछ पैसे का प्रावधान करते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा वह पैसा इस प्रयोजन से दिया जाता है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारा अनुभव यह रहता है कि उस पैसे से उन हरिजन और आदिवासी लोगों के मोहल्लों में ना बिजली पहुँचती है और न पानी पहुँच पाता है, और उस पैसे का उपयोग सवर्ण जाति के मोहल्लों में किया जाता है। यह बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इस रकम को निश्चित तौर से उन दबे हुए वर्गों के मोहल्लों में ही उपयोग करना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा में बिजली और पानी का प्रबन्ध उन मोहल्लों में नहीं है जहां रेगर खटीक और दूसरी हरिजन कौमें रहती हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को निश्चित कार्यवाही करनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि पैसे का उपयोग सही मायने में, उन लोगों पर ही होता है जिन के लिये प्रावधान रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सुविधा के लिये भी इस में कुछ बातें कही गई हैं और यह कहा गया है कि हमने इस वर्ष 38 डिस्पेन्सरीज चालू कर दी हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र जिसकी आबादी 80 हजार से लेकर सवा लाख तक होती है, वहां पर केवल एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र से काम नहीं चलता। राज्य सरकार ने पहले एक बात की घोषणा की थी कि जो परिवार नियोजन केन्द्र है वहां पर जो डाक्टर रहते हैं, उनकी बिल्डिंग एक जगह होगी और उनके हैडक्वार्टर्स दूसरी जगह पर होंगे, जिससे कम से कम दो स्थानों की चिकित्सा सुविधा मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां कुछ जगहों पर अलग-अलग भवन बनाये गये, वहां राज्य सरकार ने फिर बंदिश लगा दी कि इन भवनों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की सुविधा ही चलाई जायेगी और उसके बाद यह सारी की सारी योजना एक जगह ही

(श्री मनोहर कोठारी)

केन्द्रीत होकर रह गई। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में भी राज्य सरकार वापिस यह तय करे कि कुछ अलग-अलग जगहें हैं, उनको अलग रख सकते हैं..............

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा सा समय और चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय !

अब एक बात नाथद्वारा टेम्पल टाउन के लिये निवेदन करना चाहूंगा। अभी महामहिम राष्ट्रपति नाथद्वारा पधारे थे उनके सामने भी यह प्रश्न रखा गया था कि हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक पहले नम्बर में तो श्री तिरूपति का मंदिर आता है, और उसके बाद में नाथद्वारा का नाम आता है। उपाध्यक्ष महोदय, तिरूपति बालाजी में जिस व्यवस्था के अनुसार, जिस योजनाबद्ध तरीके से विकास हो रहा है, उससे वहां पर एक विश्वविद्यालय चलाया जा सकता है। वहां पर बड़ी-बड़ी योजनाएं बना कर जनता को लाभ दिया जाता है। लेकिन नाथद्वारा के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। हमने राज्य सरकार को एक लम्बे समय से नाथद्वारा को टेम्पल टाउन बनाने के लिये योजना पेश कर रखी है, जिसमें राज्य सरकार को कोई विशेष खर्चा नहीं होगा, लेकिन उससे बाहर से आने वाले यात्रियों को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा और वह नाथद्वारे के लिये कुछ योगदान दे सकेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नाथद्वारा को टेम्पल टाउन स्थापित किया जाये, ऐसी घोषणा की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बहुत ही उल्लेखनीय बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे प्रान्त में ही नहीं अपितु हमारे पूरे देश में, पूरे हिन्दुस्तान में हल्दीघाटी का स्थान है वह ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। यह स्थान किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज थर्मोपोली का नाम दुनिया के इतिहास में विख्यात है उससे भी कम महत्वपूर्ण हल्दीघाटी का स्थान नहीं है यह हमारे देश के गौरव का स्थान है राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। उपाध्यक्ष महोदय थर्मोपोली की जाति तो आज दुनिया से उठ गयी है फिर भी उसके सम्मान को लोग बरकरार रख रहे हैं लेकिन हल्दीघाटी के स्थान को और उसके युद्ध में हिस्सा लेने वाले भील सरदार की स्वामिभक्तता (महाराणा प्रताप) की तलवार का जौहर, राजपूत जाति की वीरता तथा भामाशाह जैसे व्यक्ति के त्याग और बलिदान की याद को आज तक कोई बरकरार नही रखी जा रही और नहीं उनकी याद कायम दुनिया में रहे उसके लिये कोई समीचीन राष्ट्रीय मेला अथवा कोई वहां पर लोगों की कोई प्रतिमा भी नहीं रखी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज कई छोटे-छोटे स्थानों पर राज्य सरकार ने कई मेमोरियल्स बना दिये हैं, जैसे पुलिस मेमोरियल वगैरह लेकिन हल्दीघाटी के उन वीरों के लिये जिन्होंने देश के लिये अपना सर्वस्व लुटा दिया उनके लिये कोई भी कार्य राज्य सरकार द्वारा आज तक नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी जगह है जहां पर हम अगर कोई राष्ट्रीय मेला लगायें तो उससे लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा मिल सकती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां कोई हल्दीघाटी के विकास के लिये

(श्री मनोहर कोठारी)

समीचीन विकास कार्यक्रम को लिया जाय। मैं आपको निवेदन करूंगा कि कुछ वर्षों से पहले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र-प्रसाद जब हल्दीघाटी के ऐतिहासिक स्थान पर गये थे तो उन्होंने हल्दीघाटी की धूल को अपने सर के ऊपर लगाया। इसी प्रकार जब हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री हल्दीघाटी के स्थान पर तो श्री लाल बहादुरजी ने उस जमीन को नमस्कार किया और इसी प्रकार जब हमारे देश के वयोवृद्ध नेता श्री पुरषोत्तमदास टण्डन और आचार्य कृपलानी जी हल्दीघाटी के स्थान पर गये तो उन्होंने वहां के वीरों को श्रद्धांजली अर्पित की। और यह कहा कि इस का विकास होना चाहिये। पर बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय महत्व के स्थान के लिये कुछ भी नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय मैंने इस सदन में एक प्रश्न भी किया था जो कि कल आने वाला था पर वह आ नहीं सका। मैं राज्य सरकार से यह पुरजोर निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार हल्दीघाटी–के इस ऐतिहासिक स्थान के विकास के लिए कोई निश्चित योजना बनाये जिससे इस स्थान के लोगों को जो यहां आते हैं प्रेरणा मिले। और हल्दीघाटी का विकास हो सके। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय वह भी विशेष महत्वपूर्ण है वह यह है कि नाथद्वारा के पास ही एक जगह आयी हुई हैं रुकमणगढ। वहां के छापड़ और उदासर जो कि नाथद्वारा के पास ही स्थान आया हुआ है वहां पर हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। उपाध्यक्ष महोदय यह वही जगह हैं जहां पर हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी श्री वीर तातियां टोपे ने आजादी की आखिरी लडाई अंग्रेजों से लड़ी थी। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि यहां पर उन वीरों का एक स्मारक तो बनना चाहिये ताकि आने वाले जमाने के लोगों को इस ऐतिहासिक स्थान की याद रहे। पर अत्यन्त खेद की बात है कि न तो भारत सरकार ने इनके लिए कुछ भी किया न ही राज्य सरकार ने कुछ किया। कम से कम उपाध्यक्ष महोदय ऐसे राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्थानों पर उनके स्मारक तो बनने चाहिए। पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि राजस्थान में इन स्थानों का इतिहास के बारे में कुछ लिखा जा रहा है लेकिन पता नहीं वह भी अब किस खड्डे में पड़ गया। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक स्थानों के गौरव जरूर बढ़ाये। आज आप महा-राष्ट्र में जाइये आपको जगह-जगह शिवाजी की मूर्तियां मिलेंगी। आपको भी हल्दी-घाटी में भील सरदार की, महाराणा प्रताप की और भामाशाह की प्रतिमायें लगाकर इस ऐतिहासिक स्थान का महत्व बढ़ाना चाहिये मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उपाध्यक्ष महोदय नाथद्वारा और उसके आसपास के इलाके की हमेशा से ही उपेक्षा की जाती रही है यहां तक कि कुछ कार्यालय पहले जो नाथद्वारा में स्थित थे उन्हें भी हटाया जा रहा है जैसे असिस्टेन्ट इन्जीनियर का कार्यालय नेशनल हाईवे का। उसे अब उदयपुर ले जाया जा रहा हैं। इस प्रकार से नाथद्वारा में जो सर्किल इन्सपेक्टर का कार्यालय था उसे भी स्थाना-न्तरित किया जा रहा है। तो इसका मत-लब यह हुआ कि आप नाथद्वारा को बिल्कुल

(श्री मनोहर कोठारी)

ही बेकार बना रहे हैं। आपने नाथद्वारा को विकास कार्यक्रमों से बिल्कुल हटा दिया है। अगर आप यह जानते हैं कि नाथद्वारा राजस्थान में नहीं है तो हमें साफ-साफ बता दीजिए ताकि हमें कम से कम सन्तोष तो हो जाये कि नाथद्वारा राजस्थान में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा का महत्व बहुत है, इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। इसका इतिहास गौरवपूर्ण है इसलिए इस स्थान का दत्तचित्त होकर विकास किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा कुछ सिंचाई के बारे में भी निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार बड़ी-बड़ी योजनाओं को हाथ में ले रही है लेकिन छोटी-छोटी योजनायें, जिन पर कि राज्य सरकार द्वारा एक-एक लाख रुपया तक खर्च हो चुका है उन अधूरे कार्यों को तो पूरा किया जाय ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। जैसे, उपाध्यक्ष महोदय, भाटी का तालाब, जिस पर कि एक लाख रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन इस साल उसके लिए कोई भी प्रावधान आपने नहीं रखा। इसी प्रकार घोड़ा घाटी के तालाब के लिए 6 लाख रुपये की योजना स्वीकृत हुई, जिसमें 20 हजार रुपये तो खर्च हो चुके हैं लेकिन अगर हम बीस-बीस हजार रुपये ही खर्च हर साल करेंगे तो यह योजना कितने वर्षों में बन कर तैयार होगी आखिर उन लोगों को सिंचाई के लिये पानी कितने वर्षों के बाद मिलेगा? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन छोटी योजनाओं को जल्दी ही पूरी कराई जाय ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। इसके अलावा एक बात मैं और जो सब से ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, निवेदन करना चाहता हूं वह है कि खनिज के बारे में। आज उपाध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका चाहे गरीब है लेकिन गौरव की दृष्टि से और शौर्य की दृष्टि से और खनिज की दृष्टि से हमारा इलाका देश में सबसे ज्यादा सम्पदापूर्ण और सब से ज्यादा धनवान है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिए, जितने माइनिंग लीजेज दिये जायें, खनिज के जितने भी लाइसेन्स आप खनिज के लोगों को ग्रान्ट करते हैं उसमें यह बात जोड़ दी जाये कि जहां पर जो खनिज निकलता है उसके बेस पर ही उन खनिजों से संबंधित उद्योगों की स्थापना की जाये ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले और वहां का विकास भी हो। पर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक कोई उद्योग उन खनिजों पर आधारित नहीं खोले गये हैं। इसके अलावा हमारे घोड़ा घाटी के पास ऐसी चीज पाई जाती है जो रंग के काम आती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस उद्योग को भी बढ़ाया जाय। और जो लीजेज ग्रान्ट की जायें उसमें यह शर्त रखी जानी चाहिये कि उन उद्योगों को लगाने वालों को वहीं पर उद्योग लगाने पड़ेंगे ताकि वहां का विकास हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक हमारी सरकार की जो धुरी थी वह शहर थे या कुछ गांव लेकिन मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों का विकास तो काफी हो चुका है अब आप शहर से गांवों का विकास करिये। इन शहरों के विकास करके आपने काफी जनता को भरमाया है लेकिन मैं आपसे निवेदन कर

(श्री मनोहर कोठारी)

हूं कि अभी तक राजस्थान का विकास नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ शहरों का विकास ही राजस्थान का विकास नहीं है।

इस में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैं भी यह कहना चाहता हूं कि दारूबन्दी नहीं करने का परिणाम यह है कि जो झोंपड़े आज तक दबे हुए हैं, जिनके घरों में न तो दिये की रोशनी चमक रही है, न उद्योग में आगे बढ़े हैं, न जिनका जीवन स्तर सुधरा है, आज के युग की सब ही उपलब्धियों से वंचित उन लोगों को कम से कम बचा लीजिये। हमारे यहां के गरीब तबके में दारु का प्रचलन है उसको रोक दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

देश की भलाई और उन लोगों की भलाई की दृष्टि से भी दारूबन्दी कीजिये। आपको जन पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और शिक्षा की दृष्टि से भी लाभ होगा।

एक बार यह कहते हुए कि गुड़ खण्डसारी पर जो आपने टैक्स लगाया है वह मुझे उचित नहीं जचता है। आप शहरी सम्पत्ति पर कर लगाने की जो रेट है उसको और बढ़ा दीजिये और आप इसकी उधर से पूर्ति कर लीजिये लेकिन गुड़ खंडसारी के उद्योग पर, जो सहकारिता के आधार पर चलाया जाता है, मेरी स्वयं की कान्स्टिटे-यूएन्सी में आठ ऐसे उद्योग हैं, उन पर यह टैक्स नहीं लगायें। उनको समय पर गन्ना सप्लाई नहीं किया और भोपालसागर को लाभ पहुंचाने के लिये उनको सप्लाई किया। उनको फरवरी से पहले लाइसेन्स नहीं दिया और जो लोग पहले इस दृष्टि से डर रहे हैं उनको आप और मौत के घाट उतारना चाह रहे हैं। आप शक्कर के कारखानों पर टैक्स लगा दीजिये, समाज-वाद के रास्ते में छोटे-छोटे उद्योगों का विकास कीजिये क्योंकि उसकी आवश्यकता भी है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं तथा सन् 1973-74 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री महोम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में सुमित्राजी ने जो शेर पढ़ कर सुनाया उसको दोहराते हुए शुरू करूंगा।

'बहुत शोर सुनते थे पहलु में दिलका,
जो चीरा तो कतरा-ए खून निकला।

श्रीमती सुमित्रा : खून न निकला।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं माफी चाहूंगा सुमित्राजी, आप ठीक समझी इसको जो मैंने कहा है। 'खून न निकला' यह तो नाम मौजूं हो जाता है। यह लिट्रेचर की बात नहीं है। मौजूं और नामौजूं की बात है। मुझे माफ करें। आप इसको सही कर लें।

जब बजट आया और गुजिश्ता साल जब चुनाव हुए कांग्रेस को मैसिव सपोर्ट दिया और प्रगतिशील नीतियां, जिनकी घोषणा कांग्रेस ने की थीं, उसके आधार पर। शायद इतिहास में आजादी के बाद कांग्रेस को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जितनी गुजिश्ता चुनाव में मिली। उस समय ऐसा खयाल था कि यह पहला बजट है इसलिए इस मर्तबा तो आशा नहीं कर सकते राज्य सरकार बहुत बड़े

(श्री मो० गफ्फार अली)

कदम उठाने का साहस कर सकेगी। जब दूसरा बजट आया तो उस पर आशा लगाये बैठे थे लेकिन वह तमाम आशा निराशा में बदल गयी यह सही है, हमारी मान्यता यह है कि कुछ प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं मसलन यह कि जहां यह कहा गया कि प्रोपर्टी पर टैक्स लगाये जायें वह सही दिशा में एक कदम है। और मैं राज्य सरकार को उस कदम को उठाने के लिये मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में कहा उसकी मैं उसके लिये सराहना करता हूं। थोड़ी-थोड़ी बातें उन्होंने कही हैं उसके लिये मैं उनकी सराहना करता हूं।

जहां तक कानूनों का सवाल है, जहां तक सीलिंग एक्ट का सवाल है और शहरी सम्पत्ति का सवाल है इन कानूनों में जो कुछ भी किया गया है उसके बारे में हमारी मान्यता है कि राज्य सरकार अपने अन्दर प्रतिक्रियावादी गुट के सामने झुक चुकी है। यह जो कानून बनाया है उसके मुताबिक न तो ऐसी जमीन उपलब्ध होने वाली है एग्रीकल्चरल लैंड जो जन-जाति और अनुसूचित जाति के बीच में वितरण कर सके। उन कानूनों के बारे में इसमें तारीफ की गई उसके लिये मेरा यह कहना है कि इसका तजकरा बजट में न किया जाता तो अच्छा होता। जिस शक्ल में ये आये थे उसको खत्म कर दिया गया और जो कानून भ्रष्टाचार रोकने के लिये बनाया गया उसको जब बनाया तो जिन्दा था लेकिन बाद में उसका जनाजा निकल गया। किस तरह के बजट की आशा करते थे और कैसा लाया गया?

आपको भलीभांति मालूम है पड़ौस में दो छोटे-छोटे सूबे हैं। पंजाब और हरियाणा के नाम से मशहूर हैं। पंजाब के एक कोने से दूसरे कोने तक चले जायें, प्रतापसिंह कैरो, जिनके लिये यह मशहूर था कि वह खतरनाक आदमी है और अफसोसनाक तरीके से उनकी मौत हुई लेकिन पंजाब की एक-एक गली में कोटेज इन्डस्ट्री लगाई, निर्माण किया और इसी कारण आज पंजाब इतना खुशहाल है। हम यह देखें कि हमारे यहां एक विकास फन्ड कायम किया गया है। हमारे यहां इकोनोमिक सर्वे की कमेटी का निर्माण हुआ और उसने रिपोर्ट पेश की "टेक्नो इकोनोमिक सर्वे ऑफ राजस्थान"-उसमें 72 आइटम लिये जिसके लिये स्पष्ट किया है कि 74 तक पूरे हो जाने चाहियें। यह सही है कि हमारे सूबे में फेरस मेटल्स नहीं हैं। हमारे यहां लोहा और कोयला का उत्पादन नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत उपलब्ध होता है लेकिन उससे बड़ी फैक्ट्रीज कायम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे नॉन-फेरस मेटल्स हैं जिनके ऊपर डिपेन्ड कर सकते हैं और भंडार कसरत से है। कॉपर, जिंक, लैड थोड़ा बहुत सिल्वर और नॉन-मेटल्स हैं जैसे लाइम स्टोन, सेन्ड स्टोन मार्बल स्टोन। इस प्रकार को चीजें हमारे यहां अपार मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन हम देखते हैं कि राज्य सरकार इन्डस्ट्रीज की तरफ और खनिज के स्टॉक की तरफ उदासीनता बरत रही है। इन सब की भलाई राजस्थान की भलाई उस वक्त तक संभव नहीं है जब तक पूरा पक्का इरादा न करें कि राजस्थान में इन्डस्ट्रीज का निर्माण कार्य

(श्री मो० गफ्फार अली)

चलायेंगे और हर जगह बढ़ायेंगे। जैसे आपने आंकड़े पेश किये बजट में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर से जो इन्कम है उसके मुकाबले इन्डस्ट्रीज में कितनी है। एग्रीकल्चर से इन्कम है 38.10। फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट और माइनिंग से है 5 परसेन्ट। 4.66 परसेन्ट फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट से और माइनिंग से 58 परसेन्ट। 55 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर से तथा 14104 रुपया फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेन्ट से मिलता है। 72 आइटम लगाने थे। उसमें यह तजकरा किया गया कि 16, 17 इकाइयां कायम कर दी गई हैं और आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं, पहले भी दोहराया गया और जितना बजट आता है उसमें दोहराया जाता है। आप इन्द्र भगवान और उसके रहम करम पर राजस्थान की किस्मत को कब तक चलाते रहेंगे। उद्योग हाथ में नहीं लेते, जमीन सोना उगलती है। गारनेट की माइन्स, एमरेल्ड की माइन्स, ऐसी सोपस्टोन की माइन्स जिनकी लम्बी लीज दे रखी हैं उनसे लाखों-करोड़ों रुपये गोलेछा ब्रदर्स ने कमाये हैं और कमा रहे हैं जो कि आज हिन्दुस्तान के बहुत बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों में हो गये हैं। आज हम उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि सरकार पर पूंजीपतियों का प्रभाव है। अभी इस सरकार का कैरेक्टर नहीं बदला है। मैंने सोशलिज्म की तलाश बहुत की इस बजट में। केवल एक शक्ल में थोड़ी झलक भर जरूर मिली इसकी जिसके मार्फत सरकार ने शहरी सम्पत्ति पर टैक्स लगाने की बात कही, बाकी कह सोशलिज्म की शक्ल देखने को नहीं मिली मुझे इसमें।

जब तक आपकी आमदनी का मेन सोर्स एग्रीकल्चर से रहेगा आपकी मुसीबतें कम नहीं होंगी क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। खेती के लिये पर्याप्त पानी चाहिये और पानी लाना हमारे वश की बात है नहीं। बहुत बड़े-बड़े बांध बनाना भी हमारे वश की बात नहीं है।

आपके वश की बात है कारखाने कायम करना। आप पिछड़े इलाकों में कारखानों का जाल बिछा दें। एक स्कीम आपकी आई भी थी जिसे आप कई सालों से बराबर उसी रूप में दोहराते जा रहे हैं कि अलवर में स्कूटर फैक्ट्री थ्री व्हीलर की फैक्ट्री लगावेंगे, टौंक में चमड़े का कारखाना लगावेंगे। यह खुशनुमा मन्दिर की तस्वीर पहले भी पेश की जाती रही, और आज भी पेश की गई है। इकोनोमिक सर्वे के वक्त भी आपने यह बात कही थी कि हम 72 आइटम यहां लगाने जा रहे हैं। पर उस वक्त से आज दिन तक न कारखाना कायम हुआ न इसमें कोई प्रगति हुई। हर बजट में कह दिया जाता है कि इनके लिये इतना प्रावधान कर दिया गया है। अब की मर्तबा जरूर हो जावेगा पर हुआ कभी नहीं। मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप तय कर लीजिये की आप एग्रीकल्चर की इन्कम से संकट पार नहीं हो सकते और जो एम्प्लॉयमेन्ट की पोटेन्शियेलिटी है उसका पूरा एक्स्प्लोइटेशन नहीं हो सकता जब तक आप अपने प्रदेश में जगह-जगह उद्योग-धन्धे कायम नहीं करेंगे बड़े-बड़े उद्योग धन्धे कायम नहीं कर सकते तो छोटे-

(श्री मो० गफ्फार अली)

छोटे उद्योग ही कायम करें, कॉटेज इण्डस्ट्रीज का ही जाल बिछा दें। हरिजन लोगों को इनमें लगाइये। बेकार इन्जीनियरों को इसमें खपाइये। ऐसा सोशलिज्म जिसमें औद्योगीकरण न हो, कल-कारखाने न हों, सोशलिज्म नहीं हो सकता।

और भी मसले हैं जिनके बारे में भी निवेदन करूंगा। आप बहुत बड़े कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं। इस कर्जे से बेबाक होने के मामले में आप काफी उदासीन हैं और यह आपकी उदासीनता अफसोसजनक है। इसके कारण राज्य सरकार की हिम्मत के काम करने की जरूरत ही नहीं होती। आज इस सरकार पर 800 करोड़ का कर्जा है। यह कर्जा हमने संकट के समय लिया था। विकास के काम के लिये बहुत कम लिया है। हमारा इतिहास गौरवपूर्ण गाथाओं से भरा हुआ है। हमने दुनियां भर के लोगों की वक्त पर मदद की है। इतिहास इसका साक्षी है। बंगला देश पर जब आफत आई तो लाखों-करोड़ों की मदद दी। इसी तरह से दुनिया के किसी हिस्से में जब-जब संकट आया, देवी विपत्तियां आई, तूफान आये, भूकम्प आये, तब-तब हमने उनकी यथा-शक्ति मदद की।

(12.44 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

तो इसी दृष्टि से राजस्थान में जब संकट आया, अकाल आया, कहत आया तो ऐसे वक्त में अपना फर्ज समझ कर केन्द्र ने हमारी मदद की। तो संटक काल में दी हुई मदद कर्जे में नहीं मंडनी चाहिये। वह कर्जे में मांडते गये। मैंने पहले भी कहा था कि इस कर्जे के कारण हमारी स्टेट दिवालिया हो चुकी है और अब हमारे दिमाग भी मोउफ हो चुके हैं और इसलिये हम कोई बहादुरी का कदम अपने स्टेट में नहीं उठा सकते ऐसी स्थिति में विकास की तरफ या समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाने की तो बात ही नहीं पैदा होती। आपको केन्द्र से जो रुपया मिलता है, उसके लिये आप दाद फरियाद तो करते हैं कमीशन में बयान भी देते हैं। पर आप विरोधी पक्ष के लोगों से मिल कर, उनसे बातचीत करके सब मिलकर केन्द्र से कहें कि इस कर्जे को समाप्त किया जाय, इस तरफ कदम नहीं उठाते आप। करोड़ों रुपया हम ब्याज की शक्ल में देते जा रहे हैं। तो अगर हम सभी मिल कर केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी मुसीबत के बारे में कहें और आग्रह करें कि हमारे सिर पर से यह मुसीबत हटाइये, हमारा सूबा मुसीबतज़दा है, प्रकृति के प्रकोप से बार-बार पीड़ित होता रहा है इसलिये हमारा यह अधिकार है कि हम उनसे कहें कि यह कर्जा कर्जा नहीं माना जाय। संकट की घड़ी में जिस तरह आप दूसरों की मदद मुफ्त में करते हैं वैसे ही यह मदद मुफ्त में दी गई मानी जाय। फिर हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में जब संकट आता है तब भी तो आप मदद करते हैं फिर यह सौतेला बर्ताव हमारे साथ ही क्यों? फिर जैसे औरों को देते हैं वैसे पापूलेशन बेसिस पर केन्द्रीय सरकार की इन्कम में से जो इन्कम टैक्स या अन्य टैक्सों के रूप में राजस्थान से केन्द्र को मिलती है, उसमें से माकूल हिस्सा हमें मिलना चाहिये। हमें इन सारे

(श्री मो० गफ्फार अली)

टैक्सों में हमारा हिस्सा पापूलेशन की बेसिस पर मिलना चाहिये। कानून के हिसाब से भी एक कमजोर और पिछड़े सूबे को ताकतवर बनाने के लिये अधिक हिस्सा मिलना चाहिये। आज क्षेत्रीय भावना सेन्टर में भी बहुत है। महाराष्ट्र में कहत पड़े या कोई संकट आवे तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट और उसके मिनिस्टर दौड़े जावेंगे। पर राजस्थान के तीन-चौथाई हिस्से में आज भयंकर अकाल की स्थिति है तो कोई केन्द्र का मिनिस्टर नहीं दौड़ा आवेगा। केवल काफी कहने सुनने के बाद कुछ सरकारी अफसरों की कमेटी को भेज देंगे। और जहां हमें करोड़ों की जरूरत है वहां केवल पांच करोड़ का प्रावधान कर देंगे, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपनी स्पीच में बताया है।

इस कर्जे के बारे में आप क्या सोचते हैं? आचार्यजी ने कहा वैसा करना चाहते हैं कि टाट पट्टी उलट दी जावे और दिवाला निकाल दिया जावे। या यह सोचते हैं कि हम सब मिलकर अपोजीशन और राज्य सरकार के लोग, सब मिल जुलकर केन्द्र की हकूमत पर दबाव डालें कि यह राइट ऑफ की बात जल्दी होनी चाहिये। यह कर्जा हमारे पर से हटा देना चाहिये वरना हम प्रगति की तरफ कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। यह चीज बड़े ध्यान देने योग्य है।

एम्प्लॉयमेन्ट के आंकड़े, फेमीन में काम करने वाले लोगों के आंकड़े आपने पेश किये और उससे भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कि 26 हजार लोगों को रोजगार दिया है। इतना तो टारगेट ही नहीं था जितना देने की आप बात कह रहे हैं। जिनको डेढ़-दो रुपया रोज की भीख दी जाती है और जिनकी ताकत नहीं रह गई कहतसाली में भूख से और फाकाकशी से उनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम लिया जाता है आप इसको रोजगार कहते हैं। आज वे लोग भूखों मर रहे हैं, जिस्म में खून जिनका खुश्क हो चुका है दो तीन वक्त के फाके के बाद मिट्टी खोदने जाते हैं तो वे बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोश न होते हों पर महसूस करते हैं कि हालत खराब हो गई है और फिर उनकी मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिलता। आज उनकी इस मेहनत का पूरा पैसा हमारे पास देने को नहीं है। हमारे पास आज कल-कारखाने होते और इण्डस्ट्रीज होतीं तो कम से कम हमारे पास पैसा तो होता जिससे कुछ हम उनको राहत दे सकते। बड़े-बड़े लोग जरूर हमारे साधनों का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे पास बिजली के रिसोर्सेज हैं वे भी इन पूंजीपतियों के लिये हैं। डी० सी० एम० को हम तीन पैसा यूनिट बिजली दे रहे हैं जब कि हमारी खुद की प्रोडक्शन कास्ट नौ पैसा प्रति यूनिट के करीब आती है। यह कहां का व्यापार हुआ? आज इस बिजली की कमी की हालत में भी हम उनको बिजली कट नहीं कर सकते, हम किसान को अन्न पैदा करने के लिये बिजली जरूर नहीं देंगे, पर मोटे-मोटे मुनाफे कमाने के लिये, ब्लैक का पैसों का ढेर लगाने के लिये, गरीबों का शोषण करने के लिये इन पूंजीपतियों को सरकारी साधन कौड़ियों के मोल लुटाते जरूर जावेंगे। उनका बिजली का बोझा हमारे पर क्यों? यह भी कहा जा रहा है कि इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव हमारी बिजली लुटाने के

('श्री मो० गफ्फार अली)

बाद भी वे जो बिजली जिस दर पर दे रहे हैं उसका पैसा भी नहीं देते। उन पर 44 करोड़ रुपये बिजली के बिल के बकाया हैं। तो इस तरह से यह बिजली भी इन पूंजीपतियों और करोड़पतियों को लुटाई जा रही है। छोटे-छोटे किसानों को और अपने श्रम से कारखाना खड़ा करने वाले योग्य इन्जीनियरों को छोटे-छोटे उद्योगपतियों को नहीं दिया जाता। सरकार को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

फेमीन के बारे में तो आखिर में इतना ही कहूंगा कि इसकी गम्भीरता को दो चार आदमियों के मरने से अहसास नहीं करना चाहिये। अगर भूखों मर कर, छाल खाकर या इन्फेक्शन या मैल-न्यूट्रीशन से मर जावे तो भी मरते हैं। बीमारी से मरते हैं तो भी मरते हैं। बहरहाल इन्सान की मौत कैसे भी हो, अच्छी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है यह अभाव की स्थिति मिटाने की। आपको सोचना चाहिये, समझना चाहिये।

यह कर्ज की बात जो है इसके लिये जिम्मेदार खास तौर से राज्य सरकार को मानता हूं। मेरी यह मान्यता नहीं है कि इन्द्र भगवान के हाथों में हम मुकबूल मोर्टगेज होकर रह गये हैं। वक्त का पड़ना इन्द्र भगवान का रहमी करम नहीं है। कृपा तो राज्य सरकार की होनी चाहिये। केन्द्र सरकार की होनी चाहिये। हम हमेशा इन्द्र भगवान की कृपा पर नहीं रह सकते। इस सिलसिले में उचित कदम उठाकर और अगेन्स्ट पार्टियों के लोगों को भी साथ कर इस बोझे से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिये। कम से कम यह पुराना कर्ज हटाया जावे यह कोशिश हमें करनी चाहिये। मगर कोई बहादुरी का ऐसा कदम की आज हमने 20 इन्डस्ट्रीज कायम कर दी और इतने लोगों को रोजगार दे दे दिया, इतने लोगों की पोटेन्शियलिटि बढ़ा दी नहीं उठाया। बेरोजगारी का सवाल भी बहुत गहराई से मिला हुआ है। हमारे इंजीनियर बेकार हैं। आपने उनको पैसा दे दिया, मान लिया लेकिन वह पैसा इतना काफी नहीं हो सकता है, जिससे वे छोटी मोटी इन्डस्ट्रीज लगा सकें। आप पैसा अवश्य उनको दीजिये लेकिन वे कोई तजुर्बा हासिल करके कुछ अपना कार्य चला सकें इस लायक उन्हें अवश्य बनाइये। हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं वे साधन सम्पन्न हो सकें। आज हम लम्बे-चौड़े वायदे करते हैं कि हमने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये यह कर दिया, वह कर दिया लेकिन मैं समझता हूं सरकार अन्धी है, बहरी है, गूंगी है।

जयपुर जिले में थली एक ग्राम है वहां पर रैगरों पर इस कदर जुल्म किये जाते हैं। उनसे कहा जाता है तू हमारा जूता गांठ, तू हमारा चरस गांठ और नहीं गांठेगा तो तुम्हारे घर जला दिये जायेंगे, तुम्हारी पिटाई की जायगी और तुम्हें हर तरह से बरबाद कर देंगे। मैं यह कहता हूं आप जिम्मेदारी कहते ही कहते हैं क्या उस जिम्मेदारी को निभाने के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। मैंने इस मामले में कई दरख्वास्तें दीं, अपने हाथ से लिख लिख कर दीं उन पर कुछ नहीं होता है। लाखों रुपया पुलिस खा जाती है। मुझे अफसोस है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं चाहे वे आई.ए.एस. आफिसर हो, चाहे आई.पी.एस. आफिसर हों, उनके दामन साफ नहीं हैं

(श्री मो॰ गफ्फार अली)

मैं सजेशन रखूंगा शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए। मेरी दरख्वास्त और गुजारिश है चाहे कोई सी भी माइनॉरिटीज हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो उनके लिये सोचना चाहिये। उनको उनका ड्यू शेयर मिलता है या नहीं यह देखना चाहिए। मैं समझता हूं अगर इन्फीयरिटि रहती है तो कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता।

इसके अलावा आपका अन-एम्प्लायमेंट का प्रॉबलम है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट बहुत उदासीन रही है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं हर पांच साल के बाद अन-एम्प्लाइड की तादाद ज्यादा हो जाती है और कहा यह जाता है क्या करें पैदाइश घटती नहीं है। हिन्दुस्तान के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने में मश्शाक हैं। मेरा सोचना यह है कि मश्शाक नहीं है बल्कि स्टेन्डर्ड आफ लिविंग जितना नीचा होता जायगा उतने ही बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। आज आप पर केपिटा इन्कम बढ़ाइये, यह दर अवश्य घट जायगी। आज जम्मू-कश्मीर, बिहार आदि किसी को लीजिये सबसे कम पर केपिटा इन्कम राजस्थान की है। आप के पास खनिज सम्पदा भी काफी है और साधन हैं उनको आप बढ़ावा दीजिये। खनिज का काफी विकास राजस्थान में किया जा सकता है। अन-एम्प्लायमेंट की प्रावलम पर बड़े ठण्डे दिमाग से सोचिये। मेरा सुझाव है इन्डस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप इंजीनियरों को खपा सकते हैं और कई वर्गों को खपा सकते हैं। कर्जा देने से उनके आंसू पुंछ जायेंगे, मगर सब्स्टेन्शियल मदद देने के लिये राज्य सरकार तैयार नहीं है। यही बेरोजगारी डाक्टरों में है, यही बेरोजगारी छोटे लोगों में है।

आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के बीसों बच्चे मेरे पास आते हैं और 10-10 ट्रू कापी करा कर ले जाते हैं। मैंने उनसे कहा यह काम भी आप असेम्बली के मेम्बर से करवाते हैं। वे कहते हैं दूसरों से करवाते हैं तो 8 आना प्रति कापी लेते हैं। मैंने जब उनसे दुबारा यह पूछा कि इन ट्रू कापियों का क्या करते हैं तो कहते हैं नौकरियों के लिये जगह-जगह दरख्वास्तें देते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक यह काम हमको करना पड़ता है।

मैं इस क्रिटिसिज्म के साथ कुछ सुझाव रखूंगा। मैं यह मानता हूं कि जो आपने प्रापर्टी टैक्स लगाया है, मैं चाहता हूं कुछ स्लेब्स होने चाहियें। 10 लाख, 3 लाख की प्रापर्टी पर सीलिंग आ गई। मैं समझता हूं आधा से लेकर दो परसेन्ट तक होना चाहिये। आपने इससे दो करोड़ की उपलब्धि बताई है। यह राजस्थान के बजट को देखते हुये कम है। इस तरफ कदम उठाना चाहिये। मेरी दूसरी मान्यता यह है कि इस मर्तबा उन शराब खोरों को छूट दे दी है जो अंग्रेजी शराब पीते हैं। हम मानते हैं गोकुल भाई को और किसी तरह शांति नहीं पहुंचाते हैं तो कम से कम शराब पर टैक्स बढ़ा कर उनके दिल को अवश्य कुछ शांति पहुंचा सकते थे लेकिन वह भी आपने नहीं किया। लक्जरी पर टैक्स बढ़ावें, उस पर आपने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। इनके अलावा जो रिसोर्सेज हमारे हैं उनको टैप नहीं करते हैं। पहले हमने जो कानून बनाया था लोगों की जो खाली जमीन पड़ी हुई है उन

(श्री मो० गफ्फार अली)

पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था उसका क्या हुआ ? असेम्बली के प्रांगण में यह विश्वास दिलाया गया है, जो कानून लाये हैं उसका इस पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन मेरा कहना यह है कि खाली जमीनें चाहे क्वार्टर्स के बाहर हों, चाहे मिनिस्टर्स के बंगले के बाहर हों, उनको सरन्डर कर देना चाहिये इसलिये कि 500 गज में अगर बंगला बना हुआ है तो 100 फुट खाली छोड़ देना चाहिये और बाकी का सब सरेन्डर कर देना चाहिये। यह नहीं हो कि हजार गज में बंगला है और मीलों तक का लान लगा है।

मैं गवर्नर साहब के बंगले के लिये कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मगर मुझे यह ख्याल होता है, गान्धी जी ने कहा था मैं असली स्वराज्य उसे ही मानूंगा जिसमें हिन्दुस्तान का गवर्नर जनरल एक कुटिया में गुजर-बसर करता हो। गान्धीजी के नाम पर कमाई खाने वाले, गांधी के नाम पर ताकत लाने वाले और जो गांधीजी के अनुयायी हैं, उनको यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिये। इतने बड़े लॉन के अन्दर लाखों टन पानी बरबाद किया जाता है। जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं उनको सरेन्डर किया जाय और उनमें भूमिहीनों को बसाया जाय, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये मकानात का निर्माण किया जाय। मैं पर्सनल अटेक किसी पर नहीं करता हूं कि यह बेईमान है, वह बेईमान है—यह इस्तिफा मेरा लो और वह इस्तिफा उसका लो। इन बेकार की बातों में हम यहां फिजूल टाइम जाया करते हैं। मैं समझता हूं किसी बात के नतीजे पर पहुँचना चाहिये कि हम जो गांधीजी के नाम को लेकर खड़ा करते हैं महल, हर चुनाव पर गान्धीजी के फोटो....

(एक माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर अश्रव्य)

....हां इन्दिराजी के नाम को लेकर हम भी जीतते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रपति महोदय ने जयपुर में आकर यह कहा अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो केरल के गोविन्द नायर से सीखो। मैं उनकी तकरीर को देना चाहता हूं, हाउसिंग बोर्ड के उद्घाटन के समय उन्होंने यहां कहा आज केरल की हकूमत ने एक लाख मकानात खड़े कर दिये जिनकी लागत 1200 से लेकर 2000 रुपये तक आई है।

....आप तीन चार साल के अन्दर हाउसिंग बोर्ड के अन्दर 1700 या 2000 मकान बना रहे हैं तो इस तरह से आपको सौ साल लग जायेंगे इसलिये मैं कहूंगा कि आप मुझे चेलेन्ज मत कीजिये। जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी ताकत में आई है, वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी ने काम करके दिखलाया है। इसलिये मैं यह नहीं कहता कि वह उनका ही कन्ट्रीब्यूशन है। वहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की मिलीजुली सरकारें हैं और मैं उस इश्यू पर आऊंगा तो आपको याद करूंगा लेकिन अभी तो यह अर्ज किया चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे यह एश्योरेन्स दिया गया है कि पहले बोलने वाला होगा उसको टाइम ज्यादा मिलेगा और दूसरे बोलने वाले को 51-20 मिनट ही मिलेंगे।

श्री सभापति : आपके दल का समय आप लेना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो उनका समय है उन्होंने तो कल एक घन्टा तो गालीगलोच में लगा दिया उसका प्रीमियम हमको मिलना चाहिये न कि उनको। उनका टाइम कट हो जाना चाहिये। जो लोढ़ा साहब को टाइम दिया है उस प्रपोर्शन से मुझे भी टाइम देना चाहिये।

श्री सभापति : आपको आपके दल के अनुसार समय मिलेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं बहुत संक्षेप में खत्म कर दूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि संक्षेप में खत्म कर दूं।

तो सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बजट के अन्दर कुछ ऐसी बेसिक प्राब्लम्स् हैं कि जिनको आपने नजर-अन्दाज किया है। कच्ची बस्तियों के लिये कह दिया गया कि चार हजार रुपये कर्ज के दिये गये। यह तो काफी नहीं है। यहां पर जो कच्ची बस्तियों का करेक्टर है वह शायद वित्त मन्त्रीजी नहीं जानते हैं और न वह कभी कच्ची बस्तियों में गये हैं। मैं यह अर्ज किया चाहता हूं कि यह मसला नहीं है कि चार हजार रुपया मिले या नहीं मिले बल्कि मसला यह है कि प्लाट उपलब्ध हो या नहीं और वह अपने हाथों से निर्माण करें या नहीं। असल सवाल कर्ज का नहीं है, मसला केवल जमीन का है कि जो लाखों बीघा जमीन पड़ी है और जिसका कोई उपयोग नहीं है और जिसका असल में दुरुपयोग हो रहा है।

दूसरा सवाल कच्ची बस्तियों का यह कह कर समाप्त कर दिया और जो स्लम्स हैं उनका तस्करा ही नहीं किया गया। शहर के अन्दर इतना खतरनाक और गन्दा हिस्सा है कि मैं और वित्त मंत्रीजी को दौरा कराऊं तो शायद बरसात के दिनों में वह आधा घंटा भी नहीं चल सकेंगे। मैं एक बार चीफ सेक्रेटरी साहब को इन स्लम्स एरियाज का दौरा कराने के लिए ले गया और एक घंटे में उनका दिमाग ऐसा हो गया कि वे कहने लगे कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो मैं जाना चाहता हूं। मैंने कहा कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वह आपको देखना होगा। तो मेरा कहना है कि आपको इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और कच्ची बस्तियों का मसला हम लोगों से डिसकस करके तय करना चाहिये और उसके लिए काफी बड़ी रकम उपलब्ध करानी चाहिए जिससे उन बस्तियों का भला हो सके।

इसके अलावा जो आवास की समस्या है उसके बारे में मेरी मान्यता यह है कि जो पॉलिसी केरल के अन्दर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की मिलीजुली सरकार ने अपनाई है उसका अध्ययन करने के लिए मेरी समझ में आता है कि कुछ लोगों को वहां भेजना चाहिये और यह होना चाहिए कि जो जमीनें पड़ी हुई हैं और मैं अपने साथ मिनिस्टर सहाब को ले जाकर दिखा सकता हूं कि कितनी-कितनी जमीनें पड़ी हुई हैं, वहां पर मकानों को बनवाकर उनको आप ज्यादा से ज्यादा दें और अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की

(श्री मो० गफ्फार अली)

दें। आप उनकी हालत देखिए कि वे कितनी बुरी हालत में पड़े हैं। रेगरों की कोठी में आप जाइए, कोलियों की कोठी में आप जाइये, आपको अन्दाजा हो जायेगा कि किस तरह से इन्सान अपनी जिन्दगी बसर करता है। तो इस आवास की समस्या के ऊपर आपको सोचना चाहिए जिसका कोई हल नहीं निकाला गया।

इन्डस्ट्रीज के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। जो टैक्स लगाये गये हैं उनके बारे में मैं कहूंगा कि उसमें एक टैक्स के बारे में तो मैंने मुबारकबादी दे दी लेकिन जो बांगला देश के नाम से पैसेंजर टैक्स लिया जाता था वह अब सरकार ने ले लिया उसका मैं विरोधी हूं। मैं समझता हूं कि ये तीनों ही टैक्स उचित नहीं थे और इनको रिटेन नहीं करना चाहिए था। जब सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने ही इनको हटा दिया तो आपके पास कोई जवाब नहीं था इनको कन्टीन्यू करने का। आप कोई आल्टरनेटिव टैक्स लगा सकते थे। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि इस मामले में आपको उचित कदम उठाने चाहिए और जो टैक्स आपने लगाये हैं उनको समाप्त करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त ज्यादा नहीं कहकर मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा और वह यह है कि हमारे यहां के कुटीर उद्योग हैं उनकी तरफ हमने तवज्जोह नहीं दी। टैक्स के ढांचे में मैं परिवर्तन चाहता हूं। हलवाइयों के ऊपर आपने टैक्स लगाया उसका भार किस पर पड़ा इसको छोड़ दो, खाने वाले के ऊपर पड़ा या कन्ज्यूमर्स पर पड़ा लेकिन मैंने गुजारिश की थी कि यह सिस्टम बहुत खराब है। मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि जो टैक्स आपका साल भर का उपलब्ध होता है उसको आप 1½ करके स्लेब सिस्टम के आधार पर लाइसेन्स फी के रूप में आप तीन किस्म के व्यापारियों पर जो इस किस्म के काम को चलाते हैं उनके ऊपर लगा दें ताकि आपके इन्सपेक्टर और जितने आपके ऑफिसर्स वसूल करने वाले हैं वे उनको परेशान न कर सकें और यह भ्रष्टाचार की जो उनकी प्रथा है वह बन्द हो जायेगी और आपको उससे ज्यादा रकम भी मिल जायेगी। जो रकम आपको एक साल में मिलती है उससे ड्योढ़ी रकम भी मिल जायेगी। यदि आप लाइसेन्स फीस को सिस्टम से लगा देंगे तो उनको राहत भी मिलेगी। मैं छोटे-छोटे हलवाइयों से मिलता हूं, वे कहते हैं कि सौ रुपये ले गया, पचास रुपये ले गया, हम बही-खाते कहां रखें। जरा सोचना चाहिए, ह्यूमिनीटेरियन पॉइन्ट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि यह सही कदम है क्या? और नहीं है तो फिर मैं समझता हूं कि आपको इसको वापस लेना चाहिए।

आपने गोल्ड कन्ट्रोल ऑर्डर के सिलसिले में कुछ सुनारों को पकड़ा और वे छोटे तबके के सुनार थे जिनको गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की तरफ से 20 लाख रुपया मिला। उसके बारे में भी मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि जिनको आपने दो हजार तक की रकम दी है वह आपको राइट ऑफ कर देनी चाहिए। आप उनसे 6 परसेन्ट व्याज के अलावा पैनल्टी के साथ पैसा लेते हैं और उनका मकान नीलाम करवाते हैं तो मानवता के नाते और आपकी आर्थिक नीति के नाते सोचना चाहिए कि ये चीजें कहां तक सही हैं।

(श्री मो० गफ्फार अली)

वे गरीब लोग थे। मैं कानून के मैरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह कानून गलत भी हो लेकिन फलस्वरूप जो लोग बेकार हुए, जिनको आपने कर्जा दिया, जिनको ज्यादा कर्जा दिया वह आप वसूल कीजिए और आसान किश्तों पर कीजिये लेकिन जिन लोगों को हजार, दो हजार रुपया देते हैं उनसे आप मत लीजिए, उनको राइट ऑफ कर दीजिए। आपके फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में 20 लाख रुपये के जंगल लोग खा जायें आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगे, आपके पी० डब्ल्यू० डी० में बहुत-सा रुपया राइट ऑफ हो जाये और आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगे और छोटे से काम करने वालों को एक हजार, दो हजार रुपया दिया गया है उसकी वसूली के लिए आप उसकी जिन्दगी को संकटकालीन स्थिति में तब्दील कर दें और उसके मकान को नीलाम करा दें। मैं समझता हूं कि यह तरीका गलत है।

इसके अलावा शहर की हालत यह है कि उसके बारे में निवेदन किया कि जो बस्तियां बाद में बसी हैं–चाहे आप अर्जुनलाल सेठी कॉलोनी को लें, जनता कालोनी को लें वे प्लान के मुताबिक नहीं बसी हैं। वहां पर सड़कें इसकी गवाह हैं कि वहां नालियां नहीं हैं, सीवरेज नहीं हैं और उसकी वजह से वह स्लम बनती जा रही हैं, इसकी तरफ भी आप ध्यान दें। जो शहरों में स्लम्स हैं वही काफी हैं और आप क्यों ज्यादा स्लम्स बढ़ाते जा रहे हैं। आप और ज्यादा इजाफा उनमें क्यों करना चाहते हैं। इसलिये मैं तमाम प्रश्नों की तरफ आपकी तवज्जोह दिलाते हुए नटशैल में यह चाहूंगा कि आप कोई बोल्ड कदम इन बस्तियों के बारे में उठाइये, कोई बढ़ोतरी का कदम इन्डस्ट्रीज के बारे में उठाइये। कई बेहतरी के काम, आम जनता की इमदाद के सिलसिले के काम जो वित्त मंत्री महोदय ने उठाये हैं वे कामयाब हों तो कोई बजट किसी किस्म का ले आयें, उसमें कितने ही दिल फरेब नारे लगा दें, कितनी ही अच्छी बातें लिख दें लेकिन हकीकत यह है कि उससे अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवाम की जिन्दगी की हालत में तब्दीली नहीं होती है, अगर उन्हें अपनी मोशे जिन्दगी बसर करने का मौका नहीं मिलता है, उनकी आर्थिक हालत में तब्दीली नहीं आती है तो यह सोशलिस्टिक बजट का मुस्तहक नहीं है।

इन्हीं अल्फाजों के साथ में आभारी हूं लेकिन मैं बजट के खिलाफ हूं। एक कदम की जो मैंने बहुत प्रशंसा की है उसमें भी मैंने स्लेब सिस्टम का सुझाव दिया है उस पर गौर फरमा कर उसके अनुसार इन्तजाम करने की कोशिश करें तो अच्छा होगा।

श्री सभापति : श्री माणकचन्द सोगानी !

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर-पूर्व) : सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी के बजट की तमाम चीजों का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने समय के अनुकूल चीजें थीं, उनको पूरी तरह से महसूस करते हुए यह बजट पेश किया है। उनको यह बात बराबर ध्यान में थी कि सारा राजस्थान आज अकाल की चपेट में आया हुआ है इसलिये उन्होंने इस बजट में कोई ऐसी

(श्री माणकचन्द सोगानी)

चीज पर टैक्स नहीं लगाया है जिससे, कि आम आदमी को दिक्कत होती। मेरे और सदस्यगण जिन चीजों की तारीफ कर रहे हैं उनमें यह है कि हमारे यहां वित्त मंत्रीजी ने जो कर लगाया है या हाफ परसेंट का टैक्स जो प्रोपर्टीज पर लगाया है यह बहुत ही सराहनीय है और यह एक कदम समाजवाद की तरफ है। मैं इसके लिये उन सब समझने वाले तमाम भाइयों को बधाई देता हूं। कुछ बातों को यहां पर मैं भी इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार ने यह जो मिसाल सामने रखी है भारत सरकार इसकी तरफ पहले से ही आगे बढ़ी हुई है और यह उसी का एक अंग है। भारत सरकार ने वैल्थ टैक्स के रूप में एक टैक्स लगाया हुआ है जो इन्कम टैक्स के अलावा होता है और जिसे सम्पत्ति-कर कहते हैं। मैंने उसके हिसाब को देखा। उन्होंने जो रेट्स लगाई हैं वे इस प्रकार हैं—जब एग्जैम्पशन लिमिट खत्म होती हैं तो नेट वैल्थ पर एक परसेंट टैक्स पूरी वैल्थ पर देना पड़ता है, जो कि पांच लाख तक चलता है। पांच लाख से लेकर 10 लाख के स्लैब पर 2 परसेन्ट होता है। दस लाख से 15 लाख पर तीन परसेन्ट लगता है और 15 लाख के बाद 8 परसेन्ट टैक्स लगता है। जिन आदमियों को यह टैक्स देना पड़ता है वे इस बात को जानते हैं कि थोड़े समय में जितनी भी उनकी पूंजी है वह अपने आप इस टैक्स के माध्यम से सब समाप्त हो जाएगी। यह सरकार का समाजवाद की तरफ सबसे बड़ा कदम है। उस टैक्स में हमने एक और टैक्स उस लाइन पर लगाया है वह आधा परसेन्ट का लगाया है। कुछ भाइयों ने अभी कहा कि आप स्लैब सिस्टम करके टैक्स लगायें और यह आधा परसेन्ट टैक्स ठीक है। स्लैब सिस्टम में मेरे खयाल से कठिनाई नहीं है। जहां तक अभी बजट के अन्दर जितनी चीजें आई हैं लेकिन जब रूल्स बनेंगे तो उसमें बहुत खुलासा चीजें सामने आयेंगी। मगर मैं अपने विचार पेश करूं। आप कहते हैं कि पचास हजार का एग्जैम्पशन है। पचास हजार से ज्यादा कीमत का कोई मकान है तो यह खुलासा भी उसमें होना चाहिए कि कई आदमियों ने कर्जे लेकर मकान बनाये हैं। आपको मालूम है कि कर्जा एल. आई. सी. देती है, गवर्नमेंट देती है, जहां पर कर्मचारी काम करते हैं वहां की संस्था देती है। तो वह कर्जा घटाने के बाद अगर मकान की कीमत पचास हजार रह जाय तो आपको उस पर टैक्स लेना चाहिए। यह बात रूल्स में खुलासा कर देना मेरे खयाल से ठीक रहेगा।

अब फिर राजस्थान भर में सवाल यह आएगा कि हम कीमत किस तरह से आंकें। पूरा राजस्थान भर है और हर जगह मकान की कीमत आंकने में एक बहुत सारा समय लगेगा और आप एक अप्रेल से लागू करना चाहते हैं तो मेरे सुझाव इस प्रकार हैं—केन्द्रीय सरकार ने तो अपने वेल्यूअर अपाइन्ट किए हैं और इस माध्यम से जितनी भी प्रोपर्टी होती है, तमाम चीजों का वेल्यूएशन करते हैं जिनमें ज्वेलरी है, शेयर्स हैं इंटरेस्ट है, तमाम चीजों के उनके अलग-अलग एक्सपर्ट हैं, उनसे वेल्यूएशन करा लेते हैं। मगर जहां तक हमारे यहां पर जो प्रोपर्टी पर टैक्स लगाया है उसके वेल्यूएशन का सवाल है जो वेल्यूएशन कर

(श्री माणकचन्द सोगानी)

रखी है उसी को स्वीकार करना चाहिए। आज बहुत सारी प्रोपर्टी ऐसी हैं जिन पर टैक्स लगेगा तो फिलहाल इस काम में जल्दी प्रगति करने के लिए जहां म्युनिसिपैलिटीज ने हाउस टैक्स लगा रखे हैं उन हाउस टैक्स की कीमत को और उसके मूल्यांकन को अपनी दृष्टि में रखते हुए, उसको मंजूर करते हुए उसके अनुसार अगर पैसा काट लिया जाय तो हमारी दुविधा कम हो जाएगी। चारों तरफ इतने सारे हमारे वेल्यूअर उपलब्ध नहीं है कि हम उनसे प्रोपर्टी का वेल्यूएशन करवायें। और यह भी होता है कि देने वाला टैक्स, अपनी प्रोपर्टी की कीमत कम बताये और हम चाहेंगे कि उसकी वाजिब कीमत पर टैक्स का मूल्यांकन किया जाय। इसलिए यह हाउस टैक्स वाली प्राब्लम जहां पर शहरों में लगी हुई है वह हमारा बहुत सारा मकसद हल कर देती है।

एक सवाल आता है कि ये नक्शे कब भरे जायें। मेरा यह सुझाव है कि तीन महीने का समय दे दिया जावे। जिनकी कीमत पचास हजार से ज्यादा प्रोपर्टी की होती है वे स्वयं ही अपने नक्शे पेश करें ताकि हमारे यहां से नोटिस निकलने का इन्तजार नहीं हो। ऐसा है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने अनुभव से कानून बनाया है कि जून 30 तक लोगों को अपने नक्शे पेश करने होते हैं। अगर नक्शे पेश नहीं करते हैं तो उन पर पैनल्टी लगती है। पैनल्टी वह रहती है कि जो टैक्स लगता है हर माह उतनी ही रकम पैनेल्टी की बनती चली जाती है ताकि लोग अपने आप नक्शे पेश कर सकें।

इसी तरह से एक कंसीलमेंट का क्लाज होता है। फर्ज कीजिए कि वेल्यू है 80 हजार की और किसी सदस्य ने या किसी ओनर ने उस 80 हजार की जगह 60 हजार ही बता दिया तो उस पर क्या रोक होगी उस बीस हजार के बाबत। इस चीज के लिए केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि जितना डिफरेंस रह जाय वह तमाम कंसीलमेंट है। 80 हजार और 60 हजार के बीच का जो फर्क रह गया तो वह 20 हजार कंसीलमेंट हो गया और बीस हजार की पैनल्टी लगेगी ताकि लोग-बाग अपने तमाम आंकड़ों को भरते वक्त सब तरह से सोच कर और एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर नक्शे भरें ताकि वाद-विवाद कम पैदा हो। यह भी देखा गया है कई जगह कि इसमें निपुण इंजीनियर होते हैं वे भी गल्ती कर सकते हैं तो इसके लिए एक अलग सैल बना रखी है। वहां गवर्नमेंट अपने प्रतिष्ठावान आदमियों को, इंजीनियरों को भेज कर उसका पूरा तखमीना करा लेती है। इस हालत के अन्दर जो अप्रूव्ड फीगर 80 हजार है और सैल में वह एक लाख है तो बीस हजार के फर्क पर कोई पैनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इस तरह की राहत सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो मेरा निवेदन करना है कि आप जब रूल्स बनायें तो जो केन्द्रीय सरकार ने रूल्स अपने बनाये हुए हैं उन पर इन बातों पर जरूर गौर कर लें।

जहां तक और टैक्सों का सवाल है, हमारे वित्त मंत्रीजी ने जिस तरह से दो-तीन चीजों पर टैक्स लगाया है वह कोई गलत कदम नहीं है। एक्साईज में कई चीजें हैं जो टैक्स से बची हुई हैं। जो टैक्स खण्डसारी पर उन्होंने लगाया है तो उसके साथ में यह भी पूरा विश्वास दिलाया है कि उससे दुगुनी मात्रा की रकम उस उद्योग पर

(श्री माणकचन्द सोगानी)

लगा दी जाएगी। यह बहुत सराहनीय कदम है।

अभी कुछ भाई कह रहे थे कि बंगला देश के नाम पर जो कर, भारत सरकार ने खत्म कर दिए हैं और हमने हमारे यहां पर कर रखे हैं यह ठीक नहीं हैं। लेकिन आखिर कर नहीं रखें तो क्या करें। यह अकाल के अन्दर रकम की जरूरत है तो रकम आएगी कहां से। वह रकम जो उस कर से वसूल होगी आखिर पिछड़ी जातियों के उत्थान में लगाई जावेगी। हमें दुःख इस बात का है कि देखते नहीं हैं। आखिर तेल तिलों में से ही निकलता है, रेत में से तो तेल नहीं निकल सकता। हर आदमी यह देखता है कि इस प्रकार का भाषण देकर हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है और इसके अन्दर अपना भाग प्रवाहित करके कि हम अच्छा बोल लेते हैं यह तो मैंने देखा है लेकिन सुझाव देना मायने रखता है। उस स्थिति में अगर हम बैठे होते तो हम क्या कर लेते इस बात का कोई विचार नहीं करता। रात दिन एक करके एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर और काफी सोच विचार के बाद कोई चीज सदन में आती है तो आपको उसमें कंसीडर्ड व्यू लेना चाहिए। हर चीज में अगर उसकी बुराई ही देखते रहें, हर चीज को बुरा ही कहते रहें तो हम अपने आपको हीन पाते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है। एक मिसाल है कि जब बड़ी भारी बिल्डिंग बनती है तो साथ में ताहरत भी बनता है। मकान बनाने वाला मकान देख कर खुश होता है और वह ताहरत नहीं देखता है तो वह देखना क्या बुरा है। फिर अच्छी चीज को नहीं देख कर उनकी बुरी चीजों को देख कर ही तमाम चीजों की निंदा करने लग जायें तो यह कोई अच्छी चीज नहीं है। शहर के अन्दर, गांव के अन्दर कोई भेदभाव का सवाल उठता ही नहीं है। हम सब नागरिक हैं। मगर आम तौर पर मैं यह देखता हूं, अपने इस सदन के अन्दर यह सुनता हूं कि शहरों के साथ न्याय, अन्याय हुआ है। गांवों में न्याय, अन्याय हुवा है। गावों में न्याय-अन्याय होता है। यह भाषा मेरे ख्याल से हमें भूल जाना चाहिए। हम तो सबका भला सोचते हैं। चाहे आदमी गांव का रहना वाला हो चाहे वह शहर का रहने वाला हो। मैं शहर में रहता हूं कल गांव में जाकर इन्डस्ट्री भी लगा सकता हूं। गांव वाले शहर में भी आ सकते हैं। तो भाषण के अन्दर गांव और शहर का जो यह भेदभाव किया जाता है यह नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी हमारी भावनाएं नहीं होनी चाहिए।

जहां तक अकाल पीड़ित क्षेत्र में वसूलियां स्थगित की गई हैं, यह एक सराहनीय बात है। मैंने यह भी पढ़ा कि दुग्धशालाएं खोली हैं। इन दुग्ध शालाओं से चारे की कमी के कारण हम पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। आठ जगह आपने ये खोली हैं। समय पर इनको हम बढ़ावा दें, इसकी तरफ पूरी-पूरी कोशिश करें तो आगे बहुत फायदा होगा।

जहां तक पाइप लाइन का सवाल है, यहां मैं थोड़ा जोर से निवेदन करना चाहूंगा गांवों में पाइप लाइन को लगाइये इसमें हमको किसी प्रकार का दुःख नहीं है सुख है। वहां पर पानी पहुंचाना चाहिए लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन साथ ही साथ

(श्री माणकचन्द सोगानी)

जहां आप हम बैठे हैं उन शहरों में पानी की क्या स्थिति है, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने ब्यावर शहर की इस कठिनाई को आपके सामने रखा है कि वहां पर हफ्ते में एक रोज पानी नहीं दिया जा रहा है। छः रोज ही पानी दिया जा रहा है। वहां के चेयरमेन साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ज्यादा पानी नहीं है इसके लिए अल्टरनेटिव कर रहा हूं। तो यह शहर की हालत है। इस कठिनाई को हमें हल करना है वरना जो शहर बस गए हैं वे गांवों की तरह उजड़ जाएंगे। जो प्रोग्राम इस वक्त हाथ में ले रखा है, पानी की दिक्कत को देखते हुए इस बात का भी जरूर ध्यान रखेंगे कि हमारे यहां पर जो शहर हैं, जयपुर शहर है और उसके आसपास जो गांव हैं, अजमेर शहर और उसके रास्ते व आसपास के जितने गांव हैं वहां के लिए योजना बनाई जाए। राजमहल की जो जल-प्रदाय योजना है उसको हाथ में लिया जाना चाहिए। इसके लिए केन्द्रीय सरकार जो मदद देना चाहती है वह लेकर उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए ताकि पीने के पानी की किल्लत दूर हो सके। यह जरूरी है। मनुष्य के लिए जरूरी चीजों में हवा पहली चीज है। अब तक परमात्मा ने यह हमें बिना किसी टैक्स के दे रखी है। यह दूसरी बात है कि जहां फैक्टरियां लग गई हैं, या एटम बम छोड़े गए हैं वहां की वायु दूषित हो रही हो, यह दूसरी बात है। बाकी जगह यह बिना किसी टैक्स के उपलब्ध हो रही है। मगर जहां पानी की दिक्कत है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पानी की जहां कमी है, वहां पर पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको पूरी व्यवस्था करनी चाहिए चाहे उसमें आपको केन्द्र से कितनी ही मदद लाने की जरूरत हो। आपको उन सबको साथ लेकर उनका सहयोग लेना चाहिए। अजमेर में कुछ दिनों पहले वहां के कारखाने में जो लोग हैं कारखाने से मतलब वेस्टर्न रेलवे यूनियन से है, उन्होंने हम लोगों को, वहां के विधायकों को बुलाकर इस बात को आपके माध्यम से कहलाया है कि कहीं सिटी बंद न हो जाए। मैंने कहा–सिटी बन्द करना अच्छी बात नहीं है। आपको जिस बात की कमी हो वह कहो। क्या अनाज नहीं मिलता है? उनका यह कहना था कि अनाज उस वक्त मिलता है जबकि उनकी तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं। इसलिए कलक्टर महोदय को आदेश दे दिए जाएं कि जब तनख्वाह मिले उन्हीं दिनों में अनाज का भी वितरण कराने की व्यवस्था करें ताकि अनाज ब्लेक से न लावें। इसके अलावा जो सब से बड़ी कठिनाई अनाज के लिए आ रही है वह है बोगस राशन कार्ड्स की। ये बोगस राशन कार्ड बहुत बड़ी मात्रा में निकल चुके हैं। इनको इकट्ठा करने के लिए एक समय की अवधि, पाबंदी लगानी चाहिए और शहर में जहां म्युनिसिपैलिटी है, वार्ड के मेम्बर के जरिए इसके लिए एक समय की सीमा बांध दी जाए और नए कार्ड निकलवाकर उनको चेक करके दिये जाएं।

जहां तक शराबबंदी का सवाल है, चूंकि अजमेर में श्रद्धेय गोकुल भाई विराजमान हैं और मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता है, उन्होंने मेरे माध्यम से इस सदन को एक बात निवेदन

(श्री माणकचन्द सोगानी)

करने के लिए कहा है। उस बात को मैं यहां पर खुलासा कर देना चाहता हूं। उन्होंने यह बात कही है कि विद्यार्थियों के जरिए आगजनी करवाना; डिस्टीलरी के अन्दर उनको भेजने का उनका निर्णय नहीं है। इस बात का उन्होंने मुझसे खुलासा किया है और यह खासतौर से कहलवाया है ताकि यह जो भ्रम है वह हट जावे।

इसके अलावा जहां तक बिजली और नल है इसके लिए हमारी गवर्नमेन्ट ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट से रकम निकाली है और सही मायने में वह लेप्स हो गई है। लेप्स क्यों होती है इसलिए होती है कि जो काम करने वाले हैं अफसर हैं उनकी देखरेख की कमी से; अनुभव की कमी से यह हो रहा है। पिछले 6 महीने में एक क्लर्क की भांति मैं बिजलीघर गया, ऑफिसर से भी मिला, म्युनिसिपैलिटी में भी गया, समाज कल्याण विभाग में भी गया, रोजमर्रा जाने के बाद निष्कर्ष यह रहा कि मार्च का महीना समाप्त हो रहा है और पैसा नहीं है। जिन आदमियों की वजह से यह हो रहा है, उनका यह फर्ज है कि वे विधायकों से पूछें, यह नहीं कि विधायक उन ऑफिसरों के पीछे घूमे, वह विधायक उनके घर पर जाएँ और इस बात को पूरा करावे। विधायक ईमानदारी से काम करने वाला होता है, जनता द्वारा चुना जाता हैं, वह अधिकारियों को सही दिशा देगा इसलिए अधिकारियों को उसके पास आना चाहिए। जितनी भी राशि इस तरह से लेप्स होती है उसके लिए मेरा निवेदन है कि पेनेल्टी का प्रॉविजन बनाया जाना चाहिए और जिन ऑफिसरों के कारण वह रकम उपयोग में नहीं लायी जा सकी है उनकी सी० आर० में यह रिपोर्ट लिखी जावे कि रकम पूरी खर्च नहीं करने की इनको जिम्मेवारी थी जब जाकर उनको फिक्र होगी और हम लोगों को भी काम करने के लिए इस तरह घूमना नहीं पड़ेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जहां तक एक माननीय सदस्य यह फरमा रहे थे कि चार हजार रुपयों का शिड्यूल कास्ट के लोगों को लोन दिया गया है। इस तरफ भी मैंने बहुत प्रयत्न किए हैं, कई प्रकार की लिखा-पढ़ी भी की है परन्तु आज तक वह चार हजार रुपया नहीं मिला है। इसलिए यह जो हमारी कठिनाइयां आती हैं कि रुपया नहीं मिला उसको दूर करने के लिए सरकार को ऑफिसरों को आगाह करना चाहिए। इनके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है।

राजस्थान नहर के बारे में हमारे वित्त मंत्रीजी ने उल्लेख किया है और यह बताया है कि इस दफा पहला चरण पूरा होगा। इसे कृपा करके पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि यही एक नहर है जिस पर कि राजस्थान के लोगों को बहुत बड़ी आशा है; इसलिए इस पर जोर से कदम उठाया जाना चाहिए। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा है और मैं भी इस बात को दोहराना चाहता हूं, जब गंगा का पानी कावेरी जा रहा है तो हम तो बीच में पड़ते है। इसलिए पानी का हमें भी सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि हर साल मीठा पानी समुद्र में जाकर गिरता है। पानी की कमी हो तो दुख की बात है।

(श्री माणकचन्द सौगानी)

परन्तु यहां पर पानी होते हुए भी हम दिक्कत उठा रहे हैं। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। उसको उपयोग में लाना चाहिए चाहे वह फ्लड का पानी हो वरना आज तो यह पानी समुद्र में जा रहा अगर हम यह कर सकें तो हमें इन्द्र भगवान की कृपा के अधीन नहीं रहेंगे।

मैं सभापति जी आपको धन्यवाद देता हूं आपने समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : सम्माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और यहां पर, हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसकी मुक्तकंठ से सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। वित्त मंत्री जी ने यह बजट जिन परिस्थितियों के अन्दर पेश किया है मैं सोचता हूं कि इन परिस्थितियों के अन्दर इससे सुन्दर बजट और कोई नहीं रख सकता है। यह प्रशंसा की बात है। वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान के विकास की जो योजनाएं इस बजट के अन्दर रखी है उससे हमें कोई ज्यादा आशाएं नहीं बंधती है। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि गरीबी हटाओ का जो नारा हमारी प्रधान मंत्रीजी ने दिया है उस नारे का हम अमली जामा पहिनाने का प्रयत्न कर रहे हैं....

मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, आज पिछले वर्षों की अपेक्षा अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इन्कम जो होनी चाहिए, उसकी प्रगति विशेष तौर से नहीं हो पाई है। 71 से 72 तक के डेटाज देखें तो कोई प्रगति नजर नहीं आती है। 73-74 में भी प्रगति का ऐसा कोई बड़ा कारण नजर नहीं आता है। इसलिए गरीबी मिटाने का प्रश्न जो हमारे दिमाग में है, वह तब तक नजर नहीं आता है। जब तक राजस्थान के प्रति व्यक्ति की इन्कम बढ़ नहीं जाती है। जहां तक राजस्थान में फूड प्रोडक्शन को देखें तो हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 71-72 में कोई प्रगति नहीं हुई है। 72-73 में में ग्रोथ रेट 15 प्रतिशत कम हुई है। राजस्थान सरकार कह रही है कि इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। रबी की फसल में कोई प्रगति नहीं है। खरीफ की फसल में 25 प्रतिशत कमी हुई है। राजस्थान सरकार की इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं है। 70-71 में जो 4.1 है वह 71-72 में 3.3 ही रह गयी है। 4.4 पर लेकर चलें तो हमें ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती है। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा जहां तक खेती का ट्रेण्ड बदलने की बात है, राज्य सरकार का कृषि विभाग ट्रेण्ड बदलने का जिक्र करता है। आज कोई नया ट्रेण्ड बदलने वाला नहीं है। जिस भूमि की बुआई कर रहे हैं, 70-71-72 में जो एरिया बोया है, उसमें कोई प्रगति नजर नहीं आई है। तिलहन हमने ज्यादा बोई है लेकिन कोई आधार नजर नहीं आता है। आंकडों के हिसाब से देखें तो आंकडे बता देते हैं। कितनी बोई है और कितना उत्पादन होगा। मूंगफली बोई है, रूई के क्षेत्र में रूई बोई है। लेकिन टोटल प्रोडक्शन आज नहीं है। गन्ना भी बोया हुआ है। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है,

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

बराबर यह मानकर चलें कि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। गन्ने की बुआई से जो गन्ना पैदा हुआ है, उससे कोई प्रगति नजर नहीं आती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार ने जो आंकड़े पेश किये हैं, जो गरीबी मिटाने का वायदा किया है। इस समय वह नजर नहीं आता है। गरीबी मिटाने के लिए प्रति व्यक्ति के लिए वह क्या कर सकेंगे। यह नजर नहीं आता है कि गरीबी मिटाने के लिए और उसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या किया जायेगा। मैं तो यह जरूरी समझता हूं कि जब तक श्रमिक को उसके श्रम का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक समाजवाद की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकती है। जितना उत्पादन होता है, उसका वितरण बराबर नहीं होता है। जब तक यह नहीं होता है तब तक हम समाजवादी विचारधारा की ओर नहीं बढ़ पायेंगे। समाजवादी दिशा में और समाजवादी विचारधारा में हम तबतक आगे नहीं बढ़ पायेंगे जब तक कि हम उसको इम्पलीमेंट नहीं करेंगे। जब तक बराबर हिस्सा नहीं दे सकेंगे तब तक सामान्य आदमी के दिमाग में समाजवाद की भावना जाग्रत नहीं हो पायेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले काफी वर्षों से अकाल का जिक्र बजट में होता रहा है। इस साल भी वित्त मन्त्रीजी ने जिक्र किया है। वर्षा हुई नहीं है। उसी पर हम डिपेण्ड करते हैं। वह इस साल आई नहीं है। अकाल हमारे बजट में हर साल स्थान लेता रहा है। आज हम देखें, राजस्थान नहर पर जितना जल्दी काम होना चाहिये था, वह जितना जल्दी नहीं हो पाया है। भारत सरकार से राजस्थान सरकार को जितना पैसा मिले वह भी पैसा यह सरकार खर्च नहीं करें। पिछले साल एक करोड़ रुपया हमारा लैप्स हुआ है। सिर्फ ईंटे वगैरह ही डाली गई थी। अकाल राहत के लिये जो साधन जुटाने चाहिये वह जुटा नहीं सके हैं। भारत सरकार के एक मन्त्री महोदय ने दिल्ली में एक सभा में कहा कि राजस्थान सरकार को हम कहना चाहेंगे कि दोनों हाथों से ताली बजती है। अगले साल 55 करोड़ रुपया देने का वायदा है। वह चाहते हैं कि राजस्थान नहर पूरी हो जाय। उनका कहना है कि राजस्थान नहर पर नाजायज कब्जा हो रहा है। उनको हटाया जाय। मैं सभापति महोदय सदन में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि पिछली बार भारत सरकार के योजना मंत्री श्री डी० पी० धर राजस्थान आये थे। तो उन्होंने कहा था कि हम 200 ट्यूब वैल का पैसा देते हैं। तो कहते हैं कि राज्य के अधिकारियों ने कहा है कि 200 ट्यूब वैल हम नहीं लगा पायेंगे। इसमें कितनी सत्यता है, यह मैं नहीं कह सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार तेजी से अकाल के बारे में कार्य कर लेना चाहिये था, जैसा हो रहा है, जिस तेजी से होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। राजस्थान नहर का विकास कर के हम क्या करना चाहते हैं। यदि राजस्थान नहर को पूरा कर देते हैं तो शोषित वर्ग को लाभ मिल सकता है। जिन लोगों ने वहां पर कब्जा कर रखा है वह पहले से ही बड़े-बड़े जागीरदार हैं। क्या राजस्थान सरकार उन कब्जों को हटाने वाली है। यह मैं नहीं कहता हूं हमारी जो प्रधानमन्त्री हैं और

Page No 62

(62)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

श्री डी० पी० धर जो योजना मन्त्री हैं, वह कहते हैं। राजस्थान नहर से उन लोगों का फायदा होने वाला है जिनको कि राजस्थान सरकार ठीक करने जा रही है। हमारे राजस्व मन्त्री, गंगानगर इलाके के हैं। अगर उनकी सही मन्शा है तो पिछले 8 महीने में एक वार भी उन्होंने वहां का दौरा किया है। राजस्थान नहर क्षेत्र का एक वार भी दौरा किया है। 8 महीने हो गये हैं। वह जिस क्षेत्र के हैं। उसके लिये उनकी विशेष जिम्मेदारी है। जिस क्षेत्र के वह हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो बेरोजगारी की स्थिति है वह इतनी बढ़ती जा रही है, वैसे बजट भाषण में आदरणीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हम बेरोजगारी को रोकने के लिये प्रयत्नशील हैं। सभापति महोदय, अगर हम आंकड़ों के अन्दर जाय—इनके अन्दर भी कोई बहुत बड़ी सफलता की बात नजर नहीं आती। आंकड़े एक तरफ बेरोजगार लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आंकड़े इसके लिये नहीं बढ़े कि इतने लोगों की बेरोजगारी मिटाई है। बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा ब॰ रहे हैं, 1971-72 की तुलना में 1972 में 3·2 प्रतिशत आंकड़े बढ़े, 1973 मैं सोचना हूं कि आंकड़े बढ़ेंगे बेरोजगारी के। मैं कहना चाहूंगा, उत्सुकता राज्य सरकार की बेरोजगारी को मिटाने की मुझे नजर नहीं आती है। मैं सोचता हूं देश की प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने बेरोजगारी को मिटाने का नारा दिया है लेकिन उस नारे को फलीभूत करने में और बेरोजगारी को मिटाने में राज्य सरकार कामयाब नहीं रही है। राज्य सरकार सोचती है कि इन्दिराजी ने बेरोजगारी को मिटाने का नारा दिया है, इन्दिराजी ही इस काम को कर लेंगी, राज्य सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस समय यह कहना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत करने के बजाय हम उनके हाथ कमजोर कर रहे हैं। जनता ने इन्दिरा गांधी के नारे के कारण सोच कर कांग्रेस को 145 की संख्या में यहां भेजा है, उस नारे की पूर्ति के लिये और बेरोजगारी के मसले को हल करने की आज नौजवान, युवा जगत यह आशा लगा कर बैठा है कि राज्य सरकार कितने डॉक्टरों को, कितने इंजिनियरों को रोजगार दे सकेगी। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य सरकार के हाथ में होते हुए भी वहां पर जो इंजिनियर रखे वह भी सही मायने में बेरोजगार युवा इंजिनियर को नहीं रखा। पी० डब्ल्यू० डी०, में देखें, इरिगेशन में देखें, बार-बार इस बात को अवोइड किया जा रहा है। आपने बजट भाषण में कहा कि 25 की जगह 38 डिस्पेन्सरी खोली जायेगा, तो 38 डिस्पेन्सरी खोल कर राज्य सरकार कितने नौजवान डॉक्टरों को रोजगार दे सकती है। मुझे इस बात से निराशा होती है, अगर आने वाले समय में भविष्य में नौजवान, जो बेरोजगार हैं; में फ्रस्ट्रेशन आ जायगा तो देश आगे कहां जायगा? 1947 में जो नौजवान नहीं थे, बच्चे शैशव काल में थे, वे पहली बार मतदाता बने या व आगे बनने वाले हैं, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि इन नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन आ गया तो निश्चित तौर पर हमारी नीतियां फलीभूत नहीं हो पायेंगी, नीतियां कार्य रूप में परिणित नहीं हो पायेगी। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, राज्य

Page No 63

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सरकार ने जिक्र किया है, औद्योगिक विकास का, औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में यह जिक्र किया है कि सोलह पिछड़े जिलों में सत्रह उद्योग लगे हैं। अलवर में स्कूटर का कारखाना खोल दिया तो बड़ी औद्योगिक प्रगति हो गई, बड़ी इंडस्ट्री लग गई। सोलह जिलों में सत्रह उद्योग लगे, सभापति महोदय इस तरह औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान को पीछे करते जा रहे हैं। हमारे पीछे जो प्रान्त बने, हमारे पीछे हरियाणा बना, उसने औद्योगिक दृष्टि से प्रगति की है। गुजरात और महाराष्ट्र का जिक्र मैं करूंगा, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने को आम लोग वहां जाना चाहते हैं और राजस्थान में आने से हिचकिचाते हैं। इसका कारण है इन्डस्ट्री विभाग में जो लोग बैठे हैं वह सही मायने में इन्डस्ट्री, उद्योग के आदमी नहीं है, एक डिप्टी डाइरेक्टर है जो खसखस का इत्र बनाते थे, एक डिप्टी डाइरेक्टर, दिल्ली में चोलियां बनाया करते थे, एक डिप्टी डाइरेक्टर हैं, उनका इन्डस्ट्री का काम नहीं है, नियमों का काम है, वह नियमों का काम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्डस्ट्री क्या है, इसको समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा, यह सब डिप्टी डाइरेक्टर जयपुर में बैठे हैं, मैं सोचता हूं, जयपुर में इनका काम नहीं है, इनका डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बैठना चाहिये, अलग-अलग क्षेत्रों में बैठना चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में इन्डस्ट्री आगे बढ़ सके। मैं कहना चाहूंगा कि आज इन्डस्ट्री को बिजली, पानी और सड़क की सहूलियत देनी चाहिये। जो इन्डस्ट्रीयल एस्टेट है, झोटवाड़ा के पास में विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एस्टेट, वहां जाकर देखें न वहां नल है, न बिजली है और न सड़क है। इसके अलावा जो उद्योग रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन तक लगाना चाहते हैं, उनको इसके लिए जमीन नहीं देते हैं। मैं सोचता हूं, राज्य सरकार घोषणा करती है, कलकत्ते में जाकर, बम्बई में जाकर घोषणा करती है राजस्थान चलो, हम यह सहूलियत देंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती से यहां आकर फंस जाता है, तो वह निराश होकर जाता है और जाकर वह यह प्रचार करता है कि राजस्थान में नहीं जाओ। मैं इसलिए यह कहता हूं कि आप जो कुछ मुंह से बोलें, उसको इम्पलीमेन्ट करने के लिए आपको कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि सात वर्ष तक हम ब्याज रहित अनुदान उनको देंगे जो फैक्ट्री लगायेंगे। मंत्री महोदय यह बतायें कि कौनसी ऐसी फैक्ट्री हैं जिसे ब्याज रहित अनुदान दिया है? राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी, बिजली रियायती दर पर देंगे पांच साल में जो उद्योग लगे, उनको दस पर्सेन्ट, पन्द्रह पर्सेन्ट विशेष रूप से छूट देंगे। मैं कहना चाहता हूं, एक पर्सेन्ट भी किसी एक फैक्ट्री को आपने अब तक छूट नहीं दी है और न किसी प्रकार की उनको राहत दी है। फिर कौन आदमी यहां पर फैक्ट्री लगाने आयेगा। मैं कहना चाहता हूं कि डवलपमेंट का सारा बेस इन्डस्ट्री है इसी पर डवलपमेंट डिपेन्ड करता है। आगे आने वाले समय में हमारा डवलपमेंट उद्यो-

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

पर डिपेन्ड करता है। इससे ही लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसका जिक्र करने का मेरा मतलब यह है, सभापति महोदय, इन बातों की पूर्ति हम नहीं करेंगे तो जो वास्तव में भावना है, गरीबी मिटाने की ओर इसके लिए जो योजना दिमाग में रखते हैं उसे पूरी नही कर पायेंगे।

खास तौर से हमारे वित्त मंत्रीजी ने पांचवी योजना के शुरू होने तक इस बात का जिक्र किया कि 8 अरब, 25 करोड़ 54 हजार के करीब-करीब हमारे लोन की राशि ऋण की राशि हो जायगी। मुझे यह मालूम नहीं पड़ता कि यह कहां तक सही है क्योंकि राज्यपाल के मुंह से यह सूचना मिली, उन्होंने कहा कि नो करोड़ राशि का लोन बन जायगा इतना ऋण हो जायगा। यह अब राज्यपाल कहते हैं, तो मुझे मालूम नहीं कि राज्यपाल की बात सही समझूं या वित्त मंत्री की बात को सही समझूं। मैं सोचता हूं, राज्यपाल की बात सही है क्योंकि वे सर्वोपरि हैं, राजस्थान में वह जो बात कहेंगे वह ज्यादा उचित होगी। लेकिन इनमें डिफरेंन्स है, इनकी बातों में मतभेद नजर आता है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्यों है। क्या राज्य सरकार, जो आंकड़े उसके सामने कर्मचारी रख देते हैं, वही बजट में पेश कर दिये जाते हैं और स्वयं गहराई में नहीं जाया जाता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लाल फीताशाही इस तरह हावी होती जारही है कि उसका सारा असर राजस्थान की अर्थ व्यवस्था पर आर्थिक स्थिति पर है और इसलिए आर्थिक स्थिति चरमराने की स्थिति में आ रही है।

मैं यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि बजट भाषण के अन्दर इसका जिक्र कर दिया गया कि साठ अधिकारियों को, गजेटेड ऑफिसर्स को कम्पलसरी रिटायर कर दिया गया। सभापति महोदय, साठ अधिकारियों को रिटायर कर देने से ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा। मैं सोचता हूं कि यदि आप 160 को भी कम्पलसरी रिटायर कर दें तो क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि प्रोपर टाइम पर कागज निकले, जो कागज का प्रॉसीजर है वह समाप्त नहीं हुआ है, वह प्रॉसीजर आज भी बना हुआ है। एक कागज रिसीट होने के बाद में उस पर कार्यवाही होकर डिस्पेचर तक पहुंचने की जो हालत हो रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। राज्य सरकार भी जानती है, कागज का प्रॉसीजर है, वह ऐसा हो जिससे कि सही मायने में लोगों को सहूलियत मिले। इसलिए इस प्रासीजर को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकेंगे। आज स्थिति यह है कि कोर्ट में जो चपरासी आवाज देने वाला होता है, वह भी फाइल को ऊपर रखने के पांच रुपये ले लेता है। फिर आप कैसे भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं, चाहे आप लोकायुक्त को नियुक्त करदें, चाहे उपलोकायुक्त को नियुक्त कर दें, भ्रष्टाचार रहने वाला है। जब राजस्थान सरकार कागज के प्रॉसीजर को नहीं बदलेगी, जब तक नये तरीके सृजन करके नई स्थिति

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सामने नहीं रखेगी तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटा पायेगी। मैं सोचता हूं, रिसीट क्लर्क, एल. डी. सी., यू. डी. सी., सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फिर केबिनेट और चीफ मिनिस्टर तक कागज चलते-चलते सालों गुजर जाते हैं। मुझे मालूम है, वित्त मन्त्रीजी के पास एक फाइल उस समय आई थी, जिस समय वे उप-मन्त्री वित्त थे। उस समय का आपका नोट था। अब इनके पास वही फाइल आई है। इससे अन्दाजा लगाइये कितने अरसे तक फाइल चलती रही और उसका निपटारा नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार अब इस तरह से समाप्त नहीं होने वाला है। राज्य सरकार को कागज के प्रॉसीजर को परिवर्तित करना पड़ेगा, उन परिस्थितियों को परिवर्तित करना पड़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

मैं खास तौर पर इस अवसर पर शिक्षा का जिक्र करना चाहूंगा। पच्चीस सौ स्कूलें हम नई खोलने जा रहे हैं। वित्त मन्त्रीजी, शिक्षा मन्त्री भी हैं, उन्होंने यह काम अपने हाथ में लिया है तो निश्चित तौर से इससे राजस्थान के शिक्षा का स्तर और ऊंचा उठने की स्थिति आ रही है। लेकिन यह स्तर कैसे ऊंचा उठेगा, आज पंचायतों के अन्दर जिन स्कूलों को खोला है उनमें टाटपट्टी तक नहीं है, स्कूल के लिए मकान नहीं है। पेड़ के नीचे लड़के बैठते हैं और मास्टर पढ़ाता है। हालत यह कि वह स्कूल मालूम नहीं पड़ता है। हमें इस स्थिति में अन्तर लाना पड़ेगा। स्कूल चलते हैं, उनके लिए निश्चित तौर से मकान बनाने की योजना हाथ में लेनी होगी। हम कहें कि लोग स्कूल के मकान के लिए पैसा इकट्ठा करके दें तो इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठने वाला है। इसी तरह पंचायत क्षेत्र में जो मास्टर लगे हुए हैं उनकी हालत यह है वह हाजिरी बी. डी. ओ. और प्रधान के यहां देते हैं। इस प्रकार सही गुरु पद की जो मर्यादा है, उसको खत्म करते हैं। पंचायतों में जो मास्टर दे रखे हैं, उन मास्टरों से हमारे बच्चे क्या सीख पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा व्यवस्था के अन्दर जरूर बदलाव आना चाहिए। इसके साथ ही जो स्वयंसेवी शिक्षण संस्थायें जयपुर में और राजस्थान में बनी हुई हैं उनका स्तर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षण संस्थाओं से अच्छा है। हो सकता है, दो चार स्कूलों ने गलती की होगी, जिन्होंने तमाम शिक्षण संस्थाओं को बदनाम कर दिया है, लेकिन उनका स्टैण्डर्ड ऊंचा है।

आज हमारे जयपुर कलक्टर जो शिक्षा विभाग के कलक्टर बनकर बैठे हैं, उन्होंने जो रूल्स और रेग्यूलेशन्स बनाए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सरकारी अधिकारी और राज्य सरकार उनसे खुश हो सकती है लेकिन उन्होंने इतने निकम्मे नियम बनाए हैं कि उनसे सारी की सारी संस्थायें चलने की स्थिति में नहीं हैं, इससे तो उनको बंद कर देना अच्छा है। इससे बेहतर है कि उनको नेशनेलाइज कर दिया जाय तो उचित होगा अन्यथा उन पर प्रेशर डालकर गलत रूल्स में बांधकर वे कोई काम नहीं कर पाते हैं। यह जो प्रशासनिक तन्त्र है, इसकी जो व्यवस्था है, इनके जो सोचने का तरीका है, ये एयर-कन्डीशन

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कम्स में बैठकर नियम बनाते हैं, हमारे कलक्टर्स, सीनियर सेक्रेट्रीज, आइ० ए० एस आफिसर्स अपने एयरकन्डीशन कमरों में बैठकर योजनायें और नियम बनाते हैं। उनको मालूम नहीं गांवों में क्या होता है, जहां परेशानियां हैं, वे देखते नहीं। सही माइने में जो विस्तार होना चाहिए, जो योजना इम्पलीमेंट होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती।

हमारे वित्त मन्त्रीजी ने यह भी जिक्र किया कि प्लानिंग बोर्ड का गठन किया जायगा। इससे पहले यूथ बोर्ड का गठन हो गया। यही बजट के अन्दर हमारे मुख्य मन्त्री ने कहा था कि एक महीने के अन्दर यूथ बोर्ड बना देंगे। उससे पहले 1968 में उस समय के वित्त मन्त्री, श्री मथुरादास माथुर, ने कहा था अपनी बजट स्पीच में कि यूथ बोर्ड बनाया गया। तो प्लानिंग बोर्ड यूथ बोर्ड की तरह बनेगा परन्तु कागजों पर बनाया जा रहा है। गलती से कहीं बन जाय तो यह आधार नहीं देखा जाता है कि योजना किसने बनाई है, जिसको टेक्नीकल जानकारी हो, योजना के बारे में डेटा हो, योजना को सही माइने में पूरा कर सकता हो। ऐसे व्यक्ति का सलेक्शन नहीं होने वाला। वहां सलेक्शन होगा ऐसे आदमी का जिसका सही माइने में योजना से कोई मतलब नहीं। जो हमारी योजना की भावनायें हैं उनको सही माइने में पूरा कर सके यह तो कम से कम मन्शा होनी चाहिए और उसी आधार पर सब काम होने चाहिए।

पिछले सदन में विधायकों की सलाहकार समितियां बनीं। सिर्फ वित्त मन्त्री ने एक बार उस समिति की मिटिंग बुलाई है। किसी और मन्त्री ने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। जिला स्तर पर कमेटियां बनायें, चाहे ब्लॉक लेविल पर बनायें, चाहे राज्य स्तर पर बनायें, उनको क्या करेंगे। आप कमेटियां बनाना बंद कर दीजिए। इस तरह की कमेटियां बनाकर, इस तरह के बोर्ड बनाकर हमें खुश मत कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं। हम इस बात से खुश हैं कि राज्य सरकार सक्षम है, सलाहकार समितियों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कम से कम जो सरकार घोषणा करे, उसको इम्पलीमेंट करे। हमारे प्रशासन के अन्दर सरकारी अधिकारी, सरकारी तंत्र जो बैठा है, वह रत्ती भर आगे चलने नहीं देगा और कुछ नहीं करने देगा। चाहे विधान सभा में कोई बजट पेश करें, अगले बजट में भी यह आंकड़े आयेंगे और इसी तरह के भाषण आयेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ऐसी परिस्थितियों के अन्दर यह बजट जो पेश हुआ है उसमें मुझे कतई निराशा नहीं है। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता और प्रशंसा करता भी हूं लेकिन हमें अपना स्तर बदलना होगा, आगे के लिए सही माइने में योजना बनानी होगी, तब तो समाजवाद का असली जामा पहनना संभव होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री जगमोहनसिंह !

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : सभापति महोदय, प्रदेश की वर्त्तमान परिस्थितियों

(श्री जगमोहनसिंह)

में वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, वह एक सराहनीय बजट कहा जा सकता है और मैं मानकर चलता हूं कि जो वर्त्तमान परिस्थितियां प्रदेश की हैं उनमें इससे अच्छा बजट और पेश नहीं किया जा सकता था। वित्त मंत्रीजी ने पहली बार प्रदेश के उस तबके पर जो कि करों के भार से काफी दब चुका है, उन पर कर नहीं लगाए हैं, यह भी सराहनीय कार्य किया है। पहली बार जिन लोगों को देने की क्षमता है और जिन से लेना चाहिए उन पर कर लगाने का उन्होंने प्रयास किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में गत वर्ष का जो हमारा विकास का लेखा जोखा था उसका विवरण दिया है और आगामी वर्ष में हम अपने गरीबी हटाओ की उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे सीमित साधनों से कहां तक कर सकते हैं, उसका भी विवरण उसमें दिया है। अकाल की जो वास्तविक समस्या बनी हुई है, उसका भी जिक्र किया गया है। अकाल से निपटने के लिए क्या-क्या कदम राज्य सरकार उठा रही है, उसका भी संक्षेप में विवरण दिया है। इसमें मुख्यतः रबी का जो स्पेशल प्रोडक्शन क्रेश प्रोग्राम है, पेय जल की समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जाए, इसके लिए जो मेजर्स हैं, उनका भी विवरण दिया गया है। इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश का हर आदमी और सदन का माननीय सदस्य इस बात को महसूस करता है कि हमारे पास साधनों की कमी है इस अकाल की विभीषिका मिटाने के पर्याप्त साधन नहीं मिल पाते हैं। ऐसी धारणायें और विचार रखे जा रहे हैं। वास्तव में अकाल की विभीषिका को देखते हुए यह जो विचार प्रकट किए जाते हैं सही हैं। जो कुछ हमारे साधन हैं अगर उसका सही उपयोग करके जो प्रोग्राम्स हमारे साधनों के अनुसार बनाए गए हैं, उनका सही एग्जीक्यूशन करके चलें तो भी बहुत हल हो सकती है। रबी का स्पेशल प्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया, कोटा जिले में चलाया। जो स्पेशल प्रोग्राम था और जिसके लिए फर्टीलाइजर एक बहुत आवश्यक चीज थी, फर्टीलाइजर का कारखाना कोटा में मौजूद है जहां फर्टीलाइजर बनता है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अन्न की पैदावार बढाने का जो स्पेशल प्रोग्राम रबी का इसलिए चलाया गया था कि अनाज की समस्या हल कर सकें। तो फर्टीलाइजर जो वहां मौजूद है, उसकी काश्तकारों को वितरण की व्यवस्था नहीं हो सकी। उसके कारण इस प्रोग्राम को बहुत बड़ा धक्का लगा। कलक्टर से बात की कि इतना खाद बनता है, यहां मांग है तो क्यों नहीं वह पूरी करते और ब्लैक क्यों हो रहा है। कलक्टर ने कहा इस बारे में मैं मजबूर हूं क्योंकि जो उत्पादन है, उसका कोटा ऊपर से तय होकर आता है। वह हरियाणा व पंजाब जाएगा उसके बाद हमारा कोटा बचेगा। तो यह एक विचारणीय स्थिति है। एक प्रोग्राम हमने बनाया है समस्या से निपटने के लिए, उसका भी हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय वह है क्रेश प्रोग्राम के बारे में। अभी कुछ दिन पहले हमारे केन्द्रीय सरकार के राज्य मन्त्री श्री शेरसिंह जी ने एक स्टेटमेन्ट दिया था उसमें उन्होंने कहा राजस्थान

(श्री जगमोहनसिंह)

ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि पिछले दो वर्षों में क्रेश प्रोगाम के अन्तर्गत जो रकम दी गयी थी वह काम में नहीं ली जा सकी। यह बात अखबारों में भी छपी थी, कि राजस्थान में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो रूपया दिया गया वह उपयोग में नहीं आ सका और लेप्स हो गया। सभापति महोदय यह क्रेश प्रोग्राम है वह रोजगार संबंधी है इससे लोगों को अकाल में बहुत मदद मिल सकती है। मैं आपको मेरे कोटा जिले की बात निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत करीब 12 लाख रुपया का प्रावधान था लेकिन वह रुपया लेप्स हो गया। इस वर्ष अगर एक दो लाख रुपये खर्च हो जाय तो मैं इसे बहुत समझता हूं। मेरा निवेदन है कि इस पैसे को युटिलाईज करना जरूरी है अगर हम वास्तव में काम चाहते हैं। इसके अलावा सभापति महोदय मैं कुछ पेयजल और नल योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे जो नल योजना के बारे में और पेय जल के बारे में बजट में जो प्रावधान रखा है, उसके लिये मैं वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय पेयजल और नल योजना के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे छबड़ा के अन्दर नल योजना के लिये करीब चार लाख रुपया खर्च किया गया लोगों को नल के कनेक्शन दिये गये लेकिन, सभापति महोदय, वहां की नल योजना इतनी डिफेक्टिव है कि उन नलों से एक बूंद भी पानी आज तक नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम लोगों से 6 रूपया पानी लिये वसूल करते हैं और पानी नहीं आये तो फिर क्या फायदा। सभापति महोदय, एक तरफ तो हमारे पास एक बड़ा लक्ष्य है गरीबी हटाने का इसमें एक साल तो गुजर गया है और दूसरा साल गुजर रहा है लेकिन जो बहुत बड़ा काम हमने अपने हाथ में लिया है वह पूरा नहीं किया जा सका है गत वर्ष भी मैंने इस सदन में निवेदन किया था कि जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति से हम हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। इसके लिये सभापति महोदय हमको बैठकर इन सारे मुद्दों पर बात करना होगा और जो कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा। जब तक हम अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। अभी हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी कमी है मशीनरी की। तो जब हमारे पास मशीनरी नहीं है तो फिर सोशिलिज्म का विकल्प क्या है। हम कैसे समाजवाद लायेंगे इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई भी योजना आप बनायें उसकी क्रियान्विति किस प्रकार से होगी उसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा जब तक यह तय नहीं हो जाता तब तक आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये हमें उन मुद्दों पर जो भी हो पहले तय कर लेना चाहिये कि उन्हें किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जायेगा। जब तक हम उन मेन मुद्दों को हल नहीं करेंगे या कर सकेंगे तब तक मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गरीबी हटाओ लक्ष्य को किसी भी तरह पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा सभापति महोदय मुख्य मन्त्रीजी ने और वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार को समाप्त

(श्री जगमोहनसिंह)

करने के बारे में उल्लेख किया। मैं मानकर चलता हूं कि राज्य सरकार ने कुछ पोजेटिव स्टेप्स लिये हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये जो पोजेटिव स्टेप्स लिये हैं उनके लिये मैं वित्त मन्त्रीजी को और मुख्य मन्त्रीजी को बधाई देता हूं। लेकिन सभापति महोदय सिर्फ कानून बनाने से ही भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जायेगा। इसके साथ-साथ में यह भी मानता हूं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार यहां के लोगों की नस-नस में समा गया है। और इसे रूट आउट करना बड़ा मुश्किल है लेकिन हमें इसे रूट आउट करना है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन पाजीटिव चैक्स के साथ आपको निगेटिव चैक्स भी अपनाने पड़ेंगे। निगेटिव चैक्स लगाये बिना आप केवल पोजेटिव चैक्स से भ्रष्टचार को समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों की इन्कम पर सीलिंग लगाइये। आज स्थिति यह है कि हर आदमी मोटर चाहता है मोटरवाला चाहता है कि उसे हवाईजहाज मिले और हवाई जहाज वाला चाहता है कि वह चांद पर जाये। तो जब तक आप इस पर कोई निगेटिव चैक्स नहीं लगायेंगे तब तक इसका अन्त नहीं आयेगा। लोग बेईमानी करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है कि लोगों की इन्कम पर सीलिंग लगे। इससे लोगों में भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। हमारे डिविजन के लोगों को बोलने का समय ही नहीं मिला है और मैं ही पहला व्यक्ति बोल रहा हूं अतः मुझे कुछ बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री जगमोहनसिंह : मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि निगेटिव चैक्स को अपनाया जाना चाहिये। अगर एक व्यक्ति की आमदनी पर आप सीलिंग लगा देंगे तो मैं समझता हूं कि उनके मस्तिष्क में ही नहीं आयेगी कि वह भ्रष्टाचार करे। नहीं तो इसका अन्त नहीं होगा इसके अलावा मैं कुछ आपके प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में निवेदन करूंगा सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने सचिवालय लेवल पर तो बहुत कुछ काम किये हैं और वहां पर आपने जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के क्रीम ऑफिसर थे उन्हें लाकर बैठा दिया जिससे काफी काम हो रहा है लेकिन दूसरी ओर मैं यह महसूस करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट्स में आपने जो क्रीम निकालने के बाद जो छाछ रहती है वह भेज दिये हैं। आपने छाछ को फील्ड में भेज दिया है। जो दूसरी जगह कलेक्टर्स या और ऑफिसर हैं। मैं दूसरे डिविजन के बारे में तो नहीं कहता लेकिन मैं कोटा डिविजन के अधिकारियों के बारे में कहता हूं वहां पर जो अधिकारी है वे कुछ काम नहीं करते हैं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपने सचिवालय में सेक्रेटियेट में नयी बात पैदा करदी है, वह आप डिस्ट्रिक्ट में भी पैदा करें और अच्छे ऑफिसर भेजें। आज हमारे यहां अच्छे ऑफिसरों की कमी है क्योंकि कुछ तो सेक्रेट्रियेट में चले गये हैं कुछ डेपूटेशन पर गये हुए हैं तो

(श्री जगमोहनसिंह)

एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार के लिए कारगर कदम उठावें। इसके अलावा मैं एक बात जो मुख्य और महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारी स्वराज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा काम हाथ में लेने की घोषणा की है वह फुडग्रेन के व्यापार के बारे में मैं राज्य सरकार का यह कदम सराहनीय मानता हूं और उसको उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसकी मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम इस इम्तिहान में खरे कसौटी पर नहीं उतरे तो बहुत मुश्किल का सामना हमें करना पड़ेगा इसके लिये मैं पुरजोर शब्दों में ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूं कि वे इस कार्य के लिये राज्य सरकार को पूरा सहयोग दे। हमें इस मेजर को किसी तरह से कामयाब करना ही है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हमें पूरी तरह से ऑल. लेवल से मेजर्स लेने हैं और ऐसे मेजर्स हमें इसके साथ-साथ लेने हैं कि जिससे यह बहुत बड़ा कार्य जो हमने अपने हाथ में उठाया है उसको सफल बना सकें। एक बात मैं भूल गया हूं, वह है करप्शन के बारे में। आपने यहां पर एक कोर्ट करप्शन के केसेज को एक्सक्लूजिवली डील करने के लिये रखा है जो कि राजस्थान के सारे करप्शन को डील करेगा तो उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि लोगों की बहुत ही मुश्किल हो जायेगी क्योंकि लोग राजस्थान के दूसरे इलाकों से आयेंगे एवीडेन्स के लिये इससे करप्शन को साबित करना मुश्किल हो जायेगा क्योंकि कोई 300 मील से आ रहा है कोई 500 मील से आ रहा है जयपुर में लोग उन एवीडेन्स को खराब करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में यह भी है कि लोग आना भी नहीं चाहेंगे। इसलिये मेरा सुझाव जयपुर में नहीं रख कर डिवीजनल हैड क्वार्टर पर रखा जाय। अगर डिवीजनल हैड क्वार्टर पर रखा जायेगा तो अच्छा रहेगा। मेरे इस सुझाव पर थोड़ा राज्य सरकार विचार करे तो अच्छा हो।

दूसरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं वह मेरे क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में है। बार-बार घण्टी बज रही है उसका मुझे ध्यान है।

मेरे क्षेत्र के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि 25 वर्ष देश को आजाद हुए हो गये लेकिन मेरे क्षे में कितना इन्वेस्टमेन्ट हुआ इसको यदि आप देखें तो मालूम होगा कि 25 वर्ष में 25 लाख रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। जहां कोई नयी सड़क नहीं बनायी गयी, कुछ दिन पहले मैंने सवाल पूछा था तो विद्युत् मन्त्रीजी ने बताया कि एक गांव को बिजली जाने वाली है। केवल एक गांव को। कोई सिंचाई की योजना नहीं बनायी गयी। बजट एलोकेशन्स को देखें तो उसमें एक पैसा भी नहीं रखा गया है। मेरा इलाका है वह कुछ पहाड़ी है और कुछ डेजर्ट टाइप है, आपने डेजर्ट एरिया को डी. पी. ए. पी. की स्कीम में लिया। लेकिन मेरे एरिया में जहां यही हालत है उसको न तो डेवलपमेंट प्लान में लिया और न ही इस स्कीम में।

पंचवर्षीय योजना पर सारा ध्यान केन्द्रित है। यह हमारी आशा और हमारी पूंजी है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि बैकवर्ड और डेजर्ट एरिया है जिनमें आज तक विकास नहीं हुआ है

Page No 71

(71)

(श्री जगमोहनसिंह)

उनका इस योजना में विकास किया जाय ताकि वहां के लोग भी महसूस कर सकें कि देश में विकास हुआ है।

फाइव इयर प्लान के बारे में मैं निवेदन करूं कि आज भी पासिटी ऑफ फन्डस की बात आती है। खेद के साथ सभापति महोदय, यह कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में जब सड़कें बनाने की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है। कोटा जाने के लिये देखते हैं कि पांच छः लाख का ब्रिज बन रहा है, जहां इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कहता कि विकास नहीं होना चाहिये, डेवलप्ड एरिया को और डेवलप करते रहेंगे तो उनको कब तक करते रहेंगे, उसकी कोई सीमा होनी चाहिये। जो डेवलप नहीं हैं, अनडेवलप्ड हैं तो उनको प्राथमिकता देना चाहिये। खास तौर से कोटा डिविजन है अगर वहां से चम्बल घाटी योजना के इन्वेस्टमेंट को निकाल दिया जाय तो बाकी के गांवों को डेवलपमेंट में, चाहे शिक्षा हो, बिजली हो, सड़कें हों, और अन्य डेवलपमेंट के साधन हों राजस्थान में इसको लोएस्ट लेवल पर रखा गया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यही निवेदन करूंगा कि जिन परिस्थितियों में यह बजट पेश किया गया है वित्त मन्त्रीजी उसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : सभापति महोदय, हमको समय नहीं दिया जा रहा है यह आपका पक्षपातपूर्ण रवैया है। अब तक जितने वक्ता बोले हैं पुरुष ही बोले हैं और महिलाओं में से एक को भी समय नहीं दिया गया है।

श्री सभापति : मैं आपकी बात समझ गया हूं। जो सूची दी गयी है उसमें आपका भी नाम है और आपको भी समय दिया जावेगा। मैंने पक्षपात नहीं किया, है, यह तो आप मानेंगी।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सभापति महोदय, बजट पर वाद-विवाद करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि बजट किन विषम परिस्थितियों में बनाया गया। आज हमारा राजस्थान भयंकर अकाल के चंगुल में है। 26 जिलों में से 24 जिले आज अकालग्रस्त हैं। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता में से सवा दो करोड़ जनता अकाल से ग्रस्त है। भारत के दो तिहाई हिस्से में सम्पूर्ण अकाल है और भारत की 33 प्रतिशत जनता इस अकाल से ग्रसित है बंगला देश के युद्ध के पश्चात् और उससे हमारी इकोनोमी पर पड़ने वाले असर के कारण उस संदर्भ में यदि हम विचार कर देखें तो हमारे यहां का बजट, जो अगले वर्ष के लिये माननीय वित्त मन्त्री ने प्रस्तुत किया है वह स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद हमारे राजस्थान का गठन जिन देशी रियासतों को लेकर हुआ, जिस प्रकार का यह प्रदेश है, सम्पूर्ण भारत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं मिलेगा जो सम्पूर्ण देशी रियासतों से, देशी रजवाड़ों से और देशी

(श्री रामनारायण चौधरी)

जागीरदारों की भूमि से बना हो। सम्पूर्ण देश में वह क्षेत्र आज भी सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है जो देशी राजा और रजवाड़ों के मातहत है। राजस्थान से लगा हुआ गुजरात का प्रदेश है जहां पर भी नरेशों का शासन था। राजस्थान से लगे मध्य-प्रदेश के राज्यों को भी देख सकते हैं जहां पर देशी रियासतों और रजवाड़ों का शासन था। राजस्थान में उस पिछड़ेपन को उन तमाम हालात को बदला गया और आज इस स्थिति में हैं कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है। यह बात छिपी हुई नहीं है कि आज बंगला देश के युद्ध के बाद जो असर हमारे देश पर, कन्ट्री पर आया, आज जो मंहगाई है, बंगला देश के युद्ध के बाद भारत के सम्पूर्ण 2/3 भाग में आज अकाल है और राजस्थान में 95 प्रतिशत हिस्से में आज अकाल है, भीषण अकाल है, हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो 'गरीबी हटाओ' का नारा है उसमें इन कारणों से कुछ रुकावटें आई हैं। लेकिन बजट को देखने से पता लगता है कि राजस्थान इन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है।

मैंने अभी बजट में किये गये प्रावधानों की तरफ देखा तो मैं देखता हूं कि गत वर्ष योजना में 67 करोड़ का प्रावधान था अबकी बार 77 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी योजना व्यय में अगले वर्ष में 10 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया गया है। यह स्वागत योग्य है। जहां हमने गत वर्ष के अन्दर सार्वजनिक निर्माण पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰, संचार साधनों पर 1.25 करोड़ का प्रावधान किया था अबकी बार उसमें दो करोड़ का प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य है। इससे जाहिर होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं।

मैं बजट प्रावधानों पर, बजट के अनुमानों पर विचार करते हुए यह जाहिर करना चाहता हूं कि हमने प्रथम बार सोचा है कि इस प्रकार से समाजवादी कदम उठाये जायं। नगरीय सम्पत्ति पर जो 1/2 प्रतिशत का टैक्स वित्त मन्त्री महोदय ने प्रस्तावित किया है वह अत्यन्त स्वागत योग्य है। इस टैक्स से करीब डेढ़ करोड़ की आमदनी होगी। उसके साथ-साथ इस बात का पता चल सकेगा कि हमारे प्रदेश में, हमारे नगरों में काले धन का विनियोजन किस हद तक हुआ है। इस टैक्स से न केवल डेढ़ करोड़ की आमदनी सरकार को होगी बल्कि काले धन को रोकने में उसका विनियोजन, जमीन पर, जमीन खरीदने पर और मकानों पर लगाने से रोका जा सकेगा। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसका स्वागत करना चाहिये लेकिन यह बता देना चाहता हूं वित्त मन्त्री महोदय ने हाफ परसेन्ट 50 हजार की सम्पत्ति से ऊपर असीमित सम्पत्ति जिसके पास है, वहां पर भी आधा प्रतिशत रखा है। इसका मतलब क्लियर है कि सब बराबर हैं। नगरीय क्षेत्रों में वे लोग जिनके पास आज करोड़ों की संपत्ति है उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिये। इस पर स्लेब सिस्टम करना चाहिये और पांच लाख की सम्पत्ति पर पांच प्रतिशत करना चाहिये। यदि समाजवाद लाना चाहते हैं जिनके पास असीमित सम्पत्ति है, जिसके पास असीमित धन है, आज धन नोटों का नहीं है धन आज सम्पत्ति का है। जिन लोगों के पास

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रॉपर्टी के रूप वे अचल सम्पत्ति है वे आज धनवान गिने जा सकते हैं और हम कह सकते हैं वे सम्पत्तिशाली है जिनके पास बड़ी भारी सम्पत्ति है उनको किस प्रकार समाज के काम में लाया जा सकता है, यह एक ही तरीका है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने कारगर कदम उठाने में हिचकिचाहट की है। क्योंकि जिनके पास हाऊसेज की बड़ी भारी सम्पत्ति लैण्ड और बिल्डिंग के रूप में मौजूद है उन भूतपूर्व देशी राज्यों के राजा-महाराजाओं और भूतपूर्व जागीरदारों के पास जो बड़ी भारी सम्पत्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित है उनको किस प्रकार आज समाज के काम में ले सकते हैं।

यह वह तरीका है जिसके जरिये से हम उन लोगों से कुछ ले सकते हैं आपने बजट के अन्दर 50 हजार तक की सम्पत्ति कर मुक्त रख करके अच्छा कदम उठाया है। पांच हजार की सम्पत्ति एक परिवार के लिये कम नहीं होती है। वैसे धन और सत्ता लोभ किसी का कम होता हो नहीं है और जिसके लिये इन्सान के मन में भूख और आकांक्षा बराबर बनी रहती है तो पचास हजार से ऊपर की जो सम्पत्ति है उस पर स्लेब सिस्टम किया जाना चाहिये और पांच लाख के ऊपर तो पांच प्रतिशत टैक्स लगाया जाना चाहिये। सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आज जो अकाल की भयंकर स्थिति है, उसके लिये किस प्रकार से अकाल के वक्त प्रारम्भ में किये गये अधूरे कार्यों को पूरा किया जाय और किस तरह से आगे अकाल के प्रभाव से बचा जाय, इसके लिये भारत सरकार से आज से दो वर्ष पूर्व ड्राट प्रोन एरिया प्रोजैक्ट एरिया जिसको डी० पी० ए० पी० के नाम से पुकारते हैं, 10 जिलों से लागू किया गया था। उन 10 जिलों में राजस्थान सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने किय था। इस सदन में यह आवाज उठाई ग थी कि ये 10 जिले जिस स्टेन्डर्ड में आते हैं और जो हालत इन जिलों की है उससे भोई डिजरविग हालत और कन्डीशन राजस्थान के दूसरे जिलों की भी है। जिन पर इस सदन में क्यों नहीं विचार किया जाय। पिछले वर्ष यह प्रश्न उठाया गया था। वैसे इन 10 जिलों के लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ऐतराज इस बात का है सीकर, झुंझुनू और जयपुर ये तीन जिले ऐसे हैं जो10जिले डी.पी. ए.पी. में शामिल किये हैं उनसे किसी कदर इनकी हालत अच्छी नहीं है। यह प्रश्न इस सदन के मारफत उठाया गया था और मान्यवर यह आश्वासन दिया गया था कि केन्द्र की सिफारिश भेजी है। उस पर पुनः विचार होगा और पुनः विचार हुआ। उसके बाद राजस्थान प्रदेश में पांच तहसीलों को और शामिल किया गया डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के अन्दर। उन पांच तहसीलों में झुंझुनू की दो तहसीलें थी, अजमेर की एक तहसील थी, उदयपुर की एक तहसील थी और एक तहसील दूसरे जिले की थी वह मुझे अभी याद नहीं है। उन पांच तहसील की भारत सरकार की स्वीकृति डी. पी. ए. पी. में शामिल कर जो फेमिन वर्क्स अधूरे रह गये थे उनको पूरा करने के लिये और इस प्रकार की और स्कीमें लेने के लिये जा परमानेन्ट नेचर की हैं इस प्रकार का कार्यक्रम हाथ में लेने की भारत सरकार से राजस्थान सरकार के पास आ चुकी है

(श्री रामनारायण चौधरी)

लेकिन उन तहसीलों में कोई काम आज तक चालू नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री महोदय के भाषण में डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम जो 20 करोड़ का है पांच तहसीलें और शामिल हुई हैं वहां वे पांच तहसीलें ढ़ाई करोड़ की हुई है। इस तरह कुल साढ़े बाइस करोड़ की रकम बहुत बड़ी हैं, उन तहसीलों में क्या प्रगति की, उन तहसीलों में आज तक क्यों नहीं काम किया गया है, इस सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, यह देखकर मुझे दुख हुआ और में यह निवेदन करना चाहता हूँ जिन तहसीलों के अन्दर डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम शामिल किया गया है, उनमें अविलम्ब कार्य शुरू किया जाना चाहिये।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ इस वर्ष के बजट में जो टैक्सेज से आमदनी दिखाई गई उसके खर्च का बंटवारा समाज के उस तबके में, जो समाज की रीढ़ है जिस पर हमारा समाज और देश आधारित है, उस तरफ ध्यान देने की चेष्टा की गई है, मैं यह नहीं कहता कि यह जो कुछ ध्यान दिया गया है, जो वित्त मंत्रीजी की नजर पड़ी है उससे काम होगा लेकिन मैं मानता हूँ इससे समाज के उस तबके को ऊंचा उठाने में, समाज के उस तबके को आगे चलाने में मदद मिलेगी। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने शिड्यूल्ड कास्ट्स की कम्यूनिटीज के लिये कुछ दूसरे वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसायटी के बारे में बजट में जिक्र किया गया है। दूसरे वीकर ऑफ दी सेक्शन ऑफ दी सोसायटी काफी है। जिसके बारे में कोई संकेत नहीं मिमता है। मान्यवर मैं यह मानता हूँ समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग शियूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स इकोनोमिकली, सोशियली और पॉलिटिकली हमारे प्रदेश में मोस्ट बैकवर्ड है लेकिन समाज में वह तबका भी है जिसको हमने राजस्थान शिड्यूल्ड के हिसाब से बैकवर्ड माना है। बैकवर्ड के अन्दर दो-दो कम्यूनिटीज आती है, उनकी सूची मुझे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है वे भलीभांति जानते है, उनकी हालत आज समाज में दयनीय हैं, उनकी तरफ भी विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये।

मान्यवर वीकरण सेक्शन ऑफ दी सोसायटी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के मामले में एक बात की तरफ में ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह खुशी की बात है कि इनकी लोकलिटीज को इलेक्ट्रिफाई किया जायगा लेकिन आज पास में बिजली के लट्टू जल रहे हैं और इनकी लोकेलिटी में अन्धेरा रह रहा है। मान्यवर यह बहुत बड़ा भारी अभिशाप है। वस्त्र के अभाव में उनका बदन नंगा रहे और दवा वगैरह के अभाव में तन्दुरुस्ती बिगड़ती जाय, इस और भी ध्यान देना होगा। इनके रहन सहन के लिये विशेष प्रावधान बजट में किया जाना चाहिये। जो दूसरी फेसिलिटी समाज के अन्य तबकों के लिये प्रेस्काइब की है, उनमें आप कमी कर सकते हैं लेकिन उनके लिये एक फेज्ड प्रोग्राम राजस्थान सरकार का होना चाहिये कि राजस्थान की आने वाली पंचवर्षीय योजना के अन्त में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बिना समस्या के नहीं रहने दिये जावेंगे। ताकि हम देश को दिखा सकें कि राजस्थान वह प्रदेश है कि जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड

(श्री रामनारायण चौधरी)

ट्राइब्स का एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं है। पर आजादी से पूर्व और पहले वर्ष में जो हमारी स्थिति थी वह स्थिति आज तक नहीं सुधर सकी है।

जिस परिवार के पास खाने के साधन नहीं हैं, पहनने को कपड़ा नहीं है, वह परिवार आज की इस महंगी शिक्षा लेने के लिये कैसे कॉलेजों और स्कूलों में भेज सकेगा। यह समझ के बाहर की बात है उनके। हम इस मूल कारण पर ध्यान नहीं देते। यह सख्त हैरानी है। एक साथ दस महीने की मार्च के महीने में वजीफे की रकम दे दी जाती है और सरकार कहती है कि हमने दे दिया। वह समझने की क्षमता आज की इस प्रशासन प्रणाली में और शासन में नहीं है कि वे गरीब लोग दस महीने कैसे निकालेंगे, हर महीने वे सौ सवा सौ रुपया कॉलेज में फीस का कहां से दे सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप विद्यार्थी को जो वजीफा दें वह हर महीने की पहली तारीख को उसे दें जैसे आप अपने कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह देते हैं। इस तरह से छात्रवृत्ति भी हर बालक को हर माह की पहली तारीख को मिल जानी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं थोड़े समय में समाप्त कर रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने भले ही कुछ प्रगति की हो, पर मैं संविधान की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि आजादी के दस वर्ष के अन्दर-अन्दर प्रत्येक भारतीय बालक को जो 6 से 14 वर्ष की उम्र का है, प्राइमरी एजूकेशन देने की व्यवस्था करेंगे। संविधान को लागू हुए 25 वर्ष के करीब का अर्सा होने आया पर आज हम यही घोषणा कर रहे हैं कि पांचवीं योजना के अन्त तक 60 प्रतिशत बच्चों को हम शिक्षा देने की व्यवस्था कर पावेंगे। आज संविधान को लागू हुए कितना ही अर्सा हो गया है। आज एक आर्टिकल मैंने देखा जिसमें इस सारी स्थिति का जिस तरह से विश्लेषण किया गया है उससे स्पष्ट है कि हम आज से 28 साल तक भी प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरिली सब को देने में सक्षम नहीं हो पावेंगे अगर आज की ही गति से चलते रहे तो।

तो मैं निवेदन करूंगा कि एलीमेन्टरी एजूकेशन जिसका डाइरेक्टिव हमारे संविधान में है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की वय के बालक के लिये देने के लिये उसे हम पांचवीं योजना तक पूरा करें।

मैं यह कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि हमारे देश को आजाद करने वाले और आजादी के संघर्ष में अपना सब कुछ होम देने वाले नेतागण और देश की आजादी के बाद हमारे राष्ट्रपिता ने यह कहा था कि आज भी हमारे मस्तिष्क में गूंज रही है। उन्होंने कहा था कि यदि मेरा वश चले तो मैं गवर्नर और राष्ट्रपति के पद पर किसी भंगी की लड़की को बिठा दूं और अगर मेरा वश चले और एक दिन क्या एक घन्टे के लिये भी सत्ता मुझे दी जावे तो पूर्ण शराबबन्दी लागू कर दूं। पर आज शराबबन्द करना तो दूर रहा, हम इसकी आमदनी बढ़ाते जा रहे हैं और इससे कहते हैं कि हम अपना विकास करेंगे। मैं जानता हूं इतना साहस आप

(श्री रामनारायण चौधरी)

में नहीं है कि 9.50 करोड़ की आमदनी को आप आसानी से छोड़ दें। यह बहुत बड़ा लाभ है। पर यह भी तथ्य है कि गलत साधनों से कमाया हुआ धन कभी भी अच्छा परिणाम नहीं ला सकता। आप शराब से 9.50 करोड़ की जो आमदनी पैदा कर रहे हैं उसका 90 प्रतिशत हिस्सा उस तबके का है जो शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की गिनती में आता है और समाज का सबसे वीकर सैक्शन है।

आपने सदन में घोषणा की थी कि हम इस नशाबन्दी को क्रमशः बढ़ाते जावेंगे। पर इस वर्ष और गत वर्ष के भी बजट को देखने के बाद यह कथन गलत साबित हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप एक दम नहीं कर सकते तो एक फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार इसे समाप्त कर दें।

मैं यह नहीं मान सकता कि आप इसे नहीं कर सकते, हमारे से बाद में बना हमारा पड़ोस का प्रान्त गुजरात है, जहां पूर्ण शराबबन्दी है।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि मन्त्रीजी जब वक्तव्य देंगे तो आपको इसके लिये भी मौका मिल जावेगा। अब आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामननारायण चौधरी : जब हमारा पड़ोसी और हमारे से छोटा राज्य पूर्ण शराबबन्दी कर सकता है, तो कोई कारण नहीं कि हम नहीं कर सकते।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान विकास की तरफ बढ़ा है। राजस्थान ने बराबर प्रगति की है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। राजस्थान के कुल गांवों में से 6200 में बिजली आप इस वर्ष तक या अगले वर्ष तक लगा देंगे यह प्रसन्नता की बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को मैंने काफी समय देने की कोशिश की है। अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूँ।

शहरी सम्पत्ति की सीमा बान्धने के लिये पिछले अधिवेशन में हमने कदम बढ़ाया था कानून यहां पास किया था। पर यह देखकर थोड़ा अफसोस होता है कि आज तक महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति उस पर प्राप्त नहीं हुई है। इसका बजट में संकेत किया गया कि चूंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति अभी मिली ही है इसलिये इसे लागू नहीं कर सके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राज सरकार इस पर ध्यान दे।

इन शब्दों के साथ जो बजट एस्टीमेट रखे गये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और उन परिस्थितियों, हालातों और विषय स्थिति में जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसके लिये मैं वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूँ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्य के ऊपर अकाल की भीषण छाया छायी हुई है और 26 में से 24 जिले अकाल की चपेट में हैं और इस समय जो बजट हमारे वित्त मन्त्रीजी ने हमारे सम्मुख वर्ष 1973-74 का प्रस्तुत किया है यह वास्तव

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

में एक सराहनीय कदम है, समाजवाद की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है और उसका मैं स्वागत करती हूँ। सबसे बड़ी विशेषता इस बजट की जो है उसमें जैसा कि आम तौर से सब बजटों में होता था कि वर्ग के लोगों पर कर भार अधिक पड़ा करता था वह इस बार उस कर भार से थोड़े से बचे हैं यही हमारे लिए राहत है। परन्तु इस सबके बावजूद वित्त मन्त्रीजी ने 24 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया उसके लिए मुझे कुछ निवेदन करना था कि 24 करोड़ का घाटा जो अभी भी हमारे यहां दिखाया जा रहा है वह कैसे दिखाया गया है जब कि हम कोई विशेष योजनायें भी हाथ में लेने नहीं जा रहे हैं। आखिर यह 24 करोड़ का घाटा क्यों है ? यह 24 करोड़ का घाटा जो लग्जरी गुड्स हैं उनके उपर टैक्स लगा कर भी हम इस घाटे की पूर्ति कर सकते थे ऐसा मेरा मानना है इसलिए मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगी कि माननीय वित्त मन्त्रीजी और सरकार इस बात पर पुनःविचार करे कि जैसे कास्मेटिक गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं इनके ऊपर कर बढ़ाया जाये तो मैं समझती हूँ कि यह सिर्फ एक वर्ग विशेष के उपर ही भार पड़ेगा जो कि इसको एफोर्ड कर सकता है और आम लोगों के ऊपर इसका भारी नहीं पड़ेगा।

वित्त मन्त्रीजी के भाषण में इस बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए किसी प्रकार के कोई संकेत नहीं मिले हैं और यह हमारे लिये बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है इसलिए मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमारी सरकार जिस मंहगाई के ऊपर आये दिन सदन में रोजाना काफी बहस होती रहती है उसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है—यह भी स्पष्ट करें।

जहां तक करों का सवाल है अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि जैसे हलवाइयों के ऊपर कर लगाया है, छोटे-छोटे ढाबों के ऊपर कर लगाया है—इस प्रकार के कर पहले से लगे हुए हैं, इस बजट में तो नहीं हैं और पहले के हैं उससे आम लोगों को असुविधायें पैदा हुई हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह छोटे-छोटे धन्धे करने वाले लोग हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, न उनकी औकात है कि वह मुनीम रख सकें या मैनेजर रख सकें और सारे हिसाब-किताब के आंकड़े रख सकें इसलिए मेरा सुझाव था कि बजाय इस प्रकार के कर लगाने के एक क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए कि किसका कितना टर्नओवर है और उनसे 20 रुपया साल 50 रुपया साल या 100 रुपया साल लें तो उससे बड़े तबके को फायदा मिल सकता था।

इसके अलावा इस बजट में अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गयी और उसमें प्राथमिकता, सिंचाई और राजस्व के कामों को दी गई हैं। मेरा यह कहना है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां सिंचाई और राजस्व के कोई कार्य नहीं है तो इसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता भी अकाल पीड़ित है और वहां के लोगों को भी धन्धा चाहिये, मजदूरी चाहिये, पेट भरने के लिये उनको भी अन्न चाहिये इसलिये मैं ऐसा समझती हूं कि जहां ऐसे सिंचाई के या राजस्व के कार्य नहीं है वहां सड़कों के कार्य और प्रारम्भ करने की प्राथमिकता के लिये राज्य सर-

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

कार आदेश निकालें तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही उपयुक्त होगा और छोटे वर्ग को जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और जिनके पास कोई धन्धा नहीं है उनको बहुत बड़ी राहत मिल सकेगी।

इसके अलावा मेटेरियल कम्पोनेन्ट और लेबर इन दो में इतना बड़ा असामंजस्य है जिसकी ओर भी मैं सभापति महोदय आपकी मार्फत ध्यान दिलाना चाहती हूँ। पहले 30 पर्सेन्ट मेटेरियल कम्पोनेन्ट और 70 पर्सेन्ट लेबर का रखा गया था लेकिन वक्त पर सर्वे कराने पर पता चला कि कहीं पर 35 पर्सेन्ट, कहीं पर 40 पर्सेन्ट और कहीं पर 50 पर्सेन्ट मेटेरियल कम्पोनेन्ट का हिस्सा सामने आ रहा है और दूसरी तरफ उसके विपरीत लेबर का हिस्सा आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां मेटेरियल कम्पोनेन्ट की वजह से कार्य शुरू नहीं हुए हैं वहां राज्य सरकार को कुछ और मेटेरियल कम्पोनेन्ट जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको जयपुर जिले की बात बताऊं कि जयपुर जिले में 30 पर्सेन्ट और 35 पर्सेन्ट किया गया है लेकिन 35 पर्सेन्ट से 40 पर्सेन्ट कर दिया गया होता तो अब तक जयपुर जिले में बहुत से अकाल राहत कार्य चालू हो गये होते और जनता को उससे राहत मिलती।

इसी प्रकार से बजट भाषण के अन्दर अनाज के वितरण का क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें यह कहा गया है कि अनाज का वितरण सब जगह हो रहा है और सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जा रही हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि उसमें यह कहा गया है कि अनाज राहत कार्यों पर काम करने वाले लोगों को ही दिया गया है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या जो अकाल राहत के ऊपर कार्य करने वाले लोग हैं उन्हीं को अनाज चाहिये ? और भी ऐसी बहुत सी जनसंख्या है राजस्थान में कि जो मजदूरी नहीं करते हैं, मजदूर पेशा नहीं है, जमीन नहीं है और दूसरे धन्धे भी नहीं है उनको भी अनाज चाहिये। अनाज गांवों में नहीं हैं इसलिये मैं एक संशोधन यह पेश करना चाहती हूँ कि इस आदेश को बदला जाये और इस जगह यह कहा जाये कि जिन लोगों के पास अनाज नहीं है उनको सभी को इस प्रकार की सस्ते गल्ले की दुकानों से अनाज मुहैय्या कराया जायेगा।

आय एवं सम्पत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करने तथा विकास कार्यों का लाभ समाज के सबसे निर्धन तबके तक सबसे ज्यादा पहुँचाने का निश्चय सरकार ने किया है उसकी मैं सराहना करती हूँ लेकिन इसके साथ ही मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी इसमें सक्रिय रूप से भाग न ले सकें और जो हमारा उद्देश्य है और बजट की जो मन्शा है उसकी पूर्ति न हो सके। इसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि सरकार अपनी मशीनरी को पूरी तरह से सक्रिय करे। वर्ष 1972-73 की जो प्रगति बताई गई है वह सन्तोषजनक ही कही जा सकती है क्योंकि जैसी परिस्थितियां पिछली साल से हमारे राजस्थान में चल रही है, वैसे कई सालों से चल रही है लेकिन पिछले साल से जैसी परिस्थितियां राजस्थान में चल रही है उसको देखते हुए जो भी कार्य हुए हैं और प्रगति जो भी कर पाये हैं वह अपने आप में एक उपलब्धि है।

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

सभापति महोदय, एक हजार प्राथमिक शालायें और एक हजार माध्यमिक शालायें बनाई इसका मैं स्वागत करती हूँ लेकिन साथ ही साथ मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हमारे स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है और अगले बजट में भी 2500 स्कूलें और बढ़ाने का प्रावधान है लेकिन वह शिक्षक वर्ग जिनके ऊपर आज हमारा समाज अपने बच्चों को छोड़ता है उस शिक्षक वर्ग के कारनामे देखें कि क्या वह सही रूप से हमारे बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं ? आये दिन हड़ताल करते हैं, आन्दोलन करते हैं, किस समय स्कूल जाते हैं और कब बच्चों को पढ़ाते हैं इसकी ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

जलप्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में वित्त मन्त्रीजी ने संकेत दिया और उन्होंने कहा कि 2 हजार में 5 हजार की आबादी वाले गांवों के लिये जलप्रदाय योजनायें करीब-करीब सभी गांवों में इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायेगी और आगे के वर्ष में और योजनायें हाथ में ली जायेगी । मेरा यह निवेदन था कि यह जो कुछ भी है यह को क्राइटेरिया रखा गया है कि 2 हजार से 5 हजार की जनसंख्या वाले गांव को ही लिया जायेगा तो मान लीजिये कि कोई गांव 1900 की जनसंख्या का है तो क्या वहां के लोगों के लिये पानी की समस्या नहीं है । इसके ऊपर भी वित्त मन्त्रीजी और राज्य सरकार को विचार करना चाहिये ।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए गृह निर्माण समितियां बनाकर 4 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का सरकार ने फैसला किया है । आज बहुत सी जगहों पर ऋण मिले भी हैं उसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन उसके साथ ही साथ एक भार समाज कल्याण विभाग जो इन गरीबों के ऊपर डाल रहा है वह यह है कि 500 रुपया एक-एक सोसाइटी से वसूल किया जा रहा है यह कह कर कि यह वकील की फीस है-- क्या यह अन्याय नहीं है ?

इसी प्रकार खाद्यान्न के थोक व्यापार को हाथ में लेने का फैसला सरकार ने किया है । इस नीति की मैं सराहना करती हूं लेकिन इससे एक भय उत्पन्न हो गया उसके ऊपर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । यह ठीक है कि हम खाद्यान्न का थोक व्यापार अपने हाथ में लेना चाहते हैं लेकिन क्या हम इस बात के लिए सक्षम हैं ? क्या हमने पूरी तैयारियां करली हैं ? जैसा वित्त मन्त्रीजी ने कहा है कि इस रबी की फसल से ही हम व्यापार शुरू कर देंगे तो हमने इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या तैयारियां कर ली हैं ? मेरा सुझाव है कि वित्त मन्त्रीजी इस बात से सदन को अवगत करावें जिससे कि हम लोगों को सन्तोष हो सके कि किस प्रकार से इसमें हमें घाटा नहीं होगा अन्यथा कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो जाये कि ईधर तो थोक व्यापार हाथ में ले लें और दूसरी तरफ जनता को अनाज मिलना भी मुश्किल हो जाये तो इन कठिनाइयों को देख कर और मैं समझती हूं कि जो भी इस काम के लिए मशीनरी हमारी तरफ से लगाई जावे वह बहुत सोच समझ कर ठोक बजा कर लगाई जानी चाहिए । यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है हमारी कसौटी है और परीक्षा का समय है । अगर हम

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

अच्छी तरह से अपनी मशीनरी को चला सकें तो मैं समझती हूं कि इसमें सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं है लेकिन कुछ शंकाएं लोगों के दिमाग में पैदा हुई हैं और रही है उनकी ओर मैंने संकेत दिया है।

73-74 वर्ष की विकास योजनाओं के लिए जो आयोजना की गई है मैं इन सब का स्वागत करती हूं और अपनी ओर से सुझाव देना चाहती हूं कि जिन क्षेत्रों में पानी काफी मात्रा में है उनमें विद्युतिकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए बजाय इसके कि उन इलाकों में जहां लाइन खींचने में हमको काफी लाखों करोड़ों रुपया व्यय करना पड़ता है, इसके बनिस्पत अगर हमने एक जगह कंसन्ट्रेट किया, अगर हमने उन इलाकों को कंसन्ट्रेट किया जहां पर पानी है, उनको अगर हम बिजली दे देते हैं तो इससे जो कुछ पैदावार अन्न की बढ़ेगी उससे हमारी समस्याओं से हमको निपटने में काफी बड़ी सहायता मिलेगी।

इसी प्रकार एक सबसे बड़ी समस्या जब मैं गांवों में जाती हूं तो मेरे सामने आती है खाद की समस्या। आज जो रासायनिक खाद है इसका ब्लेक चल रहा है। आम किसान इससे परेशान है। वह ब्लेक के पैसे देकर अपने खेत में डालने के लिए खाद लेकर आता है। तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि आखिर जो हमारे खाद के कारखाने हैं, अपना इतना इतना प्रोडक्शन बताते हैं तो हमारे किसानों को वह खाद क्यों नहीं मिलता है। यह खाद जाता कहां है ? जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, सभापति महोदय, कि जयपुर में 45 के करीब ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो इस प्रकार के खाद को लेकर दूसरे रसायनिक पदार्थ तैयार करती हैं, जिसकी वजह से वे खाद ब्लेक में खरीद लेती हैं और उधर हमारे किसान जिन्हें खाद चाहिए उनको ब्लेक की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस प्रकार के जो कारखाने हैं उनके ऊपर छापे मार कर रोक लगाई जाय।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अभी तो पांच मिनिट भी नहीं हुए हैं सभापति महोदय !

श्री सभापति : 15 मिनिट का समय दे चुका हूं।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। अभी तक हम शहरी क्षेत्रों के औद्योगिकरण की बात करते रहे हैं और हमने कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में नहीं सोचा है। उनकी भी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाना है तो मेरा यह सुझाव है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण कराये कि कहां-कहां पर कौनसी इण्डस्ट्री, बड़ी इण्डस्ट्री, छोटी इण्डस्ट्री किस प्रकार से वहां पर स्थापित हो सकती हैं। इससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सकेगा और इसके साथ ही साथ उस क्षेत्र का विकास भी हो।

शहरी गृह निर्माण के बारे में भी निवेदन करना चाहती हूं। जो माननीय सदस्यों से भी सम्बन्धित है। एक तरफ तो हम आवासन बोर्ड की तरफ से सब लोगों को मकान दिलवाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आज हमारे विधायकों की

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

यह स्थिति है कि विधायकों को रहने के लिए जयपुर में मकान नहीं मिलता है। जिनको सरकार मकान नहीं दे पाती है। दो-तीन दिन पहले इसके लिए फाउण्डेशन रखा गया था उसके बारे में जानकारी मिली है कि छोटे-छोटे दो कमरों के क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। मैं समझती हूं कि रेल्वे के चपरासी को और दूसरे चपरासियों के क्वार्टर भी कहीं ज्यादा अच्छे होंगे इनसे तो जब कि एक चुने हुए जनता के नुमायन्दों को उन लोगों के स्टेटस को ध्यान में रख कर इस प्रकार जो प्रावधान किया गया है इससे तो पैसे का अपव्यय करने के सिवाय दूसरी बात नहीं है।

मरुस्थल को रोकने के लिये योजनाबद्ध और कारगर उपाय किये जांय इस बारे में मैं पिछली बार कह चुकी हूं। मैं समझती हूं कि हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि हमारे वनों की जो कटाई हो गई है, चोरी से जो लकड़ियां निकल गई हैं, जगह-जगह जहां बहुत घने जंगल थे वहां आप देखिये कि रेगिस्थान नजर आयगा। तो वनों की रक्षा के लिये भी सरकार को कारगर उपाय करना चाहिये।

बंगला देश के शरणार्थियों के सम्बन्ध में जो टैक्स लगाया था और उनको सरकार ने अकाल राहत के लिये बदल दिया है मैं इसका स्वागत करती हूं और

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सभापति महोदय, कि महिलाओं के लिये थोड़ा विशेष टाइम दिया जाय।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से महिलाओं को समय और भी मिलेगा।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अपनी बात दो मिनिट में समाप्त करती हूं। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि कुछ भी इस कर का जो भार है उसके लिये हमको किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। यह हमको महसूस करना चाहिये कि अकाल से पीड़ित लोग हैं वे भी हमारे भाई हैं। उनके लिये अगर हम थोड़ा बहुत कर के रूप में दे दें तो मैं समझती हूं कि इससे हमें कोई बहुत बड़ा घाटा होने वाला नहीं है।

इसी प्रकार पुलिस के लिये जो मैस अलाउन्स बढ़ाया गया है, मैं निवेदन करना चाहती हूं। यह वर्ग जो सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है इसके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी कि पुलिस वालों के बारे में आपने एक पिक्चर बना रखी है, काली। जैसा कि अपन यह समझते हैं कि पुलिस दमन का प्रतीक है। हम यह नहीं सोचते कि पुलिस में हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे इलाके के, हमारे जिले के लोग कार्य करते हैं और अपना खून पसीना एक करके हमारे यहां की न्याय व्यवस्था को बनाये रखने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिये पांच रुपया जो वित्त मंत्री जी ने बढ़ाने की बात कही है, उसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन आज इस महंगाई के अन्दर जो सिपाइयों को खाना दिया जाता है, उस खाने को अगर देखा जाय तो किस प्रकार का खराब खाना उनको मिलता और ऐसे खाने को खाकर वे बेचारे तमाम दिन भर ड्यूटी देते रहते हैं। इसलिये मैं यह कहना

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

चाहती हूं कि 45 लाख रुपया होम गार्ड्स पर व्यय हो रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं है। सिर्फ वोर्डर एरिया को छोड़ कर वाकी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो होम गार्ड्स काम कर रहे हैं उनका उतना ही पैसा केन्द्रीय सरकार से मिल जाता है उस पैसे में कटौती करके और क्यों नहीं इन पुलिसवालों का इन छोटे-छोटे कर्मचारियों का पैसा वढ़ाया जाय।

नगरीय क्षेत्रों में जो पचास हजार से ऊपर के मूल्य के जो भवन और प्लाट्स हैं उन पर कर लगाया गया है आधा परसेन्ट का इसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन इसमें मेरा सुझाव है कि आज पचास हजार कोई मायने नहीं रखता। आज के जमाने में जब कि मेटिरियल की कोस्ट, कोस्ट ऑफ लेबर इतनी वढ़ गई कि अगर कोई आदमी अपना मकान बनाने जाता है तो उसको पचास हजार रुपये अनिवार्य रूप से खर्च करने होते हैं, अपने खून पसीने की कमाई जो वह खर्च करना चाहता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो उसको खर्च करना पड़ता है। मैं यह चाहती थी कि एक लाख रुपये की सीमा इसकी रखी जाय और फिर चाहे उसमें टैक्स 1 परसेन्ट, 2 परसेन्ट, 3 परसेन्ट कर दिया जाये तो हमको कोई एतराज नहीं होगा।

दूसरा इनमें एक पॉईन्ट और भी है। टैक्स लगा तो दिया है लेकिन इससे हमारी सरकार को ही केवल आमदनी होगी और दूसरे वर्ग को नहीं होगी इसकी क्या गारन्टी है। मैं समझती हूं कि एक तरफ यह सरकार है और एक दूसरी सरकार इसमें और वनने का है। जो असेसमेंन्ट करके पब्लिक को परेशान करेंगे और वह अपनी जेवें गरम करेंगे, इसका भी कारगर उपाय होना चाहिये।

अन्त में मैं जयपुर और दूसरे शहरी इलाकों में जहां भी यह कृषि भूमि के ऊपर गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनके वारे में कुछ कहना चाहूंगी कि यह गृह निर्माण सहकारी समितियां इतनी बनी हैं, मकान भी बने हैं लेकिन अभी तक कन्वर्शन रूल्स बन नहीं पाए हैं। इससे हमारी आय को भी घाटा हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर उन लोगों को बचाना है और हमारी सरकार में टैक्स से रुपया लाना है तो कन्वर्शन रूल्स बना करके जो कुछ भी कन्वर्शन चार्जेज अगर सरकार वसूल करे तो हमारी वित्तीय कठिनाइयां भी हल हो सकती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करती हूं और एक वार फिर मुख्य मन्त्रीजी, वित्त मन्त्रीजी और उनकी सरकार को धन्यवाद देती हूं कि पहली वार यह साहस किया कि इस प्रकार का समाजवादी बजट हमारे सामने पेश किया है।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मला सिंह।

श्री बनवारीलाल : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप बोल सकते हैं, आपको समय दिया जाएगा।

श्री बनवारीलाल : कम से कम यह तो बताइये कि किन के बाद किन का नंबर है?

श्री सभापति : मैं सोचता हूँ कि इनके बाद और कोई महिलाएं बोलने वाली नहीं है इसलिए पहले इनको बोलने दिया जाए। वैसे सबका नम्बर आ जाएगा।

माननीय सदस्य बैठ जाइये !

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : सभापति महोदय, इतनी संख्या में पुरुष बोलते रहे हमने कुछ नहीं कहा। मैं निवेदन करूंगी कि महिलाओं को भी समय दिया जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनको अवसर दिया जाए।

श्री सभापति : आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद।

श्री सावरमल मोर : हमारा नम्बर कब आएगा।

श्री सभापति : आप मुख्य सचेतक महोदय से जानकारी लें।

श्री बनवारीलाल : उन्होंने क्या लिस्ट दी है ? वह है तो आप बता दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्या को बोलने दिया जाए।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 1973–74 का जो अनुमानित बजट इस सदन के सम्मुख रखा है वास्तव में आज की परिस्थितियों को देखते हुए इससे अच्छा बजट और नहीं हो सकता था क्योंकि इस बजट में समाजवादी समाज का ढांचा बनाने का पूरा ध्यान दिया गया है।

हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है गरीबी हटाओ परन्तु मैं यह कहूँगी कि इस बजट पर माननीय सदस्य जरा शांत रहेंगे····इस प्रकार की परिस्थितियों में, मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी क्योंकि हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है वह है गरीबी को हटाना परन्तु इस बजट में गरीबी के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार नहीं किया गया है। यद्यपि, निःसन्देह इन पच्चीस वर्षों में हमने बहुत अधिक विकास किया है परन्तु फिर भी हमारा जो दुर्बल वर्ग है उसको बहुत अधिक लाभ नहीं हो पाया है। दुर्बल वर्ग को तीन संदर्भ में बताया जा सकता है। पहला तो दुर्बल वर्ग है जो कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल है अर्थात् गरीब व्यक्ति। दूसरा दुर्बल वर्ग है वह जो आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से दुर्बल है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्य हैं और तीसरा दुर्बल वर्ग सामाजिक दृष्टि से है और वह अल्पसंख्यक वर्ग है। यद्यपि अमेरिका में भी प्रेसीडेन्ट जानसन के समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आज भी वहां पर यह नारा है और उस समय यह बात बताई गई थी कि यदि पौने तीन हजार डालर से कम किसी परिवार की आय है तो उसे गरीब माना जाएगा। याने कि इक्कीस हजार रुपये। जिस प्रकार अमेरिका में गरीबी की सीमा है, हमारे देश में वह अमीरी की सीमा है,

(3-3 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगी कि इस बजट में गरीबी हटाओ की ओर

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि ध्यान दिया गया है भुखमरी हटाओ की तरफ। गरीबी हटाने की बात तब आती है जब प्रत्येक व्यक्ति को रोजी रोटी कपड़ा, निवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की पूरी-पूरी सुविधाएं उपलब्ध होती हों। निःसन्देह पिछले दो दशकों में काफी अधिक आर्थिक विकास हुआ है परन्तु गरीबी अभी भी यदि हम देखें तो उतनी ही है जितनी कि 20 वर्ष पहले थी। अगर हम इसी रफतार से विकास का काम करते रहे, इसी रफतार से तरक्की करते रहे तो गरीबी को हटाने में करीब–करीब 40/50 वर्ष और लग जाएंगें। इतने लम्बे समय की प्रतीक्षा न तो संभव है और न वांछनीय ही है। ऐसी स्थिति में हमें गरीबी हटाने के लिए प्रत्यक्ष प्रहार करना होगा। गरीबी कहां है ? यदि हम देखें तो गरीबी मुख्य रूप से गांवों में दिखाई देती है। जिसका मुख्य कारण है बेकारी, अर्द्ध बेकारी, विपरीत सामाजिक संगठन की परिस्थिति, जिनकी ओर हमें मुख्य रूप से अपना लक्ष्य बनाना है। बेरोजगारी का अर्थ यह है कि काम की इच्छा रखते हुए भी, और उसके लिए योग्यता रखते हुए भी व्यक्ति को काम नहीं मिले, और अर्द्ध बेरोजगारी वह है जिसमें कि इतनी अपर्याप्त आय हो कि व्यक्ति अपनी जीविका को नहीं चला सके। इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उनको हमें दूर करना है। परिस्थिति यह है कि यद्यपि हमने बेरोजगारी हटाने के लिए कुछ कार्यक्रम चालू किए हैं, क्रेश प्रोग्राम चालू किया है, भूमि की सीमाबंदी विधेयक कुछ समय पूर्व ही हमने पास कर दिया है, परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह पूछना चाहूंगी और माननीय सदस्य भी यदि आप वास्तव में इसको गहरे दिमाग से सोचें तो क्या इस भूमि की सीमाबंदी से सभी गरीब व्यक्तियों को लाभ मिलेगा ? पहली बात यह है कि इस भूमि की सीमाबंदी से जो भूमि कृषकों को मिलेगी वह उस पर तब तक कृषि नहीं कर पाएगा जब तक उसको बीज, खाद सिंचाई आदि की उचित सुविधाएं न दी जाएं। इसलिए इस सीमा बंदी कानून का मैं स्वागत तो करती हूं परन्तु साथ ही यह कहना चाहूंगी कि इन सब कृषकों को उचित सुविधाएं भी हमें उपलब्ध करानी हैं। एक और भी प्रश्न है। वास्तव में जब हम सीमा बंदी कर रहे हैं तो हम देखें उससे हमें कितनी भूमि मिल पाएगी। बहुत से ऐसे चतुर पुंजीपति हैं, भूमिपति है जिन्होंने कि इस कानून के पहले ही अपनी भूमि का हस्तान्तरण इधर से उधर कर दिया है। इसलिए इससे कितनी भूमि मिल पाएगी यह हमारे सामने प्रश्नवाचक बना हुआ है ?

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि गांवों में जनसंख्या भी तेज रफ्तार से बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में इस सीमाबंदी से कितना लाभ होगा यह नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि यह लाभ अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आर्थिक लाभ के बजाय यह मनोवैज्ञानिक लाभ होगा। केवल कृषक सन्तुष्ट होंगे कि उनको भूमि मिल गई है परन्तु जब तक भूमि के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक हमारा सारा का सारा प्रयत्न उनके लिए किया जाना व्यर्थ होगा।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

उपाध्यक्ष महोदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जारशाही के रूस में कृषकों को भूमि वितरण का कार्य आरम्भ किया गया था परन्तु उससे भी वहां पर गरीबी नहीं हटी बल्कि इससे असन्तोष ही बढ़ा। दूसरा जापान का उदाहरण लें। वहां पर भूमि सुधार के साथ ही साथ औद्योगिकरण की ओर भी ध्यान दिया गया। इस प्रकार जो एक क्रमिक विकास हुआ, जो एक सुसंगठित तरीके से जापान का नक्शा उभरा, वह आज किसी से छिपा नहीं है। जापान में कितनी खुशहाली है! यदि हम इस प्रकार की खुशहाली को लाना चाहते हैं तो हमें भूमि देने के साथ ही साथ किसानों को औद्योगीकरण की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। कई सदस्य इस बात को कह चुके हैं। मैं भी इस बात को दोहराना चाहूंगी कि जब तक गांवों में कुटीर उद्योग का विकास नहीं किया जाएगा तब तक हमारे प्रयत्न बेकार होंगे। कुटीर उद्योग धंधों को चलाने में सबसे पहली आवश्यकता है विद्युत की और यह सौभाग्य की बात है कि अगली पंचवर्षीय योजना में हम विद्युत 40 प्रतिशत गांवों को दे पाएंगे। परन्तु मैं सोचती हूं कि यह अपर्याप्त ही है। अन्य राज्यों के आंकड़ों को देखें जैसे हरियाणा, केरल, तमिलनाडु वहां पर 100/ प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तक गांवों में बिजली पहुंच गई है जबकि हम केवल 40 प्रतिशत ही बिजली गांवों को पहुंचाने की बात सोचते हैं।

इस पर मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि बिजली पहुंचाने के लिए सरकार को यह कार्य करना होगा। आज हम देखते तो समाजवाद का जो हमारा विचार है, है कि उद्योग-पतियों को जो बिजली दी जाती है, उसका रेट बहुत कम है। कृषकों को जो बिजली दी जाती है, उसमें काफी अन्तर है। ऐसा अन्तर चलता रहा तो समाजवाद का जो हमारा विचार वह धूमिल हो जायेगा। उद्योग-पतियों को दी जाने वाली बिजली है, उसकी रेट बढ़ा दे। उसका एक फण्ड कायम करें। गांवों में जो बिजली देने की योजना बनायें, उसमें उस राशि का उपयोग कर सकेंगे और इससे बिजली जल्दी दे सकेंगे। राजस्थान में उद्योगों का भविष्य बहुत उज्वल है। इससे न केवल गांवों को रोजगार ही मिलेगा। अपितु शिक्षित लोग भी यहां आकर रहेंगे। आज हमारे यहां नगरीकरण की समस्या है। लोग गांवों से शहरों में आते हैं। जब उनको व्यवसाय नहीं मिलता है तो वह गन्दी बस्तियों का निर्माण करते हैं। यदि हम गांवों का निर्माण करें तो उनको काम तो मिलेगा ही साथ ही साथ हम शहरीकरण रोक सकेंगे। आज जल-प्रदाय योजनाओं के लिए पाइप की शार्टेज है। वित्त मन्त्री जी ने ऐसा कई बार बताया है। इस प्रकार के उद्योग जैसे चमड़ा, कागज, पाइप और बालबीयरिंग के उद्योग हैं। इनको गांवों में लगाया जा सकता है। इससे गांवों को विकास हो सकेगा। गांवों में जो बेरोजगार इन्जीनियर और डाक्टर जाना चाहते हैं, उनको सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उनको इसी शर्त पर सरकारी सुविधाएं दी जानी चाहिए कि निकट भविष्य में वह गांवों में जाकर बसेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पांचवी योजना में जो सड़कें बनाने का प्रावधान रखा गया है, मैं उसका स्वागत करती हूं।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

क्योंकि सड़कों की तुलना नाड़ी-तन्त्र से की जाती है। जिस प्रकार से रक्त को नाड़ियों द्वारा शरीर में ले जाने की व्यवस्था होती है. उसी प्रकार से ये सड़कें हैं। अगर सड़क न हो तो कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। मैं इस पंचम पंचवर्षीय योजना के बारे में सुझाव दूंगी कि सड़कों को इस प्रकार बनाया जाये जिससे कि 3 किलो मीटर से दूर कोई गांव नहीं होगा। यह रोड्स बनाने का काम, सड़कें बनाने का काम अकाल राहत में भी हुआ है। परन्तु मैं देखती हूं कि सड़कों पर धूल डाल दी जाती है। वह लुप्त हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी प्रकार से होता रहा तो सड़कें नहीं सड़कों के अवशेष रह जायेंगे। चित्तौड़ तहसील से भदेसर तहसील को मिलाने वाली सडक जो कि शम्भूपुरा, सावा कन्नौज वाया नाहरगढ़ होती हुई जाती है, उस सड़क पर, विशेषतया सावा निवासी हैं उनका व्यवसाय खानों में काम करने का है, पत्थर इधर से उधर ले जाना, इस सड़क पर किसानों का श्रम-धन बहुत अधिक व्यय होता है। तो इस प्रकार की जो सड़क है उसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगी वह जो लुप्त होती हुई कड़ियां हैं, उनको जोड़ दिया जाये। फिर आगे काम हाथ में लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को यह भी बतलाना चाहती हूं कि गरीबी का कारण एक और है। वह विरोधी प्राकृतिक परिस्थितियां है। तो उन विरोधी प्राकृतिक परिस्थितियों से जूझते हुए आ रहे हैं के जो कारण वित्त मंत्रीजी ने इस बजट में नेशनल फण्ड की बात सोची उसका मैं स्वागत करती हूं। बंगला देश के शरणार्थी टैक्स की सहायतार्थ जो चालू रहेगा, इसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसका सिंचाई के कामों में उपयोग होना चाहिए। राजस्थान का जो पिछड़ा हुआ, रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसकी बहुत खराब स्थिति है। मेरा निवेदन है कि रेगिस्तान के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्र को भी नहीं भूलना चाहिए। वहां भी सिंचाई के साधन जुटाने चाहिए वह बेकबौन है। जिस आधार पर सारा विकास कार्य होता है। चम्बल और राजस्थान केनाल का कार्यक्रम किया गया है, वह तो ठीक है। लेकिन मेरा सुझाव है कि बनास नदी को बांध कर सिंचाई की व्यवस्था की जाये तो बहुत उपयोग होगा। यह बनास नदी अजमेर, टौंक और भीलवाडा क्षेत्र में बहती है। वहां औसतन बहुत कम वर्षा होती है। इसके साथ ही साथ जो नेशनल फण्ड के पैसे उससे इस प्रकार के आवश्यक सिंचाई के काम होने चाहिए। कई क्षेत्र है, मुझे तो अपने क्षेत्र का अनुभव है। यहां के लोग भी अकाल से पीड़ित हैं। उदाहरण के लिए चित्तौड़ तहसील का बरखेड़ा स्थान है। वहां पिछले अकाल राहत के कार्य शुरू किये गये परन्तु वो काम अधूरे पड़े हुए हैं। चूंकि सरकारी कागजात में उसको इस बार अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। सरकारी रिकार्ड में वहां अकाल नहीं है। इसलिए पता नहीं वो कार्य कब तक अधूरे पडे रहेंगे ? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगी कि अधूरे कार्य पूरे कराये जायें।

गरीबी का एक और कारण है, मुकदमेबाजी। किसान मुकदमेबाजो में फंसे हुए

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

हैं। वह अपना पेट काटकर वकीलों को रोटी रोजी देते हैं यदि ऐसा कहा जाये तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 80 प्रतिशत किसान मुकदमेबाजी में पड़े हुए हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मीनिट और लूंगी। दो मिनिट और दे दीजिए ताकि अपनी बात समाप्त कर लूं।

ऐसी स्थिति में गांवों में व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान रखा जाये तो वह उपयुक्त होगा। खण्डसारी पर जो कर लगाया गया है, वह अनुपयुक्त नहीं है। इससे विकास कार्य होगा सबसे अधिक स्वागत मैं इस बात का करती हूं कि 50 हजार की वैल्यू से अधिक जो मकान होगा, उस पर कर लगेगा। क्योंकि जिनके पास ज्यादा पूंजी है, उनके ऊपर कर लगाना ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस 12 करोड की आय की निन्दा करूंगी जो आवकारी से प्राप्त किया जाता है। हम यह आशा लगाये बैठे थे कि नशाबन्दी कर दी जायेगी। परन्तु दुर्भाग्य है कि 1990 में अंग्रेजों ने जो एक्साइज पालिसी बनाई थी, उसी के साथ हम चिपटे बैठे हैं। यद्यपि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 47 में यह बात कही है। परन्तु हमने उसकी उपेक्षा कर दी है। उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। क्यों इसका कारण क्या है ? अगर इसका कारण हम जानना चाहें तो कारण यह है कि उस आवकारी से हमें बारह करोड रुपये प्राप्त होते हैं, वह कहां से आयेंगे ? तो मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहूंगी, यद्यपि वे यहां पर नहीं है कि इस प्रकार का धन क्या काम का, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन करता हो....

श्री उपाध्यक्ष : अभी इस सम्बन्ध में साढ़े तीन बजे वित्त मन्त्री वक्तव्य देंगे, इसलिए इस सम्बन्ध में चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं एक मिनिट में निवेदन कर देती हूं।

इसके साथ-साथ वह धन क्या काम का जिससे घर में चिराग नहीं जल सकते हों, वह धन क्या काम का, जिससे स्त्रियां वस्त्र प्राप्त नहीं कर सकती हों, वह धन क्या काम का, जिससे कई सुकुमार कलियां खिलने से पहले ही मुरझा जायं। तो वित्त मन्त्रीजी, इस प्रकार नशा निषेध पालिसी इस वर्ष नहीं तो आगे आने वाले वर्ष में लागू करें तो बहुत उपयुक्त होगा।

मैं वित्त मन्त्री के उस कदम की सराहना करूंगी जिसमें हम अनिवार्य शिक्षा की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें छः से ग्यारह और ग्यारह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जुटा पायेंगे। शिक्षा के लिए हम एक हजार प्राथमिक शालायें और एक हजार पांच सौ मिडिल स्कूल अगले वर्ष के अन्दर खोलने जा रहे हैं परन्तु मैं पूछना चाहती हूं, वित्त मन्त्रीजी थोड़ा इसके बारे में गहराई से सोचें। मैं इसके बारे में कई बार निवेदन कर चुकी हूं कि शिक्षा

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

प्रणाली, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के स्तर में, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के स्तर में और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली के स्तर में परिवर्तन आना चाहिए, कैसा रूप हो, इसकी सारी प्लानिंग के लिए स्टेट प्लानिंग बोर्ड को यह दे देना चाहिए। जब तक इसके बारे में नहीं सोचेंगे और यह चिल्लाते रहेंगे, शिक्षा दोषपूर्ण है, शिक्षा दोषपूर्ण है, इसमें परिवर्तन आना चाहिए-तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह रट लगाते-लगाते हमने रजत जयन्ती तो मना ली, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम स्वर्ण जयन्ती भी यह रट लगाते-लगाते मना लें। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में परिवर्तन लाना है और इसके बारे में गहराई से सोचना है तो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कई ऐसे विषय लागू कर दीजिये, जिससे व्यावसायिक आधारित शिक्षा बन जाय। उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ज्ञान बच्चों को उचित रूप से होना चाहिए। गांवों में देखने को मिलता है कि बच्चे स्कूल आते हैं वहां नहा कर नहीं आते हैं, उनके कपड़े गन्दे होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को शिक्षा अनिवार्य का अंग होना चाहिए।

एक बात और शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। अधिकतर हम देखते हैं कि गांवों में स्कूलों में बच्चे आते हैं उनमें अधिक सख्या में लड़के होते हैं, लड़कियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसका —कारण यह है कि बालिकाओं को अपनी मां की सहायक गृहिणी की भूमिका निभानी पड़ती है। इसलिए कन्याओं की शिक्षा के लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई न कोई साधन जुटाना है, कोई न कोई तरीका ढूंढना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मेरा सुझाव है, हमने कुछ बच्चों के लिए इस वर्ष युनिफार्म और निःशुल्क पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है। उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के बच्चों के लिए तो प्रावधान होना ही चाहिए। इसके साथ-साथ हम बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रावधान कर दें तो सराहनीय कदम होगा क्योंकि एक पुरुष को शिक्षित करने का अभिप्राय: है एक व्यक्ति को शिक्षित करना जब कि एक महिला को शिक्षित करने का अभिप्राय है कई पीढ़ियों को शिक्षित करना। इसलिए आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि यह हो सकता है कि यह खर्चा करेंगे कि इसका बिल्कुल एकदम रिटर्न नहीं मिलने वाला है, परन्तु मैं सोचती हूं, आगे जाकर, आने वाले समय में इसका रिटर्न जरूर मिलेगा और देश तरक्की अवश्य कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिए साधन जुटाये गये हैं, बिजली का और नल का-उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूं क्योंकि कई पीढ़ियों से वह गुलामी का जीवन व्यतीत करते आये हैं, बहुत बड़ी असुविधा में रहते आये हैं उसको देखते हुए यह बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके साथ-साथ चार हजार रुपये की राशि मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, परन्तु इसमें मुझे कमियां नजर आती हैं। कई बार यह राशि व्यक्तियों को समय पर नहीं मिल पाती है। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैंने स्वयं ने इस प्रकार की समितियां बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया परन्तु अभी एक भी समिति को पैसा नहीं मिल पाया है।

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

इसलिए अब इसका प्रासीजर सरल किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तहसील वाइज होना चाहिए ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का स्वागत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल सूंडा !

श्री बनवारीलाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : दो बनवारियों में से एक को तो बोल लेने दें।

श्री बनवारीलाल (निवाई) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्य मांग कर रहे हैं लेकिन उनको समय नहीं दिया जा रहा है जब कि फिजा यह बनी हुई है कि बहुत भारी सहानुभूति इस सदन में हमारे साथ हो रही है।

श्री दीपंकर : हमारा नम्बर आ जाय, हम भी बोलना चाहते हैं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : समय बढ़ाना चाहिए ताकि हमें समय मिल सके सके और हम कह सकें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आप तशरीफ रखिये। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नाथूराम : एक निवेदन है....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नम्बर आ जायगा या नहीं ? अगर नहीं आये तो हम चले जायं। हमें भी मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप तशरीफ रखिये।

श्री केसरदेव : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जो नियम हैं आप उनकी जानकारी हांसिल करिये। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं....

श्रीमती सुमित्रासिंह : नये-नये आदमी हैं, माफ करें।

श्री उपाध्यक्ष : जो सूचियां दी हैं माननीय सचेतक महोदय ने, आसन से उसी क्रम में नाम पुकारा जा रहा है। फिर जैसा आदेश दें, आप सचेतक महोदय से पूछ लीजिये– मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री बनवारीलाल (निवाई) : हमसे पूछ कर लिस्ट नहीं बनाई है।

श्री दीपंकर : सूची के आधार पर नाम नहीं पुकारे हैं, बीच में क्रम को तोड़ लिया था। यह निवेदन है कि बीच में प्रभाव में आकर क्रम को तोड़ दिया है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : सचेतक महोदय को आप बुला कर पूछ लें, हमारा नाम नहीं है तो हमें कह दीजिये कि टाईम नहीं मिलेगा। हम सुबह से इन्तजार कर रहे हैं।

श्री दीपंकर : कम से कम बोलने वालों की नामावली तो बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया तो समाजवाद कैसे आयेगा ?

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : मुख्य सचेतक ने नाम दिये हैं, फिर भी आपका डिस्क्रिशन है यह आप पर डिपेण्ड करता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आप सचेतक महोदय को बुला कर पूछ लीजिये, किस-किस का नम्बर आने वाला है, क्या हमें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है ?

श्री बनवारीलाल (निवाई) : स्टेटमेन्ट से पहले जानकारी दे दीजिये कि किस-किस मेम्बर का नम्बर है ? इससे क्या हर्ज होने वाला है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी को साढ़े तीन बजे वक्तव्य देने के लिये आदेश हुआ था ।

श्री बनवारीलाल: अभी पांच मिनिट हैं ।

श्री दीपशंकर : नाम बताने में क्या एतराज है ? आप नाम बता दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा ।

माननीय मन्त्रीजी !

सशाकीय वक्तव्य

मद्यनिषेध नीति और आन्दोलन सम्बन्धी

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने राज्य की आबकारी नीति तथा इस सम्बन्ध में अजमेर से सत्याग्रह से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

राजस्थान सरकार ने 1 अप्रेल, 1968 को जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही एवं उदयपुर जिले की 3 तहसीलों में मद्यनिषेध कार्यक्रम लागू किया । जुलाई, 1968 में सरकार ने शराबबन्दी का निम्न कार्यक्रम बनाया:—

(1) सन् 1969-70 में सप्ताह में दो दिन शुष्क दिवस
(2) सन् 1970-71 में सप्ताह में चार दिन शुष्क दिवस
(3) सन् 1971-72 में सप्ताह में 6 दिन शुष्क दिवस
(4) सन् 1972-73 एवं आगे पूर्ण शराबबन्दी ।

(3.29 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

मद्यनिषेध के सिलसिले में भारत सरकार ने सन् 1968 में यह ऐलान किया था कि शराबबन्दी के सिलसिले में जो राज्य सरकारें कदम उठायेंगी उन्हें केन्द्र सरकार आगामी 5 वर्ष तक के लिये शराबबन्दी से होने वाले घाटे की 50 प्रतिशत पूर्ति करेगी । परन्तु भारत सरकार ने शुष्क दिवस से होने वाली क्षतिपूर्ति पर अनुदान देना अस्वीकार कर दिया । इस पर यह निर्णय लिया गया कि शुष्क दिवस सम्बन्धी नीति समाप्त की जाकर उसके बजाय राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में मद्यनिषेध क्षेत्र का विस्तार कर दिया जाय । तदनुसार पैरा–1 में वर्णित क्षेत्रों के अलावा जिला जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और उदयपुर जिले की 3 और तहसीलों में मद्यनिषेध का

(श्री चन्दनमल बैद)

विस्तार किया गया। इस निर्णय का अब तक पालन किया जा रहा है।

राजस्थान की गम्भीर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मार्च, 1972 को राजस्थान मन्त्रिमण्डल ने मद्यनिषेध नीति पर पुनर्विचार किया और यह महसूस किया गया कि वर्त्तमान स्थिति में जब कि भारत सरकार ने ओवर ड्राफ्ट पर रोक लगा दी सरकार दस करोड़ वार्षिक राजस्व घाटे के अलावा मद्यनिषेध को पालन करवाने सम्बन्धी मशीनरी पर होने वाले व्यय को वहन करने की स्थिति में नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया कि जिन-जिन क्षेत्रों में मद्यनिषेध जारी है वह जारी रहे लेकिन जब तक राज्य की आर्थिक हालत ठीक नहीं हो जाय तब तक मद्यनिषेध का आगे विस्तार नहीं किया जाय। प्रस्ताव में आबकारी विभाग के 16 मई, 1972 के आदेशों के पालन नहीं होने का जिक्र किया गया है। ऐसा लगता है कि जिस आज्ञा का प्रस्ताव में जिक्र किया गया है वह आज्ञा 16 मई, 1972 को न होकर 15 मई, 1972 की है। 15 मई, 1972 की इस आज्ञा में यह कहा गया है कि देशी, शराब की दुकानें मजदूरों की आबादी से 250 मीटर दूर होनी चाहिये तथा स्कूलों, अस्पतालों और धार्मिक स्थानों से 200 मीटर दूरी पर होनी चाहिये। इस आज्ञा में यह भी कहा गया है कि यदि किसी आबादी में देशी शराब की दुकानों की स्थिति के बारे में कोई मतभेद हो तो इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट की सलाह के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। इस आदेश के पालन के सम्बन्ध में निश्चय ही कुछ जगहों से शिकायतें आई हैं, और उन शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। अगले वर्ष देशी शराब की दुकानों का ठेका देते समय उक्त आदेशों की पालना करने की ओर विशेष ध्यान रखा जायगा।

प्रस्ताव में कहा गया है कि 200 नई दुकानें इस वर्ष खोली गई। इस सम्बन्ध में यह बता देना उचित होगा कि देशी शराब की दुकानों की संख्या इस वर्ष 1,738 से घटा कर 1,596 कर दी गई है। अतः वृद्धि का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि इस वर्ष आबकारी विभाग की आय 9 करोड़ से बढ़ कर लगभग 12 करोड़ तक पहुँचने की आशा है तो इसका कारण यह नहीं कि शराब के उपयोग में वृद्धि हुई है वरन शराब के व्यापार में वर्षों से चले आ रहे कतिपय लोगों के एकाधिकार को समाप्त करना है और नाजायज शराब की बिक्री में रोकथाम करना है।

अब रहा प्रश्न विदेशी शराब की दुकानों का। इसके व्यापार में भी कतिपय लोगों का एकाधिकार था। इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम नहीं बने हुए थे। जिला आबकारी अधिकारी को लाइसेन्स देने के अधिकार प्राप्त थे। विदेशी शराब के व्यापार में काफी लाभ होते हुए भी लाइसेन्स फीस साधारण थी। सितम्बर, 1972 में नये नियम बनाये गये जिसके अनुसार होलसेल लाइसेन्स के लिए 15,000), 1 लाख से अधिक आबादी के नगरों में खुदरा लाइसेन्स के लिये 10,000), और इससे कम आबादी वाले नगरों में 7,000) रुपये प्रारम्भिक फीस लगा दी गई। नये नियम बनने के फलस्वरूप कुछ नये लाइसेन्स जारी हुए, परन्तु इनकी संख्या केवल 161 रह गई। इस संख्या के अधिक बढ़ने के आसार नहीं है क्योंकि विदेशी

Page No 92

(92)

(श्री चन्दनमल वैद)

शराब के लाइसेन्स की प्रारम्भिक फीस अत्यधिक है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार की वर्तमान आबकारी नीति के विरुद्ध सत्याग्रह चल रहा है जिसमें 100 के करीब जैल में बन्द हैं उन्हें तकलीफदेह कारागार में रखा गया है और अकारण पुलिस कस्टडी में रिमाण्ड पर रखा जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 26 जनवरी, 1973 को नशाबन्दी आंदोलन प्रारम्भ हुआ। श्री गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में एक जुलूस जयपुर में निकाला गया जिसको रेल्वे क्रॉसिंग, सिविल लाइन्स पर स्थानीय पुलिस ने रोका। तत्पश्चात् 4 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल श्री गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में मुख्य मन्त्री से उनके निवास स्थान पर मिला, जहां पर मैं भी उपस्थित था। शिष्टमंडल से निवेदन किया गया कि नशाबन्दी सम्बन्धित विषय पर मन्त्रिमण्डल में विचार-विमर्श किया जायगा। दिनांक 3-2-73 को मन्त्रिमण्डल की बैठक में यह निश्चय किया गया कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार अभी मद्यनिषेध का विस्तार करने की स्थिति में नहीं है।

नशाबन्दी समिति ने यह फैसला किया कि वे अजमेर को डिस्टीलरी पर राज्य के निर्णय के विरोध में धरना देंगे, और शराब की दुकानों पर लगे बोर्डों को काला करेंगे। दिनांक 12-2-1793 को अजमेर डिस्टीलरी पर प्रदर्शन किया गया और डिस्टीलरी में घुसने का प्रयास किया गया। स्थानीय पुलिस के बहुत समझाने के उपरांत भी न मानने पर 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इन में श्री गोकुल भाई, सुश्री डॉ॰ सुशीला नैयर भी सम्मिलित थे, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। अजमेर डिस्टीलरी के समक्ष धरना चालू रहा और जब तक धरना शांति पूर्ण रहा पुलिस ने कोइ कार्यवाही नहीं की। जब सत्याग्रहियों ने डिस्टीलरी में घुसने की चेष्टा की तब गिरफ्तारियां की गई। अब तक अजमेर में 198 सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये हैं। यह तथ्य कि सत्याग्रही पुलिस रिमान्ड में हैं, सही नहीं है। गिरफ्तार सत्याग्रही अजमेर जैल मे मजिस्ट्रेट के आदेश से जमानत या मुचलका न देने पर रखे गए। इस समय 81 ऐसे सत्याग्रही अजमेर जैल में हैं। इस सत्याग्रह में जो वयोवृद्ध एवं स्वतन्त्रता सैनानी हैं उन्हें 'बी' श्रेणी देने में इस वास्ते असमर्थ हैं कि जो जुडीशल कस्टडी में होते हैं उनके साथ श्रेणी का भेद नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार जिस आर्थिक संकट से गुजर रही है उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए यह संभव नहीं है कि सारे राजस्थान में निकट भविष्य में मद्यनिषेध लागू कर सकें। इसके बावजूद भी मद्यनिषेध के सम्बन्ध में जो कदम उठाए गए हैं उससे सरकार पीछे नहीं हटी है। उदाहरणतः सिरोही जिले की आबू तहसील में सन् 1956 से अर्थात् उस समय से जबकि आबू तहसील राजस्थान में शामिल हुई तब से मद्यनिषेध जारी है। गुजरात से लगे राजस्थान की सीमा पर 25 किलो मीटर चौड़ी पट्टी में अक्टूबर 1967 से मद्यनिषेध जारी है। राज्य के 6 जिलों

(श्री चन्दनमल वैद)

में अब भी मद्यनिषेध जारी है, ये 6 जिले हैं—डूंगरपुर, बांसवाड़ा सिरोही, जालोर, बाड़मेर एवं जैसलमेर। 6 तहसीलें हैं उदयपुर जिले की-झाड़ौल, खेरवाड़ा, कोटड़ा, सराड़ा, गोगुन्दा तथा धरियावद। वर्ष में 9 दिन शुष्क दिवस घोषित किए हैं जिन दिनों पर सारे राज्य में शराब बन्दी रहती है—

गणतन्त्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हरिजन दिवस, महावीर जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा, गुरुनानक जयन्ती, पैगम्बर मोहम्मद जयन्ती, कृष्ण जयन्ती और महात्मा गांधी जयन्ती।

सरकार ने गत वर्ष विधान सभा में आश्वासन दिया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होने से मद्यनिषेध नीति पर पुनः विचार करेंगे। इस आश्वासन पर सरकार अब भी कायम है हाल ही में इस सम्बन्ध में कांग्रेस कार्य समिति में कुछ निर्णय लिए गए थे जो इस प्रकार हैं:—

मजदूर बस्तियों के पास शराब दुकानें नहीं होंगी, जिन दिनों मजदूरों को वेतन दिया जावेगा दुकाने बन्द रहेंगी, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थानों व अस्पतालों के पास शराब की दुकानें नहीं रहेंगी व शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी तथा सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक स्थानों पर शराब नहीं पीयेगें।

राजस्थान सरकार उक्त मुद्दों पर पहले ही निर्णय ले चुकी है और सबको क्रियान्वित किया जा रहा है। यही नहीं सरकार ने शराब के उद्योग के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए कतिपय गैर सरकारी संस्थाओं को उदारतापूर्वक अनुदान भी दिया है। इस सम्बन्ध में बाबू जय प्रकाश नारायण, डॉ० सुशीला नैयर, श्री गोकुल भाई भट्ट और उनके सहयोगियों को समय-समय पर परिचित करा दिया गया था। परन्तु खेद है कि इसके बावजूद भी उन्होंने सरकार की मद्यनिषेध नीति को लेकर दूसरी बार आंदोलन शुरू कर दिया है। यहां यह बता देना उपयुक्त होगा कि सारे देश में सिर्फ गुजरात को छोड़ कर राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पर राज्य के 1/4 (एक चौथाई) से अधिक भाग में मद्यनिषेध लागू है।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री, जो आबकारी मंत्री भी हैं, वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन उसमें यह कहा गया है फि जो लोग आंदोलन में शरीक हुए वे क्योंकि जूडीशियल कस्टडी में हैं इसलिए हम उनको 'बी' श्रेणी नहीं दे सकते। मैं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सत्याग्रहियों के साथ तीसरे दर्जे के कैदियों जैसा व्यवहार किया गया और वह भी उन लोगों के साथ जिन्होंने देश की आजादी में भी अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया और जो महात्मा गांधी के निर्देशों के अनुसार, उनकी आशा और विश्वास के अनुसार, आज राजस्थान में एक फिजां बनाना चाहते हैं। एक तरफ आपने कहा हम भी गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान देकर मद्यनिषेध शीघ्र लागू करने के लिए जागृत

(श्री चन्दनमल बैद)

करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक साथ ही आपने यह कहा कि ऐसे लोगों को 'बी' क्लास का दर्जा भी नहीं दे सकते। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों ने सत्याग्रहियों के साथ ऐसे जुल्म किए ऐसे जुल्म तोड़े जिसकी मिसाल इन दिनों में नहीं मिल सकती।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण चाहा है।

श्री मनोहर कोठारी : वही कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने यह कहा है कि हम शराब बन्दी के पक्ष में हैं और उसके लिये जनमत तैयार कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग जनमत तैयार कर रहे हैं, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है ? क्या इसी प्रकार से आप जनमत तैयार कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय सत्याग्रहियों को बुरी तरह घसीटा गया, बुरी तरह उन्हें पीटा गया तथा उन पर लाठियां बरसायी गयीं। अध्यक्ष महोदय, मारपीट ऐसे लोगों के साथ की गयी जो कि शराब बन्दी के बारे में जनमत तैयार कर रहे थे। आप एक तरफ तो शराब बन्दी की नीति की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ जो सत्याग्रह करते हैं, जनमत तैयार करते हैं उनके विरुद्ध आप मुकदमा चला रहे हैं उनके विरुद्ध में कार्यवाही कर रहे हैं ताकि वे लोग जनमत तैयार नहीं कर सकें। मैं वित्त मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिन पुलिस वालों को, जिन अधिकारियों द्वारा सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया, अभद्र व्यवहार किया उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ? वित्त मन्त्री इस बात का स्पष्टीकरण इस सदन में करें। अध्यक्ष महोदय, जो व्यवहार पुलिस वालों ने इन सत्याग्रहियों के साथ किया उसकी मैं आपको कुछ फोटोज पेश करना चाहता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि कैसा व्यवहार किया गया है। (सदन की मेज पर फोटोज रखे गये)

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय वित्त मन्त्री जी ने मद्य निषेध के बारे में एक वक्तव्य दिया इससे इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि राज्य सरकार किन्हीं कारणों से मुख्यतया आर्थिक कारणों से इस स्थिति में नहीं है कि वह पूर्णतया मद्य निषेध राजस्थान में लागू कर सके। तो इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी तो क्या कारण था कि राज्य सरकार ने इस सदन में यह घोषणा की कि मार्च 72 से राजस्थान में पूर्णतया मद्यनिषेध लागू हो जायेगा। तो राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस नीति को लागू करे। क्योंकि यह हमारे कांग्रेस की घोषित नीतियों का प्रश्न है। आप सिर्फ अपने आर्थिक कारणों से ही मद्य-निषेध राजस्थान में लागू नहीं करना चाहते हैं तो यह बात वाजिब नहीं है। इसके साथ-साथ राज्य के वित्त मन्त्री जी ने यह कहा था कि हम चाहते हैं कि राज्य में धीरे धीरे ऐसा वातावरण बने कि जन समाज के कल्याण के लिये हम राज्य में मद्य निषेध नीति को लागू कर सके। पर आज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कौनसा वातावरण बना रहे हैं, आपने ऐसे कौनसे ठोस कदम उठाये हैं जिससे कि राज्य में मद्यनिषेध हो रहा है। आपने जो कदम उठाये हैं उससे तो यह महसूस होता है कि

(श्री फूलचन्द जैन)

शराब बन्दी राजस्थान में पूर्णतया लागू होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो विदेशी शराब को चालू रहने दें उसकी बिक्री चाहे बन्द नहीं करें, लेकिन जो देशी शराब है उसको आपको पूर्णतया बन्द करना होगा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा और पीड़ित वर्ग है शोषित वर्ग है, वह इस देशी शराब को पीता है जिससे कि उनकी जो दयनीय हालत है वह और दयनीय होती जा रही है। एक तरफ तो समाज के छोटे वर्ग के उत्थान की बात करते हैं, जनमत तैयार करने वाली योजना बनाते हैं, दूसरी तरफ समाज के इन गरीब लोगों की स्थिति और दयनीय करते जा रहे हैं। आप जो आंख मूंद कर अन्धेरा कर रहे हैं वह अच्छी बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके मारफत राज्य सरकार को कि हमने कांग्रेस की कार्य समिति में कुछ निर्णय लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि ऐसे स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिये जो सार्वजनिक स्थान हों या महत्वपूर्ण जगह हों लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय कि आप चाहें तो देख लें अधिक से अधिक दूकाने आपको ऐसी जगह मिलेंगी जो मौके की जगह होगी। ताकि ज्यादा से ज्यादा शराब की बिक्री हो सके। इसके अलावा मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कोई भी सरकारी अधिकारी ऑन ड्यूटी शराब नहीं पीयेगा। इसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ऐसे बहुत से सरकारी अधिकारी हैं जो ऑन ड्यूटी शराब पीये हुए रहते हैं। आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की वह सदन में बतलाने की कृपा करें। सरकारी अधिकारी पब्लिक प्लेसेज पर शराब पीते हैं आपने क्या एक्शन उनके खिलाफ में लिया ? इसके अलावा आपने कहा कि जो शराब पीकर मोटर चलायेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी तो इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं आप खुद जानते हैं कि जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं वे रात को शराब पीकर ट्रक चलाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं ? कितने ट्रक ड्राइवर हैं जो बिना शराब पीये हुए ट्रक चलाते हैं ? इसके अलावा एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप शराब का निषेध करना चाहते हैं दूसरी तरफ आपने बताया कि हमने 1738 के बदले सिर्फ अब 1529 दुकानें कर दी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने उन पर गारन्टी सिस्टम लागू कर दिया है कि इतनी शराब तो उनको बेचना ही होगी। आपको शराब से करीब 10 करोड रुपये तक आमदनी होती है। तो इसके लिये मेरा सुझाव है कि अगर आप धीरे-धीरे शराब बन्दी लागू करना चाहते थे तो आपको इसके एक साल बाद 8 करोड़ रुपये की आय करनी चाहिये थी इसके बाद में धीरे धीरे अगले साल 6 करोड़ रुपये की आय करते। इस प्रकार आप अपनी नीति को क्रियान्वित करते, लेकिन आप इसके ठीक विपरीत ठेकेदार को कहते हैं कि गारन्टी सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा शराब वह बेचे उसे बेचनी पड़ेगी। तो, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो शराब को निषेध करना राज्य सरकार

(श्री फूलचन्द जैन)

चाहती है दूसरी तरफ इस तरह गारन्टी सिस्टम से ज्यादा से ज्यादा शराब बेची जा रही है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान तो वैसे ही पिछड़ा हुआ प्रान्त है। यहां के लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें आप अगर ठीक हालत में लाना चाहते है या आप उनका विकास करना चाहते हैं तो आपको शराब बन्दी विकास लागू करना होगा। क्योंकि आज गरीब आदमी ज्यादा शराब पीता है उसके के लिये उसके उन्नति के लिये आपको शराब बन्दी लागू करना होगा। इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि शराब बन्दी को धीरे धीरे समाप्त करने की बात कही है उसके लिये ठोस कदम उठाये जायं।

श्री झाबरमल सूंडा (फतहपुर) : अध्यक्ष महोदय अभी वित्त मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उससे यह स्पष्ट उल्लेख होता है कि राज्य सरकार अपने प्रान्त में पूर्णतया शराब बन्दी लागू करने को तैयार नहीं है। वह इसको हमेशा के लिये बन्द नहीं करना चाहती। चाहे, अध्यक्ष महोदय उसके लिये आर्थिक कारण हो, चाहे कुछ भी मजबूरी हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार एक पिछड़े हुए देश के इलाके को और शराब पीलाकर गफलत में रखना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार आर्थिक फायदे के लिये पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान नहीं करना चाहती उन्हें और दयनीय रखना चाहती है उसके लिये मैं अपने दल की नीतियों को राज्य सरकार की नीति के विरोध में समझते हुए अपने दल के साथ सदन को छोड़कर जाता हूं।

(श्री झाबरमल सूंडा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अभी सदन में माननीय वित्त मन्त्रीजी ने शराब बन्दी नीति के बारे में प्रकाश डाला। मैं वित्त मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने काफी अर्से पहले राज्य सरकार से कह दिया था कि अगर राजस्थान मद्य निषेध पूर्णतया अपने प्रान्त में लागू करना चाहता है तो भारत सरकार मद्य से जो आय राज्य सरकार को होती है उसका 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में देने को तैयार है ताकि राज्य सरकार को अधिक नुकसान नहीं हो। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को यह कहा था कि राज्य सरकार ने जो पहले साल एक हफ्ते में एक दिन शराब बन्द रहेगी दूसरे साल हफ्ते में दो बार दुकाने शराब की बन्द रहेगी तो भारत सरकार ने यह कहा कि इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है. क्योंकि जो आप हफ्ते में एक दिन दुकानें शराब की बन्द रखते हैं तो पहले ही दिन लोग शराब लेकर रख लेंगे इससे ईको घाटा राज्य सरकार को नहीं है। अगर आपको शराब बन्दी करना ही है तो पूर्णतया बन्द करने दो। अगर राज्य सरकार पूर्णतया शराब बन्दी करने को तैयार है तो भारत सरकार को शराब से जो आय होती थी राज्य सरकार को उसका 50 पर्सेन्ट देने को तैयार है अनुदान के रूप में। मैंने जो पत्र व्यवहार राज्य सरकार के वित्त मन्त्री का भारत सरकार से हुआ था उसको पढ़ा है उसमें स्पष्टतया उल्लेख है कि अगर

(श्री मोहनराज)

राज्य सरकार पूर्णतया मद्य-निषेध की नीति को अपनाती है तो भारत सरकार अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत देने को तैयार है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों पालियामेंट में यह प्रश्न उठा था उसमें यही निर्णय लिया गया था कि 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार को भारत सरकार तब ही देगी जब कि वह पूर्णतया मद्यनिषेध लागू करेगी। इस बात से यह मतलब निकलता है कि इस बात की दुबारा पुष्टि की गयी है अगर राज्य सरकार मद्यनिषेध लागू पूर्णतया करती है तो अनुदान राज्य सरकार को दिया जा सकता है। तो क्या हम राज्य सरकार से इस बात की उम्मीद करें कि वह वास्तव में पूर्णतया शराब बन्दी की नीति को लागू करना चाहती है या नहीं। मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपने प्रान्त में भारत सरकार की शर्तों के अनुसार जो स्थिति बनती है उसके अनुसार अमल करने की कोशिश करेगी।

मैं सोच रहा हूं कि राजस्थान में आबकारी मन्त्री का जो मौजूदा देशी और विदेशी शराब की बिक्री बढ़ाने का जो प्रोग्राम है उससे हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। वित्त मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े हमारे विचारार्थ रखे हैं उनके अनुसार भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आखिर तक भी राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति-आय है वह हिन्दुस्तान के औसत प्रति व्यक्ति आय के बराबर भी आने वाली नहीं है। जितने वर्षों में हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स तरक्की करती जावेगी और हम पिछड़ते ही चले जावेंगे। और हर बार यही आग्र्यूमेंट देते रहेंगे कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और हम शराबबन्दो नहीं कर सकते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने अभी सदन का ध्यान आकर्षित किया कि हमारे से पीछे बने हुए प्रदेशों में जहां पूर्ण नशाबन्दी है, वहां पर हमारे से अधिक लोग खुशहाल हैं, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में नहीं जाता, किसान की गाढ़ी कमाई का पैसा उसके पास रहता है, मजदूर की गाढ़ी कमाई का पैसा उसके पास रहता है, और यदि उनके आंकड़ों की ओर माननीय वित्त मंत्री जी नजर डालें तो उनको जरूर अहसास होगा कि मध्य निषेध से परकेपिटा इन्कम बढ़ती है, वह घटती नहीं है और जब आदमी की पर केपिटा इनकम बढ़ती है तो निश्चित रूप से हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी।

हमारे प्रान्त के लोगों की ओर सरकार की आर्थिक दशा को ठीक करने के लिये वित्त मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। शुरू-शुरू में मध्य निषेध के सम्बन्ध में कांग्रेस के अधिवेशनों में आवाज उठाई गई और निवेदन किया था कि मध्य निषेध जरूर करना पड़ेगा तो उस समय सरकार ने कहा था कि सैलस टैक्स बढ़ा कर इसके घाटे की पूर्ति करेंगे और ज्योंहि राज्य की इस सम्बन्ध में आय बढ़ी तो मध्य निषेध कर देंगे लेकिन जब यह नहीं हुआ और सरकार से कहा गया तो सरकार ने कहा कि मध्य निषेध से होने वाले घाटे की पूर्ति के लिये हम लॉटरी निकाल रहे हैं। लॉटरी चलाने के बाद भी आप अपने वचन पर कायम नहीं रहे। हम कैसे मानें कि सरकार जो नीति की घोषणा करती वह कितने वर्ष के बाद भी लागू हो सकेगी कभी लागू होगी भी या नहीं ?

(98)

(श्री मोहनराज)

इसकी कोई सभावना नहीं। आपने कहा कि हमने दुकानों की संख्या घटाई है। दुकानों की संख्या घटी नहीं बढ़ी है। जिन जिलों में शराबबन्दी की है, जो जिले, जैसे जालौर है अथवा सिरोही डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए इलाके हैं वहां 15-15 ढाणियों की आबादी है वहां पर भी आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं। मेरे इलाके में जगह-जगह छोटी-छोटी दुकानें हैं और इतनी खोल दी गई हैं, बाहर गांवों में शराब लेकर जाते हैं बेचने वाले। आदिवासी इलाके में जिस प्रकार खोमचों में मिठाई और नमकीन लेकर बेचने के लिये लोग जाते हैं उसी प्रकार शराब भीलों में बिकती है। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि जहां पर इस प्रकार की खुली छूट हो, शराब का इस प्रकार खुला प्रदर्शन हो, और लोगों को इस प्रकार शराब के लिये आकर्षित किये जाते हों तो लोग शराबबन्दी की ओर नहीं बढ़ सके लेकिन शराबखोरी की ओर बढ़ सकते हैं। राजस्थान सरकार को इस ओर गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये और राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक ही मात्र तरीका है कि हमें शीघ्र ही शराब बन्दी लागू करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल !

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री यह कह कर कि इससे हमारी आर्थिक हालत खराब होगी, अपने आपको असमर्थ पाते हैं शराबबन्दी के लिये। कोई व्यक्ति सिद्धान्त की बात माने और आम जनता से वायदा करके चले और इस काम को पहले किया जायगा और बाद में मुकर जाय इस कारण से कि उससे नुकसान होने वाला है। तो बहुत से ऐसे वायदे हैं उनसे यदि मुकर जायें तो क्या होगा ?

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये और तरीका निकाला जाय शराब को बेचना बन्द किया जाय। शराब की दुकान कम नहीं हुई है। ब्यावर में कितनी दुकानें बढ़ी हैं ? लगातार बढ़ती चली गई है। पहले गलियों में इधर उधर बैठते थे आज सारे बाजार में दुकानें लगी हैं। ऐसे लगा रखी है जैसे हम विदेश में बैठे हों और जहां शराब पीने का धन्धा हो और जहां पर बुरा न मानते हों। वित्त मन्त्री इस बात को लें। दस करोड़ या जो भी नुक्सान होता है उसकी पूर्ति के लिये और तरीका निकाल कर शराबबन्दी करें। साथ ही साथ यह भी निवेदन करना है कि क्या वित्त मन्त्री ने ध्यान दिया कि जितनी शराब देश में कारखानों से बनकर बिकती है उससे पैसे की आमदनी होती है। उससे कई गुना शराब गली-गली कूंचे-कूंचे में बन कर बिकती है और उससे ऐसा धन्धा करने वालों को कितनी अवैध आमदनी होती है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। तीन जीप में आये अफसर लोग। अनायास मैंने उनको जा पकड़ा। मैंने उनको कहा कि शराब का धन्धा लोग कर रहे हैं उससे हमारा चलना मुश्किल हो गया और रहना भी मुश्किल हो गया है। बड़ी-बड़ी मूछों वाले, बड़ी-बड़ी शक्ल वाले और बड़े-बड़े बिल्ले लगाये हुए थे। बड़े अधिकारी हैं। चलो, इनसे कहने से कुछ सुधार होगा। मैंने उन्हें कहा कि आप कहें तो दस बीस भट्टियां बता दूं और आप उनको पकड़िये।

(श्री केसरीमल)

कहने लगे कि गवाहियां देने के लिये लोग नहीं आते हैं पकड़ लेंगे। हम किस चक्कर में पड़ें। लोग गवाहियां नहीं देते हैं और हमारे केस खराब हो जाते हैं। मैंने कहा जरा पधारिये। जिस जगह खड़े हों, शराब के महकमे के अधिकारी हैं, आपको पता लगता है कि आपके नाम में बू आ रही है। भट्टी वहीं थी जहां वे खड़े थे, मैंने कहा कि आपको पता लगता है। कहने लगे हमको पता नहीं लगता। तो जाइये फिर क्यों बात करते हैं। जितना हमारे प्रान्त में गैर-कानूनी शराब का प्रचलन है वह तो बन्द कीजिये जोर से ताकत के साथ, पूरी ताकत लगा कर इसको बन्द करना चाहिये वह शराब कैसे बनती है ? जिससे लोग बीमार होते हैं, जिससे लोग मरते हैं। इससे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं न जाने उसमें लोग क्या मिलाते हैं माननीय सदस्या कह रही थीं कि फर्टीलाइजर काम में आता है। उसका कुछ हिस्सा पानी में मिलाने से शराब तैयार हो जाती है। कहीं-कहीं तो काम में नहीं आ रहीं हैं इसलिये मैं जोर देकर आपसे कहूंगी कि सरकार को चाहिये कि इस ओर ध्यान दें।

शराब पिलाने वालों से आपके महकमे और पुलिस के महकमे को मंथली बंधा हुआ है। हर दूसरे महीने आकर पैसा ले जाते हैं। आपकी छत्र-छाया में बैठ कर ले जाते हैं।

तीसरा निवेदन है जैसा कि जिक्र किया गया कि सत्याग्रहियों को पकड़ा गया है। आपके पुराने कांग्रेस के वर्कर्स रहे हैं। हम तो सत्याग्रह करते हैं। हम पर तो मार पड़ती ही है। अभी महालक्ष्मी मिल के मजदूर 800 मजदूर जेल गये। लाठियों से मार-मार भुरता बना दिया। हम विरोधी हैं इसलिये हम पर तो लाठियां पड़ती हैं और गाली भी पड़ती हैं। क्या कांग्रेस वाले कांग्रेस वालों का स्वागत डंडों, धक्कों और खींचतान करके जेल में धकेल कर करते हैं ? यही क्या कांग्रेस के लोगों का स्वागत है ? क्या उनके साथ यह व्यवहार किया जाय जिन्होंने गांधीजी के साथ रह कर देश के लिये काम किया ? हमने भी काम किया, हम तो विरोधी पार्टी के हैं। आपको उनका कुछ तो ख्याल रखना चाहिये था सत्याग्रह करने वाले हमारे ही साथी हैं उनके साथ और गुन्डागर्दी करने वालों के साथ जैसा व्यवहार होता है उनके साथ और इनके साथ एक-सा व्यवहार ? जो गलत काम करके जेलों में जाते हैं, तस्करी करके, चोरी और डाकेजनी करके जाते हैं उनके साथ जेलों में अच्छा व्यवहार होता है। उनके लिये जेल के अधिकारी तक सारी सुविधाएं जुटाते हैं। कई निषिद्ध चीजें तक उनको लाकर जेलों में देते हैं। बड़े आराम से इस तबके को रखा जाता है, और इसके विपरीत इन सत्याग्रहियों के साथ इस तरह का अमानुषिक वर्ताव हो, यह हमारे लिये कलंक की बात है। इन सत्याग्रहियों में वे लोग हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिये सब कुछ होम दिया था और जिनकी बदौलत आजादी आई और जिनके कारण आज आप इन कुर्सियों पर टिके हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बाइज्जत छोड़ा जावे और जो गैर-कानूनी तरीके से शराब बिकती है उसको रोकने का प्रयास किया जावे। शराबबन्दी पूरी की जावे।

श्री नाथूराम: माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा नहीं है ? मैं पांचवीं बार खड़ा हुआ हूं। क्या मैं फिर बैठ जाऊं ?

श्री अध्यक्ष : आपको अवश्य समय मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, हम भी शराब के नशे में न डूब जावें मुझे यह डर है।

श्री अध्यक्ष : (श्री नाथूराम और एक अन्य सदस्य के साथ बोलने के लिये खड़े होने पर) आप दोनों तय कर लें आपस में।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : बांसवाड़ा में शराबबन्दी की है, इसका तो स्वागत करता हूं। आदिवासी शराब नहीं पीते। वहां अधिक आमदनी वाले शराब पीते हैं। पर राज की तरफ से जवाब दिया जाता है कि जो गलती करते हैं उनको सरकार सजा देती है। पर मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में पुलिस वाले और आबकारी विभाग वाले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। वे मध्यप्रदेश से शराब मंगवाते हैं, गुंडों से मिलकर उसको बिकवाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं जिसमें सभी का हिस्सा होता है। ये आबकारी विभाग वाले सरकार की आमदनी बढ़ाना तो दूर उसे घटाने का पूरा प्रयत्न करते रहते हैं और वह आमदनी अपनी जेबों में,पुलिस वालों की और गुंडों की जेबों में भरते रहते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस भ्रष्टाचार को वह रोके। हम ऐसी आमदनी नहीं चाहेंगे। शराब की आमदनी से हम विकास नहीं चाहते। हम अच्छी आमदनी से विकास चाहते हैं। जैसा गोकुलभाई भट्ट ने सुझाव दिया है उस पर आपने गौर तक नहीं किया और उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो मैं उसे सदन में दोहरा देता हूं कि इस सुझाव पर अगर सरकार अमल करेगी तो उस पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा।

पूर्ण शराबबन्दी के लागू होने पर $2\frac{1}{2}$ करोड़ की आबादी में से अनुमानतः आधा प्रतिशत लोग शराब पीना चाहेंगे। इसके लिये इन लगभग 1 लाख आदमियों के लिये एक बोतल प्रतिदिन शराब पीने को दें तो इसकी व्यवस्था सरकार करे। एक लाख को परमिट दे दिये जावें और सालाना प्रति परमिट कुछ कीमत रख दी जावे तो इससे लगभग दो करोड़ की आमदनी हो जावेगी।

हर बोतल पीने वाले को खुद के लिये छः बोतल महीने का परमिट दिया जावे जो लेना चाहें तो इस तरह से 72 बोतल सालाना से अधिक नहीं दिया जावे। इस तरह से अगर प्रति बोतल रु.5-40 पैसा भी लिया जावे तो इससे 3 लाख रु. 90 हजार की आमदनी होगी।

राज्य में छः जिलों और छह तहसीलों में शराबबन्दी लागू की है तो इससे होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति केन्द्र सरकार से करवाई जावे। इससे सरकार को 154 लाख रु. की आमदनी हो जायेगी।

अफीम, भांग, गांजा, चरस इनसे करीबन $1\frac{3}{4}$ करोड़ की आय होगी।

राजस्थान में बाहर से आने वाले जावें विदेशियों को और टूरिस्टों को परमिट दिये जावें तो इससे एक करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

(श्री नाथूराम)

एक लाख परमिट वालों के लिये शराब की दुकानें जितनी रखनी पड़ेगी उन पर लाइसेन्स देने से व कमीशन से कम से कम 25 लाख अलग से होगी।

इस तरह 73-74 के बजट में 10 करोड़ 19 लाख रुपये की आय सरकार को इस रूप में हो जायेगी।

इस शराबबन्दी को करने से लोग सिनेमा में ज्यादा जावेंगे और प्रकारान्तर से मनोरंजन कर की आमदनी सरकार को अधिक होगी।

फिर शराब में जो सामान्य आदमी पैसा खर्च करता था वह उसके पास बचेगा उसे वह दूसरी चीजों के खरीद में लगावेगा उससे सरकार को प्रकारान्तर से आय होगी, लोग खुशहाल होंगे, यह अलग। इसके, कारण अनेक प्रकार के दूसरे जुर्म जो होते हैं चोरी, जुआरी, हत्या, बलात्कार आदि इनमें कमी होगी।

तो आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरह से वह व्यवस्था करेगी तो उस पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा। फिर शराबबन्दी की नीति को लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है यह समझ में नहीं आता। पैसे वाले ऊंची क्वालिटी की शराब पीवें तो उन पर दुगुना, तिगुना, चार, गुना, पांच गुना टैक्स आप लगा दें। इससे भी आपकी आमदनी बढ़ेगी और गरीब पर भी बोझा नहीं पड़ेगा। विकास में भी इस तरह से रुकावट का बहाना सरकार का जाता रहेगा।

तो निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि यह महान पाप है। इसलिये शराबबन्दी की नीति को जल्दी लागू करना चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय राजस्थान के हर समझदार व्यक्ति को सरकार की इस दूषित नीति पर नाराज होना स्वाभाविक है। यह भी स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति को रोष आवे मन्त्री महोदय का इस प्रकार का वक्तव्य सुन कर। इससे तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में नैतिकता और आचरण की कोई कीमत नहीं है। पैसा ही सब कुछ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस शराबबन्दी के नारे को लेकर बापू ने गरीब लोगों को आजादी की लड़ाई में अपने साथ लिया और यह कहा कि ज्योंही देश आजाद होगा इस बुराई से मैं देश को पूर्ण रूप से मुक्त करा दूंगा।

आज आप उन बापू के चेलों को गोकुलभाई को और विनोबा को ठुकरा सकते हैं। डॉक्टर सुशीला नैयर को ठुकरा सकते हैं क्योंकि सत्ता का नशा आपको बहुत गहरा हो गया है और शराब आपके लिये जरूरी हो गई है। पर मैं निवेदन करूंगा कि यह मांग उन लाखों, करोड़ों गरीब दबे हुए लोगों की है, उन गरीब आदिवासी हरिजनों की है, पिछड़े लोगों की है, मजदूर-किसान की है, जिनकी दुहाई देकर और समाजवाद का नारा लगाकर, जिनकी गरीबी दूर करने का नारा यह सरकार रात-दिन रट की तरह लगा रही है। जिस रट को लगाते यह सरकार अघाती नहीं। गीता के श्लोक और कुरान की आयतों की भांति आप हरिजन व आदिवासी का नाम लेते थकते नहीं। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर गरीब

(श्री मूलचन्द सामरिया)

अच्छी चीज है तो फिर आप दो-दो बोतल पीकर दिन भर इधर-उधर फिरें, यहां आवें, दफ्तर जावें। फिर आपको मालूम होगा कि इसका क्या परिणाम होता है। गरीब व्यक्ति उस शराब के पीछे पागल बना फिरता है, समय पर मजदूरी करने नहीं जाता, जाता है और पैसे कमाता है तो पैसा लाकर घर में नहीं देता, पैसे से अनाज लाकर घर में नहीं डालता, बल्कि उसको शराब पीकर बरबादी में डाल देता है। पीछे घर में चाहे खाने को हो या न हो, बच्चे भूखों मरते हों या नहीं मरते हों, घर में बाल-बच्चों के और औरतों के तन पर कपड़े हों या न हों, इसकी उनको चिन्ता नहीं रहती। औरतें बच्चे घर पर भूखे-नंगे सोते हैं, पर आपको उनकी चिन्ता नहीं, शराब से होने वाली अपनी आमदनी की चिन्ता है। धिक्कार है इस तरह चिन्ता करने वालों को। आप समाज कल्याण विभाग को बन्द कर दें तुरन्त, इससे तो यह अच्छा है और उसके एवज में शराबबन्दी का टैक्स सब पर लगा दें और शराब पूरी तरह से बन्द कर दें। जितनी आय आपको शराब से होती है उतने डाइरेक्ट टैक्स लगा दें शराबबन्दी के नाम पर। आप मालदारों से मत लो टैक्स, इसका टैक्स गरीबों से लो, हरिजन और आदिवासी लोगों से लो, साधनहीन तबके से लो पर इस शराब को बन्द कर दें। इससे उनका भला ही होगा। उनका कल्याण ही होगा। पैसा आप टैक्स के रूप में ले लेंगे तब भी शायद उतना तो नहीं ले पावेंगे जितना वह शराब में उड़ा देते थे। अगर सारा पैसा जितना वे शराब में उड़ाते थे वह सारा का सारा भी टैक्स के रूप में उनसे वसूल कर लेंगे तब भी हर्ज नहीं। कम से कम उनकी बुद्धि तो सन्तुलित रहेगी, स्वास्थ्य तो उनका ठीक रहेगा। घर की शान्ति तो मिलेगी। बीवी-बच्चों को शान्ति की सांस तो मिलेगी, परिवार में तो शान्ति बढ़ेगी।

फिर यह शराब जो दिन-रात डकैतियां चोरियां, व्यभिचार और अन्य अनेक प्रकार के पाप करवाती है, अपराध करवाती है इनकी जन्मदात्री है, कम से कम उनमें तो कमी होगी, सरकार का सिरदर्द कम होगा, पुलिस अपना समय और श्रम अन्य रचनात्मक कामों में लगावेगी। अगर आप यह नहीं करना चाहते और इसके बाद भी समाजवाद की रट लगाते जा रहे हैं तो धिक्कार है इस समाजवाद को और इस हुकूमत को दोनों को। मैं निवेदन करता हूं कि पूज्य बापू की यह एक बात तो यह सरकार मान ले। यदि पूज्य बापू की बात में वे कोई सार नहीं देखते हैं तो भले ही उसे ठुकरा दें पर अगर उनकी बात में दम है तो अपनी हठधर्मी छोड़ दें और पूर्ण शराबबन्दी की बात मान लें।

आय ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, बुरे कामों से आय होती है तो उसे धिक्कारना चाहिये। मैं कहता हूं शराब की आय व्यभिचार से भी बुरी होती है। यह तो पूरी तरह से नैतिकता की और इज्जत की कीमत है। इसको तुरन्त बन्द किया जावे। जो गरीब लोग इसके शिकार हो रहे हैं उनको तुरन्त बचाया जावे।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मनुष्य जीवन के कल्याण का विषय है और आजादी जो

(श्री चतुर्भुज)

हमें मिली है उसके नाम पर और पूज्य बापू के नाम पर मैं यह चाहता हूँ कि यह शराबबन्द हो। आजादी दिलाने वाली पीढ़ी आज समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे। कोई-एकाध निशानी के बतौर बचा हुआ है। गोकुलभाई आज उनमें से एक हमारे बीच में हैं, यह हमारा सौभाग्य है। पता नहीं वे दो साल हमारे बीच में हैं या चार साल। पका हुआ फल है कब गिर जावे, कोई नहीं कह सकता। हमारा कर्त्तव्य है उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचावें। उनकी आजादी प्राप्त करने की कीमत इस रूप में हम उनको दे सकें तो यह उनके सन्तोष की बात होगी। राज्य सरकार को उनकी सलाह मानकर इसका रास्ता निकालना चाहिये। यह मनुष्य को स्वतन्त्रता का उपभोग करने की स्वतन्त्रता देगी। मूल स्वतन्त्रता को जिन्दा रखना अति आवश्यक है।

आज अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं वे इस शराब से होती है। आज टोड़ा रायसिंह में शहर के बीच में थाना है। शाम के वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग शराब में धुत्त होकर क्या-क्या नाच करते हैं।

यह भ्रष्टाचार की भी निशानी है। देहातों में गरीबी की यह मूल जड़ है। इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि शराबबन्दी तुरन्त की जावे और इसकी आमदनी का और कोई जरिया निकाला जावे। आपके लिये यह कोई कठिन काम नहीं है। आप इससे भी बड़े-बड़े काम कर जाते हैं। मन होना चाहिये। मन आप बनाइये अपना। शराब मनुष्य के लिये अत्यन्त हानिकर चीज है। इसे तुरन्त बन्द करना चाहिये। गोकुलभाई भट्ट जैसी आत्माओं को सान्त्वना देनी चाहिये। 25 वर्ष के वे अपने सपने अपने मनों में संजोये हुए चले आ रहे हैं। अब न जाने कितने दिनों के महमान और हैं। साल छः महीने, दो साल, चार साल के और हो सकते हैं। तो अगर हमने यह कर दिया तो उनकी निशानी रह जावेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जयकिशन!

श्री जय किशनलाल (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसके बारे में मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। एक तरफ तो हमारी सरकार समाजवाद लाने की बात करती है और साथ ही सब प्रकार की बीमारियों, बेकारी, गरीबी और सब प्रकार की बुराइयों को दूर करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया पांच-पांच मिनट ही बोलें ताकि दूसरों को भी बोलने का मौका मिले।

श्री जय किशनलाल : लेकिन दूसरी तरफ नशाबन्दी न करके उन गरीबों को वास्तव में बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यदि हम अपनी समाज की ओर निगाह डालें तो हम देखेंगे कि सभी प्रकार का भ्रष्टाचार जो हो रहा है वह शराब के कारण हो रहा है। आये दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि फलां आदमी ने बलात्कार किया, शराब पीकर किसी की जेब काटी, किसी की हत्या कर दी, डाका डाला या चोरी की। यह सब किसके कारण है? यह सब शराब के कारण है। आज हजारों और करोड़ों की संख्या में लोग शराब पीकर अपना चरित्र खो देते हैं,

(श्री जय किशनलाल)

उनको अपनी वास्तविकता का पता नहीं रहता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वे नीति को छोड़ कर अनीति की तरफ जाते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शराब पर प्रतिबन्ध लगाने से यदि पांच या छः प्रतिशत आमदनी कम हो जती है, तो वह सरकार जनता पर, दूसरा टैक्स लगा कर वसूल कर सकती है। हमारी जनता उस टैक्स को देने के लिये तैयार है लेकिन इस प्रकार की बुराइयां जो शराब के कारण हमारी जनता में हो रही हैं, वह बहुत बुरी चीज है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक तरफ तो राज्य सरकार योजना बनाती है कि समाज को शिक्षित बनाया जाये और दूसरी तरफ शराब पीने की छूट देती है जिसे पीकर आदमी अपनी सारी शिक्षा भूल जाता है, अथवा सारे चरित्र की बातें भूल जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके, शराबबन्दी को पूरे रूप से लागू करना चाहिये। शराबबंदी करने से ही हमारी समाज की, हमारे आने वाली पीढ़ियों की और हमारे धर्म की रक्षा हो सकती है। अन्यथा हमारी आने वाली सन्तति, हमारी आने वाली पीढ़ियां नशे में पड़कर अपना चरित्र, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा पूर्णरूप से खो देगी और हम जो आज स्वर्ग और नर्क की कल्पना करते हैं, यह भारतवर्ष जो आज स्वर्ग माना जाता है, वह नर्क बन जायेगा। माननीय गोकुलभाई भट्ट ने बार-बार आन्दोलन करके यह हमारे सामने रखा है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। राज्य सरकार को चाहिये कि एक समिति बनाई जाये जो कि ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। राजस्थान के अन्दर अध्ययन करके दखें कि शराब पीने से कितनी बुराइयां होती हैं और इसके अन्दर कितनी खराबियां हैं। इस कारण नशा निषेध भारत में अवश्य लागू होना चाहिये, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) एक बात मैं निवेदन कर दूं और वह यह है कि जो मेरी घंटी मानेंगे उसी को इजाजत दूंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह मजबूरी जाहिर की है कि शराब-बन्दी करने से राज्य को दस बारह करोड़ की हानि होगी। साथ-साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार अगर यह चाहे कि कानून से ही नशाबन्दी हो जायेगी, तो यह आशा मुझे नहीं लगती। मैंने देखा है कि जहां-जहां, जिन जिन जिलों में राज्य सरकार ने नशाबन्दी की है वहां पर नाजायज शराब इतनी बन रही है कि लोग नाजायज शराब पी पीकर मर रहे हैं। मैं अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में भ्रमण करने गया था वहां पर मैंने बाम-रोली गांव के आसपास इतनी नाजायज शराब बन रही थी, देखी। उस नाजायज शराब को रोकने के लिए भी राजस्थान सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। हमारे

(श्री जनार्दनसिंह गेहलोत)

145 सदस्य हैं जो कांग्रेस के सदस्य हैं, और उधर विरोधी दल के नेता भी चाहते है कि नशाबन्दी समाप्त हो....

एक माननीय सदस्य : नशाबन्दी समाप्त हो....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : शराबबन्दी हो। इस सदन के 184 ही सदस्य गांधीजी के बताये हुए रास्ते से अगर रचनात्मक कार्य करें, एक-एक महीने के लिये अपने चुनाव क्षेत्र में अगर शराब पीने वालों के खिलाफ एक वातावरण पैदा करें प्रचार करके, तो उससे बहुत कुछ हो सकता है।

(शोरगुल)

इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि शराब को कानून से बन्द करने से पहले एक कमेटी बनाई जाये जो इस बात के लिए वातावरण बनाये।

एक माननीय सदस्य : आपका आन्दोलन यही चल रहा है ?

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में ही अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा। शराब के बारे में जो माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि नुकसान होगा, वह प्रत्यक्ष में तो नुकसान होगा लेकिन अप्रत्यक्ष में लाभ भी होगा। भ्रष्टाचार के काफी मामले आपके खत्म हो जायेंगे। आपको पुलिस की व्यवस्था कम करनी होगी क्योंकि जुर्म कम होंगे। दूसरा जो आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोगों के उत्थान के लिए जो खर्च करते हैं वह भी, अगर आप शराबबन्दी कर लें तो कम करना पड़ेगा। अगर आज राजस्थान में शराबबन्दी करके आप एक शराबबन्दी टैक्स भी लागू कर दें तो उसका कोई विरोध नहीं होगा और जितना भी आपका नुकसान शराबबन्दी करने से हो रहा है वह उस टैक्स लगाने से पूरा हो जायेगा।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो आपके कर्मचारी और अधिकारी 500 रुपये से ऊपर वेतन पाते हैं उनके ऊपर तो आप एक प्रतिबन्ध लगादें कि वह शराब न पीयें। मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि माननीय मंत्री को शराबबन्दी के लिए तैयार कर सकें, तो आप माननीय मंत्री महोदय का घेराव करें। एक तरफ 184 सदस्य हैं और एक तरफ अकेले वित्त मंत्रीजी। मैं यही सुझाव दूंगा कि मंत्री महोदय का आदरपूर्वक घेराव किया जावे और उनसे शराबबन्दी की घोषणा कराई जाये। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो मैं यही कहूंगा कि आपके केवल शराबबन्दी के लिए मगरमच्छ के आंसू हैं।

श्री दलपतसिंह (खारची) : अध्यक्ष महोदय, जो फायदा आज जनता को शराबबन्दी से होगा उसके मुकाबले में सरकार का नुकसान बहुत कम है और जो फायदा राजस्थान के रहने वालों को होता है वह सरकार का ही फायदा है। अगर नुकसान देखा जाये तो सरकार का आठ-दस करोड़ का है और उसकी एवज में शराबबन्दी होगी उससे कितने परिवारों को और कितने लोगों को इसका फायदा होगा उसके मुकाबले में सरकार को नुकसान कुछ नहीं है।

दूसरी बात माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में बताया कि जो लोग मद्य-

(श्री दलपतसिंह)

निषेध के प्रचार के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसके लिए जनमत तैयार कर रहे हैं उनको सरकार सहायता देती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकारी सूचना के अनुसार ऐसी कितनी संस्थायें और अखबार हैं जो इसके लिए जनमत तैयार कर रहे हैं और आज सरकार ने उनको क्या सहायता दी है ? यह मंत्री महोदय बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपने विचार व्यक्त कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। इसमें मुझे कोई औचित्य नहीं दीखता कि नैतिकता की कीमत पैसों से आंकी जाये। अगर नैतिकता सदाचार और चरित्र के बदले जिससे पतन होने वाले हैं उसके लिए हम यह कहें कि हमें पैसा मिलेगा, हमें आर्थिक हानि होगी इसलिए बन्द नहीं कर सकते। फिर मैं कहता हूं कि चरित्र और सदाचार और नैतिकता की बात करना बिलकुल बेकार है। फिर जैसे हमने परिवार नियोजन के बोर्ड लगा रखे हैं वैसे ही पैसा कमाने के लिए शराब के बोर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे पहले चाय के लिए लिखा करते थे कि इसमें कोई हानि नहीं तो हम इस बारे में लिख सकते हैं कि यह सारी परेशानियों को दूर करती है। पहले से ही कठिनाइयां हैं, हम अपने खाने के लिए, अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए समाज में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तो शराब पीकर उन सब चिन्ताओं को भूल जायेंगे। ऐसे बड़े-बड़े बोर्ड लगायें और करोड़ों रुपयों में और वृद्धि कर लें। मैं समझता हूं कि यह पतन की पराकाष्ठा का नमूना होगा। जो शराबबन्दी के बारे में पहले माननीय सदस्य बोल गए शायद उनकी भावना ऐसी नहीं होगी कि विरोधी पक्ष शराबबन्दी के विरुद्ध है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि शराबबन्दी होनी चाहिए।

दूसरी बात जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने स्टेटमेन्ट में कहा कि हमने शराबबन्दी के लिए इतनी दूरी पर दुकानें लगाने का सोचा है, बस्तियों में ये दुकानें नहीं होनी चाहिए पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उदयपुर के अन्दर नई दुकानें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बीच में खोली हैं और उनके खोलने के बाद गरीब लोग शहर के बीच में, गलियों में शराब पीकर सारा वातावरण खराब कर देते हैं। अच्छा वातावरण समाप्त करके गन्दा वातावरण पैदा कर देते हैं।

तीसरी बात जो आर्थिक वृद्धि की बात है उसमें भी घाटा कितना होता है। बड़े-बड़े ठेके समाप्त कर छोटे-छोटे लोगों को दिया गया, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन बड़े-बड़े ठेकेदार आज ऑफिसर्स से मिलकर घरों में नाजायज शराब बना कर बेच रहे हैं और खुल्लमखुल्ला बेच रहे हैं। उनको सूचना दी जाती है कि आइये उनको गिरफ्तार कीजिए तो वह आने के लिए तैयार नहीं। पहले से उनको सूचना भेज देते हैं और वह दुकान खाली करके चले जाते हैं। मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि चुपचाप बिना सूचना के जायें। आज जयपुर में शहर के अन्दर बड़े बाजारों में बिना लाइसेन्स के दुकानें चल रही हैं। सूचना मैंने

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ऑफिसर्स को दी है, ऑफिसर्स उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं। कहां से आमदनी होगी ? आमदनी भी गयी, धन भी गया और कुछ नहीं मिला। नैतिकता भी गयी। अगर कमाना है तो अपने नियमों की पालना कीजिए।

अन्त में मैं एक निवेदन करके समाप्त करूंगा कि कम से कम आपने जो दुकानें चला रखी हैं उनको बस्तियों से दूर रखिये ताकि जिनको पीना होगा वे वहां चले जायेंगे। लेकिन शहर के बीच में से हटाने की व्यवस्था की जाये। अच्छा हो राज्य सरकार शराबबन्दी के नियमों को पारित करे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुंशीलाल !

श्री **मुंशीलाल** (वस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो वित्त मंत्रीजी ने अपना स्टेटमेन्ट दिया है वास्तव में वह कुछ माने तो रखता है। आज हमको 10-12 करोड़ रुपये इसके जरिये मिलते हैं उससे हमारे आर्थिक विकास के काम होते हैं लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे बापू का कहना था कि यदि हम आय चाहें तो उसके लिए हमारे साधन भी अच्छे होने चाहिए। यदि हम अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। हम शराब के पैसे से आर्थिक विकास करना चाहें यह अच्छी बात नहीं है। शराब का पैसा जो इकट्ठा करना चाहते हैं वह वीकर क्लास के लोगों से करना चाहते हैं। वे देशी शराब पीते हैं तो जो दूसरे अपने आपको ऊंचा मानते हैं वे अंग्रेजी शराब पीते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर ही शराब का तोफा पहनायें यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि अच्छे लोग भी शराब पीते हैं लेकिन वास्तव में देखा जाये तो जो गांधीजी का विचार था उसको गोकुलभाई भट्ट ने राजस्थान की पवित्र भूमि में जो आवाज उठाई है वह स्वागत योग्य है और उनका आन्दोलन सराहनीय है। अगर देखा जाय तो समाजवादी सरकार को चाहिए कि गरीब तबके के लोगों को जिनकी इन्कम का जरिया कम है उनको इस शराब से छुड़ाये लेकिन यह सरकार शराब के जरिये उनकी जेब काटना चाहती है और उनका पतन करना चाहती है। उनका नैतिक पतन होता है और शराब पीकर वे अपने विकास के कामों को भूल जाते हैं और यहां तक कि अपने बच्चे और स्त्रियों को भूखों मारने से भी नहीं बचा सकते और वे इतने हैबीचुअल हो जाते हैं कि किसी हालत में उसको छोड़ नहीं सकते। यदि सरकार आदर्श की बात सोचती है और नैतिकता की बात सोचती है तो शराबबन्दी की तत्काल घोषणा करे और गोकुलभाई को जो जेल में बन्द किया है उनको तत्काल छोड़ा जाये........

श्री चन्दनमल बैद : वह जेल में नहीं है।

श्री मुन्शीलाल : अच्छा है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संस्थायें शराबबन्दी का आन्दोलन करना चाहती हैं और लोगों की शराब छुड़ाना चाहती हैं ऐसी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देकर सरकार घोषणा करे कि हम इस निश्चित समय तक शराबबंदी कर देंगे। यदि

(श्री मुंशीलाल)

सरकार आर्थिक संकट ज्यादा महसूस करती है तो कम से कम इतना तो करे कि कम से कम कुछ संस्थाओं को आर्थिक सहायता देकर उनको प्रचार में लगा दे ताकि लोग शराब नहीं पीयें और समाज में एक तरह का विचार चालू हो जाये कि कोई साधू-महात्मा या दूसरे समाज सुधारक लोग हैं उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करने का बहुत अच्छा मौका मिल जायेगा और ऐसी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देकर नया वातावरण पैदा कर सके। मैं निवेदन करूंगा कि आज आठ-दस करोड़ हम आर्थिक विकास पर लगाते हैं इसके बजाय दूसरे टैक्स लगा दें लेकिन लोगों को भ्रष्ट करके पैसा कमाना अच्छा नहीं है। इसलिए निश्चित समय कहें कि इतने समय में शराबबन्दी कर देंगे।

श्री **अध्यक्ष** : श्रीमती निर्मला कुमारी !

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी !

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़-गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारी दोहरी नीति क्यों है। एक ओर हम समाजवाद की बात करते हैं और उसके साथ ही साथ गरीबी मिटाने की बात करते हैं तो दूसरी ओर हम शराब की दुकानें खोल कर उन गरीबों को शराब पीने में प्रोत्साहन देते हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती। हम विकास के लिये, गरीबी मिटाने के लिए पैसा जुटा रहे हैं। मैं तो यह कहूँगी कि वह जो पैसा जुटा रहे हैं वह एक तरह से फूटे घड़े में पानी भरने के समान है जो बाहर निकल कर बह रहा है। क्योंकि हम विकास के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों से टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से शराब को चालू रख कर समाज में कई प्रकार के अपराध, अनेक बुरे आचरण, यहां तक कि वेश्यावृत्ति आदि अनेक प्रकार की समस्यायें पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा पैसा क्या काम का जो हमारे समाज को विघटित कर दे: हमारे समाज की जो आने वाली पीढ़ी है उसके विकास के मार्ग में रोड़ा बन जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ वित्त मन्त्रीजी की भी मुश्किल है, उनकी भी कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि 12 करोड़ की जो राशि है वह कम नहीं है। इतनी बड़ी राशि कहां से जुटाई जाय तो इसकी भी कई प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है। कई प्रकार के कर बढ़ाये जा सकते हैं। मनोरंजन कर, जिसके बारे में सभी लोग कहते हैं, आज हम देखते हैं कि सिनेमा में आए दिन भीड़ बढ़ रही है कि यदि उसमें कर बढ़ा दिया जाय तो सम्भव है यह परिस्थिति कम होगी।

दूसरा हम उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं....

श्री **अध्यक्ष** : आप काफी पहले भी बोल चुकी हैं यह ध्यान रहे।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : हमारे प्रान्त में काफी खनिज पदार्थ विद्यमान हैं। उन खनिज पदार्थों को खोज करके हम कई प्रकार के उद्योग स्थापित कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया समय का ख्याल रखें।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : हमें उन नीति निर्देशक तत्त्वों को नहीं भूलना चाहिये जिनके प्रति कि हम आंखें मून्दे हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्त्व क्या हैं। तो जो बुराई आज समाज में व्याप्त हो रही है हमें उसको छुड़ाना होगा। हमें रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिये क्योंकि कोई भी परिवर्तन लाने को हम तैयार नहीं होते। हमारी सरकार रूढ़िवादी है। कोई नया कदम उठाना नहीं चाहती।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत् घण्टी)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शराब के अन्दर क्या गुण हैं और क्या नहीं हैं इस बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे तो इतना ही निवेदन करना है कि जो शराब, जिस शराबबन्दी के सिलसिले में शराबबन्दी न करने का कारण सरकार को घाटा होने का अंदेशा है और उस सम्बन्ध में शराबबन्दी के जो हमारे गोकुलभाई ने सुझाव दिए हैं, घाटा पूर्ति के और हमारी सरकार को रास्ते बताये हैं तो उस प्रकार की आमदनी करने में हमारे वित्त मन्त्रीजी को क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको तो सरकार को 10 करोड़ की आय इकट्ठी करके देना है।

दूसरी बात यह है कि वेश्यावृत्ति, जुआ और शराब, हम इन तीनो चीजों को एक समान घृणित रूप में देखते हैं। ये तीनों चीजें बेड़ा गर्क करने वाली हैं। अगर इनमें से दो को बुरा समझ कर खत्म कर दिया तो फिर इस शराब की बुराई को जो उन दोनों की भी जननी है खत्म करने में क्या दिक्कत है। इसको भी खत्म कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, आज जो चीज बंगला देश के शरणार्थियों के नाम पर टैक्स की थी और उसको बदल कर अकाल के टैक्स के रूप में कर दिया है और सदन में किसी ओर से उसका विरोध नहीं हो रहा है क्योंकि वह समय की पुकार है। इसी प्रकार से अगर इस शराब को बन्द करने के लिए सरकार दूसरे तरीके से टैक्स लगाये तो किसी को ऐतराज नहीं होगा। इससे मनुष्यों को जितनी कठिनाइयां और बरबादी होती हैं तो उसके लिए इस चीज को भी शीघ्र बन्द करना जरूरी हो जाता है।

इसी तरह से आज जो हमारे सर्वोदयी नेता इस बारे में आन्दोलन कर रहे हैं और उनको जैलों में डाल रखा है तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि जुर्म करते हैं, साम्प्रदायिकता फैलाते हैं दूसरे बुरे काम करते हैं उनको तो खुला छोड़ रखा है और जो इस बुराई को रोकने के लिए आन्दोलन करते हैं, उनको जैलो में डाल देते हैं और जो दूसरे तरीके के उल्टे काम करते हैं जिनसे समाज का पतन होता है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। इस-लिए ऐसे आन्दोलनकारियों को रिहा किया जाना चाहिए।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है और जो अपनी मजबूरी

(श्री नानालाल)

जाहिर की है उसी प्रकार की मजबूरी आपने अपने बजट भाषण में भी इसी अकाल के लिए कही है। माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने मद्य निषेध लागू नहीं करके बहुत बड़ा पाप कमाया है और उस पाप का परिणाम सरकार देख रही है कि आज राजस्थान में बहुत बड़ा अकाल विद्यमान है। अतः मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस अकाल से अपना छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस पाप से हमें बचाइये ताकि हम इस राजस्थान की जनता को इस अकाल से छुटकारा दिला सकें। यह पाप का ही प्रतिफल है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। हम अपने वायदों से जो मुकर रहे हैं तो कई लोगों की मंशाओं के ऊपर कुठाराघात किया है और उसके ही पापों का यह प्रतिफल है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मेरी इस बारे में अपनी अलग धारणा है। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के दो सूबों, मद्रास और महाराष्ट्र के अन्दर वहां की सरकारों ने भी बहुत जोश और खरोश के साथ प्रोहिबिशन लागू किया। अपने यहां के सूबों के अन्दर भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो दो जिले हैं और अन्य कुल छः जिलों के अन्दर यहां की सरकार ने बहुत जोरदार तरीके से सर्वोदय नेताओं की मांग पर और इस सदन के माननीय सदस्यों की मांग पर और अन्य कई कारणों से उन जिलों के अन्दर शराबबन्दी लागू की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर सरकार की तरफ से जो डिस्टिलरीज हैं, उनमें जो शराब बनाई जाती है....

(व्यवधान)

श्री मीठालाल : आपको भी मालूम है अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : आपसे नहीं बच सकता हूँ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो शराब अपनी डिस्टिलरीज में बना कर बेची जाती है उसके बावजूद भी इल्लीसिट डिस्टीलेशन इस देश में बहुत होता है और इस कारण से हमने यह देखा है, अखबारों में पढ़ा है कि कई जगह ऐसी जहरीली शराब पीने से सैंकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। अपने सूबे के अन्दर भी जिन जिलों में शराबबन्दी हुई है, वहां के सदस्यों से, वहां के अन्य कार्यकर्त्ताओं से बात हुई तो उनका कहना है कि शराबबन्दी होने के बावजूद भी वहां पर बहुत ज्यादा तौर पर इल्लीसिट डिस्टीलेशन हो रहा है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है। आज सरकार ने उन छः जिलों के अन्दर जहां शराबबन्दी लागू की है और शराबबन्दी करके कहते हैं कि एक तरफ करोड़ों रुपयों की हानि हुई है उसके बावजूद भी लोग पीते हैं और वे बराबर पी रहे हैं....

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : बिल्कुल गलत बात है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे— अश्रव्य)

(श्री नाथूराम)

वहां गरीब लोग पीते नहीं है बनिये, ब्राह्मण, जैनी वे लोग पीते हैं। गरीब लोग शराब पीते नहीं हैं।

(निरन्तर कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे— अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं....

(श्री महेन्द्रकुमार एवं श्री जयकिशन एक साथ बोलते रहे– अश्रव्य)

श्री महेन्द्रकुमार : .... जिन इलाकों में शराबबन्दी हो रही है वहां पर जो दुकानों पर शराब मिलती है तो इसके लिए वहां के अधिकारियों के पचास, सौ रुपये बंधे हुए हैं जो उनको मिल जाते हैं।

श्री नाथूराम : माननीय सदस्य बांसवाड़ा के नाम पर गलत बात कह रहे हैं।

(व्यवधान – अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : वे उनका दृष्टिकोण रख रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा है कि गरीब लोग नहीं पीते हैं, हमारी जाति के लोग नहीं पीते हैं, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि कौन पीता है और कौन नहीं पीता है, इसके बारे में सबको जानकारी है। मैं प्रोहिबिशन की पालिसी को, प्रोहिबिशन को लागू करने के दो कारणों से खराब मानता हूँ। इसके लिए जो कारण हैं वे सरकार के सामने हैं और उन कारणों की वजह से लागू नहीं कर पाते हैं और इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार और मद्रास की सरकार ने बहुत प्रयत्न किया किन्तु उन्होंने देखा कि हमारी प्रोहिबिशन की पालिसी जो है वह हर तरह से, हर प्रकार की कोशिश करने के बावजूद नाकामयाब रही। उसके बाद ढील देने के बाद, प्रोहिबिशन खोलने के बाद शराब वहां पर खुल्ले आम बिकने लगी है, अब जहां वहां की सरकार ने....

श्री मोहनराज जैन : वहां पर परमिट सिस्टम है, खुले आम नहीं बिक रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माउण्ट आबू में क्या सिस्टम है। फिर भी आप परमिट सिस्टम की बात करते हैं।

श्री माननीय सदस्य : यदि उसके ऊपर कन्ट्रोल हो जाए तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब को नियमों की जानकारी है। माननीय सदस्य को भाषण जारी रखने दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : सदन की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं अपनी भावना यहां पर रख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके जरिये यह निवेदन किया है कम से कम लोगों से शराब पीना छुड़ाना है तो यह सरकार कानून द्वारा शराबबन्दी को लागू नहीं कर सकती है। हमारी ज॰ आदत पड़ी हुई है, हमारे समाज की जो

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

व्यवस्था है, उसमें हमें पहले सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़े प्रयत्न की जरूरत है। बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी तब जाकर सफलतापूर्वक नशाबन्दी लागू हो सकेगी वरना कानून के द्वारा कोई नशाबन्दी लागू नहीं हो सकेगी और कानून लगाकर हम राज्य की जो आय है वह भी हमारे हाथ से चली जायगी और लोग जहर पीएंगे और उससे लोग मरेंगे इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं।

श्री मनोहरलाल : लाइसेंस चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : 4.50 बजे आबकारी मन्त्रीजी इसका उत्तर देंगे। इस बीच में माननीय सदस्य और बोल सकते हैं।

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार समाजवाद की बात करती है। मन्त्री महोदय समाजवादी होने का ढोंग रचते हैं। समाजवाद के लिए दो चीजें जरूरी हैं। समाजवाद लाने के लिए आदमी को एक तो भाग्यवाद को छोड़ना पड़ता है और दूसरा मुनाफे के लालच को छोड़ना पड़ता है। सरकार अपने कारखानों में नुकसान उठा रही है इसलिए घाटा उठाती है कि हम समाजवाद को लाना चाहते हैं। हम मुनाफा नहीं कमाना चाहते, बल्कि जनता की सेवा के लिए कारखानों को चलाते हैं इसलिए आज सरकारी कारखानों में घाटा हो रहा है लेकिन शराब के कारखाने में यह सरकार मुनाफा कमाती है। एक तरफ हमारे मुख्य मन्त्री महोदय यह ऐलान करते हैं कि मेरे मन्त्रिमण्डल में कोई सदस्य न तो शराब का इस्तेमाल करता है और न कोई सुन्दरी का इस्तेमाल करता है। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य के उन शब्दों को मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं। जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति से पैसा कमाता है वह वेश्यावृत्ति के समान है, और जो शराब से मुनाफा कमाता है वह शराब पीता है। समाजवादी भावना के विपरीत आप मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। समाजवादी भावना के विपरीत आप लॉटरी चलाते हैं। एक तरह से आप जुआ चला रहे हैं। एक माननीय सदस्य सदन में कह रहे थे चूंकि बन्द नहीं कर सकते हैं इसलिए लाइसेन्स दे दें। रिश्वत बन्द नहीं कर सकते इसलिए इसके लिए भी लाइसेन्स दे दें। चोरी बन्द नहीं हो सकती है इसलिए चोरी के लिए भी लाइसेन्स दे दें। अध्यक्ष महोदय एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के वश की बात नहीं रही है क्योंकि कांग्रेस का जो संविधान गांधीजी के जमाने में था उसमें यह था कि कांग्रेस का कोई भी सक्रिय सदस्य शराब नहीं पीएगा। उस संविधान में इन्होंने संशोधन कर दिया है ...

श्री श्रीराम गोटेवाला (अन्य सदस्यों के साथ) : नहीं नहीं, यह गलत है। कोई संशोधन नहीं किया गया है।

श्री मनोहरलाल : संशोधन कर दिया गया है।

(शोर-गुल)

अब इसके लिए छूट दे दी गई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं चुनौती देता हूं। यह गलत है।

श्री मनोहरलाल : मैं चुनौती देता हूं यह सही है। आपके संविधान में शराब पीने की छूट दे दी गई है। अब आप शराब पीने की छूट दे रहे हैं....

(शोर-गुल)

श्री श्रीराम गोटेवाल : यह आपकी जानकारी गलत है।

श्री मनोहरलाल : यह सही है शराब पीने की छूट है। अब सक्रिय सदस्यों पर यह पाबन्दी नहीं है। सक्रिय सदस्य शराब पीते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने भी चुनौती दी, उधर से भी चुनौती दी, स्वीकार हो गई, अब आप समाप्त करें।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। एक और सुझाव की बात करना चाहूंगा। श्री गोकुलभाई सत्याग्रह कर रहे हैं उनको भी आपने अब तैयार कर लिया है वे भी यह बात मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि आप पूर्ण शराबबन्दी लागू नहीं कर सकें तो लाइसेन्स दे दीजिए। इस बात के लिए भी गोकुलभाई तैयार हैं। तो मेरा एक सुझाव है। मैं जानता हूं कि सरकार पूर्ण शराबबन्दी को लागू नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं कि आप इसको फैलाएंगे और हर आदमी में फैलाएंगे। अगर सरकार इसको चलाना चाहती है तो दफ्तरों में, कार्यालयों में, न्यायालयों में आपने गांधीजी का फोटो लगा रखा है तो वह फोटो गांधीजी का आप शराब की दुकान पर भी लगा दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दलील यहां पर पेश की है मैं समझता हूं कि सदन का कोई सदस्य उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं राजस्थान सरकार यह बात नहीं कहती है कि हम शराबबन्दी नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं। उसके अलावा और भी कई कठिनाइयां हैं।

एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। सत्याग्रह शुरू हुआ उसके पहले भी और बाद में भी सत्याग्रही लोगों ने इस सम्बन्ध में मेरे से बातचीत की। उनका आग्रह था कि मैं भी सत्याग्रह में शामिल हो जाऊं। मैंने उन्हें निवेदन किया। एक तो यह कि जो सत्याग्रह हो रहा है उसमें गोकुलभाई की हम इज्जत करते हैं, वे हमारे बहुत पुराने नेता हैं, लीडर हैं लेकिन उन्होंने जो उपवास किया था, वह उपवास उन्होंने हिन्दुस्तान की प्रधानमन्त्री के आग्रह पर तोड़ा था। अब उस आश्वासन के अनुसार शराबबन्दी लागू नहीं हो रही है, अगर इस बात के लिए आपको सत्याग्रह करना है तो आपको भारत सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने आपको इसके लिए कोई आश्वासन नहीं दिया। राजस्थान सरकार तो कहती रही है कि वित्तीय स्थिति संकटपूर्ण है, इसलिए इसको लागू करने में उसकी मजबूरी है वरना सरकार की पालिसी जरूर है। हम इसके ऊपर कायम हैं और कायम रहेंगे। जैसे-जैसे वित्तीय स्थिति ठीक होगी इसको लागू करते जाएंगे। आपको शिकायत है, सत्याग्रह करना चाहते हैं तो आपको इस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बात के लिए इन्दिरा गांधी ने आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन पर ही अनशन को तोड़ा है तो उनके खिलाफ करना चाहिए।

दूसरी बात है, यह मेरी मान्यता है कि शराबबन्दी को लागू करना है तो इसके लिए एक ही उपाय है कि इस सब्जेक्ट को भारत सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए क्योंकि जो फाइनेन्शियल दलील दी जाती है उसमें कोई शक नहीं है वह वजन रखती है। दस, बारह करोड़ की आमदनी बन्द हो जाए तो तनख्वाहें बन्द हो जाएंगी। इस तरह की हालत है। आज ओवरड्राफ्ट भी बन्द है इसलिए ऐसी हालत में भारत सरकार यदि चाहे तो सारे हिन्दुस्तान में इसको वह लागू कर सकती है। एक बात और है। जब कभी किसी प्रदेश में यह लागू करते हैं तो दूसरे प्रांत से जहां कि नशाबन्दी नहीं है वहां से शराब आ जाती है। इसलिए सारे हिन्दुस्तान में यह एक साथ बन्द होनी चाहिए। अगर भारत सरकार राजस्थान को दस करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है तो हम तैयार हैं इसको लागू करने के लिए। भारत सरकार को कोई मुश्किल नहीं होगी। सत्याग्रही भाइयों की मैं इज्जत करता हूं। मैं भी एक सर्वोदयी समाज का आदमी हूं। सर्वोदय में विश्वास करता हूं। अब भी विश्वास करता हूं। मैं चाहता हूं कि सर्वोदयी भाई भारत सरकार के समक्ष सत्याग्रह करें और भारत सरकार को इस विषय को अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य करें।

एक और सुझाव देना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि शराबबन्दी होनी चाहिए। मैं भी इस बात को कहने के लिए तैयार हूं। मैं इस बात का सुझाव देना चाहता हूं इसके लिए वित्त मन्त्री को दस करोड़ के नये कर लगाने की छूट हमको देनी चाहिए। क्या इस सदन के सभी सदस्य नये कर प्रस्ताव के लिए तैयार हैं?

कई माननीय सदस्य : तैयार हैं। तैयार हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक तरफ तो हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य टैक्स लगाने पर शोर मचाते हैं। क्या सदन में वे इस बात को कहने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह विश्वास करता हूं कि सदन के सभी सदस्य इसके लिए सहमत हों तो आज ही दस करोड़ के दस टैक्स लगा देने के लिए एक कमेटी का निर्माण कर दिया जाए। सरकार इन टैक्सों को लागू कर के शराबबन्दी को लागू कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री आबकारी मन्त्रीजी!

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बताइये, 10 करोड़ का और कौनसा टैक्स लगवायेंगे?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये तो लगवा ही लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आबकारी मन्त्रीजी!

(शोरगुल--व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कह चुके हैं। अब आबकारी मन्त्रीजी बोलेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी के बारे में मुझे जो कुछ कहना था, मैं कह चुका हूँ। इसके अतिरिक्त सदन के सभी तरफ के बैठने वाले भाइयों ने भावनाएं व्यक्त की हैं, वह मैंने ध्यान से सुनी हैं। नशाबन्दी ऐसी चीज नहीं है कि कानून बनाने से ही वह लागू हो जाये। यदि आज सरकार यह ऐलान कर दे कि आज से शराब बन्द होगी और कल से लोग पीना बन्द कर देंगे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो अच्छी स्टेट माने जाते हैं, उन्होंने यह अहसास किया है कि जिस तरीके से नशाबन्दी को लागू किया गया है, वह असफल रहे हैं। वह स्टेट असफल रही है। नशाबन्दी अगर हमें लागू करनी है तो हमें और तरीके से सोचना पड़ेगा। तभी हम नशाबन्दी लागू कर सकते हैं। हम भावना में आकर कहते हैं। कुछ लोग जो कांग्रेस के आदमी हैं, महात्मा गांधी के नाम पर और भावनाओं के आवेश में आकर....

श्री मीठालाल : महात्मा गांधी के नाम पर वोट मांगते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बोलते हैं। विरोधी दल के लोग यह चाहते हैं कि 12 करोड़ का घाटा हो जाये। पेमेन्ट बन्द हो जाये। सरकार फेल हो जाये तो बड़ा अच्छा हो।

एक माननीय सदस्य : दिवालिया होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : दिवालिया हम होंगे या नहीं यह तो नहीं कह सकता।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : जनता ने आपका (विपक्ष की ओर संकेत) दिवाला जरूर निकाल दिया है।

श्री चन्दनमल बैद : पिछले साल 4 करोड़ का टैक्स लगाया था तो आपने और हर एक व्यक्ति ने कितना परेशान किया था, कितना कोसा था। इस सदन के अन्दर भी और बाहर भी। मैं बोला नहीं हूं। विधान सभा का रेकार्ड गवाही देगा कि क्या-क्या आपने कहा था। आज आप कह रहे हैं कि 12 करोड़ का टैक्स लगा दो। 4 करोड़ में तो आप कुछ और कह रहे थे। इसी सदन में आप क्या कह रहे थे। 12 करोड़ का टैक्स लगा दूंगा तो आप क्या कहेंगे। वह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन प्रेस के लिए अखबारों में सुर्खी लगाकर नाम आये............

श्री मूलचन्द सामरिया : इतनी बड़ी गम्भीर बात है, उसको आप इतना लाइटली ले रहे हैं। प्रेस और अखबारों में नाम के लिए कहे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोले।

श्री मीठालाल : फिर तो रिश्वत को भी चालू कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : क्या आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ?

श्री मनोहरलाल : रिश्वत चालू करने से तो महल बन जाते हैं।

श्री मोहनलाल : कांग्रेस, महात्मा गांधी और भावावेश की बात कहते हैं। हम कांग्रेस कार्यक्रम के अनुसार कहते हैं।

(श्री मोहनलाल)

यह कांग्रेस के प्रोग्राम में है। जब तक नशाबन्दी नहीं होगी तब तक हम कहते रहेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय....

श्री नत्थीलाल : मन्त्री महोदय ने बताया है कि भावनाओं में बोलते हैं। हम बचपन से शराब के विरोध में हैं। आपने गलत बताया है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 6 जिलों में आज शराब-बन्दी है। इन जिलों के रहने वाले कार्यकर्त्ता और विधान सभा के सदस्य स्वयं मुझसे मिलते रहते हैं। विधान सभा में शिकायत की गई है। अलग से उन्होंने कहा है कि शराबबन्दी के बावजूद वहां शराब का दौर चलता रहता है।

श्री विट्ठलभाई : मैं समझता हूं। (लगातार शोरगुल–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनें। बीच में क्यों बोलते हैं।

श्री विट्ठलभाई : महुओं के लिए आपने गुजरात को छूट क्यों दे रखी है। बड़े-बड़े लोग पीते हैं। आफिसर पीते हैं। उन पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : 6 जिलों में तो यह हाल हुआ। जब 26 जिलों में शराब बन्दी की जायेगी, उस समय सरकारी ऑफिसर क्या पाकिस्तान से या रूस से मंगाये जायेंगे। क्या यह सरकारी अफसर होंगे। 6 जिलों के बारे में आप सरकारी अफसरों की शिकायत करते है। अभी तो 6 जिलों में है। 26 जिलों में होंगे तो क्या सरकारी अफसर मेरे घर में पैदा होंगे। वह सरकारी अफसर कौन जायेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तो सुझाव देता हूं, जो शराब के सही मायने में विरोधी हैं तो वह नशाबन्दी के लिए वातावरण बनायें। अभी जोधपुर में एक कमेटी बनाई गई है। मैंने उनको वातावरण बनाने और प्रचार करने के लिए एक लाख रुपया दिया है। आप शराब विरोधी वातावरण बनायें। मैं खुद चाहता हूं शराब बन्द हो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जोधपुर में जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी के सेक्रेटरी कौन हैं?

श्री चन्दनमल बैद : श्री अमृतलाल गहलोत उसमें हैं। उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। सारे प्रामाणिक आदमी हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सेक्रेटरी के बारे में जानने के लिए कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप पूछ लीजियेगा। जितने आदमी हैं, सारे आदमी भले हैं। कोई पीने वाला नहीं है।

श्री मोहनराज : एक सदस्य मैं भी हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मोहनराज जी हैं, बाली वाले।

मैं कहना चाहता हूं, उस जिले में शराबबन्दी के लिए प्रचार करने में जितना पैसा खर्च होगा, सरकार उनको देगी। इसलिए वह काम करें।

श्री झाबरमल सुण्डा : यह मेहरबानी जोधपुर पर ही क्यों हुई?

श्री चन्दनमल बैद : एक तरफ सरकार शराब को बन्द करे। दूसरी तरफ गुण्डे, बेईमान और बदमाश शराब में पैसा कमायें। देश में अनाचार फैले। इस प्रकार के कार्य होंगे। दूसरी तरफ अनाचार होगा। इल्लिसिट शराब निकालें और बेचें। आप शराब के विरोध में वातावरण बनाइये। मैं उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, समय पूरा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दि० 9-3-73 के 1-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर म० प० 5-00 बजे सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दि० 9-3-1973 के प्रातः 1.-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 362 की सूची)

योजना का नाम	अनुमानित लागत	स्वीकृत वर्ष	प्रगति विवरण
1	2	3	4
श्योकर कुरली	4.36	1971-72	पांच में से चार गांवों में जल-वितरण शुरु किया जा चुका है ।
गोपरी भाडियावास	2.28	1971-72	भाडियावास में जल-वितरण शुरू किया जा चुका है व शेष गांवों में मार्च, 1973 में कर दिया जावेगा ।
समदरी कल्यानपुर	6.40	1971-72	मार्च, 73 में जल-वितरण शुरू किये जाने की संभावना है ।
उन्डू पनावड़ा	22.00	1971-72	कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 73-74 में पूर्ण किये जाने की संभावना है ।
बामसीन खन्डप	8.09	1971-72	,,
धुम्बली गिराव	1.20	1971-72	जल वितरण शुरु किया जा चुका है ।
लोहखाडा भीमतल	8.70	1971-72	कार्य प्रगति पर है, अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।
चुली भादरेश	3.50	1972-73	कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।
भीमडा बायतू	49.10	1970-71	कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।
उन्डू कम्पालिया	36.00	1970-71	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
पारलू उमरलाई	2.57	1972-73	वर्ष 1973-74 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।
कानासर कश्मीर	1.60	1972-73	,,
डोली अरोआ	2.00	1972-73	,,

1	2	3	4
मियाड बलाई	4.20	1972-73	वर्ष 1973-74 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
भटाला हाड्ड	19.50	1972-73	,,
पादर सिनेर असांडा टापरा	31.00	1972-73	,,
गूगा हास्वा, हास्वेवा	1.10	1972-73	,,
तुरब्बी खाडिन	44-30	1972-73	,,
नीमंला जड्ड	24.69		(स्वीकृति नही हुई है)

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

विभागीय व गैर विभागीय (संस्थाओं द्वारा संचालित) छात्रावास

365. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विभागीय तथा गैर विभागीय (संस्थाओं द्वारा संचालित) कितने-कितने छात्रावास कहां-कहां कार्य कर रहे हैं तथा उन पर सरकार कितना-कितना व्यय अनुदान, व्यवस्था आदि कर रही है ? सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि विभागीय और गैर विभागीय छात्रावासों के आन्तरिक निरीक्षण विभाग द्वारा बराबर नियमित रूप से नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो आन्तरिक निरीक्षण के सम्बन्ध में क्या रीति-नीति निर्धारित है ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। विगत तीन वर्षों में जिन छात्रावासों का आन्तरिक निरीक्षण किया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा कुछ छात्रावास अधीक्षकों को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? विगत तीन वर्षों में निलम्बित और प्रस्थापित अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की तालिका कारण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में विभाग द्वारा तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों की जिलेवार सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है। राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों पर गत तीन वर्षों में हुए व्यय की सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभागीय एवं अनुदानित छात्रावासों के लेखों का निरीक्षण विभागीय लेखा दल द्वारा प्रति वर्ष नहीं किया जाता है। विभाग में उपलब्ध जांच दलों की संख्या के अनुसार उक्त छात्रावासों के दो वर्ष अथवा तीन वर्ष के लेखों का एक साथ ऑडिट किया जाता है। विगत तीन वर्षों में जिन छात्रावासों का आन्तरिक निरीक्षण किया गया है उसकी सूची (स) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। विगत तीन वर्षों में निलम्बित और प्रस्थापित अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की सूची (द) मय कारणों के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़

366. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) चित्तौड़गढ़ में बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री से उड़ने वाली धूल कितने वर्ग मील क्षेत्र को प्रभावित करती है ?

(2) क्या इस धूल से भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो रही है ? यदि हां, तो निकट भविष्य में इसके नियन्त्रण के लिये सरकार क्या कुछ प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) लगभग 4 वर्ग मील क्षेत्र को।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है। समस्त सम्बन्धित तथ्य प्राप्त होने पर राज्य सरकार वांछित कार्यवाही करेगी।

चूरू जिले में सहायता कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें

367. **श्री झाबरमल** (फतेहपुर):—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में सहायता कार्यों में गडबड़, भ्रष्टाचार तथा बिना श्रम किये भुकारा लेने आदि से सम्बन्धित कितनी शिकायतें जिलाधीश चूरू, एस. डी. ओज. सहायता विभाग और मंत्री महोदय को प्राप्त हुई हैं ? कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डूंगरगढ तहसील के बिग्गा ग्राम के कुछ निवासियों ने अपने हस्ताक्षरों से वहां होने वाले कामों में गडबड़ी की गम्भीर शिकायतें जिलाधीश को की हैं ? यदि हां तो क्या ? और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) चूरू जिले में सहायता कार्यों के अन्तर्गत लोगों को रोजगार देने के लिये किस किस तहसील के कौन कौन से जोहड खुदवाये गये ? प्रत्येक जोहड खुदाई के लिये कितनी रकम दी गई इसमें से प्रत्येक जोहड का खुदाई का प्रस्ताव किन किन द्वारा प्राप्त हुआ और किस की स्वीकृति से कार्य करवाया गया ?

(4) किस-किस जोहड़ की मिट्टी और पायतन में वर्षा का पानी संग्रह होकर इकट्ठा रहने लायक है और कौन कौन से जोहड बिना पायतन ताल और पानी नहीं ठहरने लायक मिट्टी वाले हैं ?

(श्री झावरमल)

(5) क्या यह सही है कि जिन गांवों में जोहड खुदाये गये हैं उनके आसपास गत वर्षों में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत अधूरे काम वाली सडकें हैं ? यदि हां तो अधूरे कार्यों को पूरा करवाने का कार्य क्यों नहीं चालू किया गया ?

(6) क्या यह सही है कि खुदाई जोहड के कितने ही कार्य बिना जिला अकाल सहायता समिति में परामर्श किये ही खोल दिये गये हैं ? यदि हां तो कौन-कौन से और क्यों ?

उत्तर

(1) सम्वत् 2029 के राहत कार्यों के सिलसिले में सात प्रार्थना-पत्र समय पर मजदूरी कम देने के बावत जिलाधीश एवं एस० डी० ओ० को प्राप्त हुये थे। इन्हें वास्ते जांच व निस्तारण हेतु तहसीलदार व अधिशासी अभियन्ता के पास भेजा गया।

दो शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई थीं इनकी प्रतिलिपियां संलग्न है।

(2) जी हां। शिकायत की प्रतिलिपि संलग्न है उप जिलाधीश; रतनगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जिला चूरू में जो जोहड सहायता कार्यों के रूप में खुदवाये गये हैं उनकी ग्रामवार तहसीलवार सूची मय रकम के जो दी गई है, संलग्न है। प्रस्ताव तहसीलदार के द्वारा जिलाधीश को प्राप्त हुए थे। जो कार्य चालू किये गये उनमें सं० 344 की स्वीकृति सहायता विभाग से जारी की जा चुकी है। जिलाधीश 25000) रु० तक की लागत के कार्य सहायता विभाग को स्वीकृति के पूर्व भी चालू कराने के लिए अधिकृत है।

(4) जिन जोहडों की खुदवाई कराई गई उन सब की मिट्टी व पायतन में वर्षा का पानी संग्रह करने लायक हैं।

(5) यह सही है कि जिन ग्रामों में जोहड खुदवाये गये हैं उनके आसपास गत वर्षों की अधूरी सहायता सडकें भी है। परन्तु जोहड कार्य सडकों की तुलना में उच्च प्राथमिकता के कार्य हैं। तो भी सडक कार्य भी चालू करने के आदेश दिये गये हैं।

(6) ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो जिला राहत समिति के परामर्श या प्रस्ताव के विपरीत जिलाधीश ने स्वीकृत किये हों।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सांचोर के सार्वजनिक छात्रावास को अनुदान

368. श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर):—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के सार्वजनिक छात्रावास का पंजीयन काफी अर्से पहले हो चुका है, परन्तु छात्रावास को अभी तक वर्षवार सरकार से अनुदान नहीं दिया जा रहा है ? अगर हां तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस वर्ष उक्त छात्रावास को अनुदान दिलाना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां तो कितना अनुदान कब तक दिलवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। धनाभाव के कारण छात्रावास को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया।

(2) बजट में प्रावधान होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

तहसील पदमपुर में किसानों के नाम प्राप्त कीटाणुनाशक दवाइयों के दुरुपयोग की शिकायतें

369. श्री **गुरुदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर में फसलों में कीड़े मारने की दवाई कीटाणुनाशक किस-किस को और कितनी-कितनी दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें। इस तहसील क्षेत्र में हवाई जहाज द्वारा कितनी व किस फसल को स्प्रे करवाया गया ?

(2) क्या यह सच है कि न तो उक्त क्षेत्र (पदमपुर-तहसील) में हैलीकोप्टर से स्प्रे हुआ और न ही दवाई का पूरे तौर पर प्रयोग करवाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के किसानों के नाम से अधिकारियों ने दवाई प्राप्त की और उसका दुरुपयोग किया ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। हैलीकाप्टर की कमी के कारण इस वर्ष (1972-73) में हवाई छिड़काव नहीं कराया गया।

(कृषि मंत्री)

(2) जी हां, किन्तु हाथ एवं शक्ति चालित मशीनों द्वारा दवाइयों का सुचारू रुप से उपयोग किया गया ।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चुरू जिले के अन्धा, अपंग अपाहिज पेन्शन के मामले

370. **श्री लूनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) चूरू जिले में जब से अन्धा, अपंग, अपाहिज पेन्शन स्वीकृत हुई तब से लेकर आज तक तहसीलवार कितने-कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? दिसम्बर, 1972 तक के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से दिसम्बर, 1972 तक तहसीलवार कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गए ?

(3) जो प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए गए हैं उन सभी को पेन्शन आरम्भ कर दी गई या नहीं ? तहसीलवार बताने का कष्ट करें।

(4) क्या बाकी प्रार्थना-पत्रों की जांच हो चुकी है ? यदि हां तो किस अधिकारी द्वारा और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) यह सूचना सूची के कॉलम संख्या 4 में अंकित है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। प्रार्थना पत्रों में आयु संबंधी व डॉक्टरी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करने के कारण जांच पूरी नहीं की जा सकी है।

चुरू जिले में जब से अपाहिज पेन्शन स्वीकृत करना शुरू किया तब से दिसम्बर,·72 तक प्राप्त व स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की सूची।

क्र० सं०	नाम तहसील	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	चुरू	8	5
2.	राजगढ़	8	2

(समाज कल्याण मंत्री)

1	2	3	4
3.	तारानगर	2	—
4.	रतनगढ़	3	3
5.	डूंगरगढ़	10	—
6.	सरदार शहर	—	—
7.	सुजानगढ़	4	2
	योग....	35	13

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा सीमेन्ट का उत्पादन

371. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री करीबन 70000 टन औसत माहवारी सीमेन्ट का उत्पादन करती है लेकिन राजस्थान को सिर्फ 6000 और 7000 टन सीमेन्ट ही फैक्ट्री से मिलता है ?

(2) क्या उक्त फैक्ट्री से आगामी जून, 1973 तक 02000 टन सीमेन्ट माहवारी राजस्थान की खपत के लिये प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी ?

(3) जिला सवाई माधोपुर को सीमेन्ट का मेजर शेयर इसी फैक्ट्री से दिलाने की व्यवस्था करने में क्या बाधायें हैं ?

(स्थगित किया गया)

अलवर जिले के गांवों को अभावग्रस्त घोषित करना

372. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में पिछले साल दोनों फसलों के सूखा व सर्दी से नष्ट हो जाने के कारण जमा वसूली स्थगित करदी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि बानसूर, बहरोड, व तिजारा तहसीलों में इस साल फसल सूखा वा बाढ से नष्ट हो गई है ? यदि हां तो किस-किस गांव में ?

(बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में सिवाय अलवर जिले के बाकी सब जिलों के गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

(4) क्या सरकार अलवर जिले का भी सर्वे करायगी और सूखा व बाढ़ग्रस्त गांवों को अभाव में ग्रस्त घोषित करेगी ?

उत्तर

(1) सम्वत् 2028 में रबी की फसल के सूखा व सर्दी के कारण खराब हो जाने से जिले के 1,949 ग्रामों में से 1,796 ग्रामों में भू-राजस्व फसल रबी की वसूली 31-10-77 तक स्थगित की गई थी। फसल खरीफ सम्वत्, 2028 की भू-राजस्व की वसूली को स्थगित नहीं किया गया।

(2) इस साल फसल खरीफ सम्वत्, 2029 में खराबी होने के कारण तहसील बानसूर के 46, तहसील लक्ष्मणगढ़ के 5 एवं तहसील बहरोड के 27 ग्रामों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराब होने के कारण इनमें अभावग्रस्तता की घोषणा करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। सूची संलग्न है।

(3) इस वर्ष राज्य के 24 जिलों में अभावस्थिति की घोषणा की जा चुकी है केवल अलवर एवं भरतपुर में अभी यह नहीं की गई है।

(4) जिलाधीश का अभावस्थिति का अन्तिम प्रतिवेदन आ चुका है एवं शीघ्र ही इस पर आदेश दे दिये जायेंगे।

अभावग्रस्त घोषित किये जाने वाले ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम	नाम तहसील	क्रम संख्या	नाम ग्राम	नाम तहसील
1	2	3	4	5	6
1.	बाढ पुरोहित	बानसूर	8.	खोहरी	बानसूर
2.	बासभावसिंह	,,	9.	बूढली	,,
3.	बादुबूदंला	,,	10.	धामलाकाबास	,,
4.	बाढ ढेबूबास	,,	11.	खेडा	,,
5.	बासदयाल	,,	12.	श्यामपुरा	,,
6.	बास कर्नावात	,,	13.	खरखडा	,,
7.	इद्राडा	,,	14.	नवलपुरा	,,

127

परिशिष्ट–8 मार्च, 1973–परिशिष्ट

(अकाल राहत मंत्री)

1	2	3	4	5	6
15.	रसनाली	बानसूर	41.	मुगलपुर	बानसूर
16.	झझरपुर	,,	42.	बसईचौहान	,,
17.	आलमपुर	,	43.	मोडीवास	,,
18.	झगडेपूला	,,	44.	डांगीवास	,,
19.	उद्योकावास	,,	45.	बवेडी	,,
20.	टोडिया का वास	,,	46.	ईसराकावास	,,
21.	अनन्तपुरा	,,	47.	भोकर	लक्ष्मणगढ़
22.	बीलाडा	,,	48.	चयनपुरा	,,
23.	बासना	,,	49.	बदनघडी	,,
24.	लेकडी	,,	50.	नागलामाधोपुर	,,
25.	घाट	,,	51.	सोराई	,,
26.	मोठुका	,,	52.	चकरामदास	बहरोड
27.	फतेहपुर	,,	53.	महतावास	,,
28	कांजीपुरा	,,	54.	नारेडा खुर्द	,
29.	मुधनन्दपुरा	,,	55.	बीजपुर	,,
30.	उखलेडा	,,	56.	नगंलीबलई	,,
31.	कोठिया	,,	57.	बडीया	,,
32.	परताकाबास	,,	58.	डाबरवास	,,
33.	भोराडी	,,	59.	जोनायचा कलां	,,
34.	साथलपुरा	,,	60.	चावडी	,,
35.	घोपली	,,	61.	सांतो	,,
36.	भूरीडूंगरी	,,	62.	रामचन्द्रपुरा	,,
37.	कोथल	,,	63.	परतापुरा	,,
38.	नागलभावसिंह	,,	64.	नीमराना	,,
39.	मेहनपुर	,,	65.	परतापुरा चक नं० 2	,,
40.	माजराठाकेडा	,,	66.	परतापुरा चक नं० 1	,,

1	2	3	4	5	6
67.	घीलोट	बहरोड़	73.	गोरूला चक नं० 3	बहरोड़
68.	परतापुर चक नं० 3	,,	74.	श्रीयानी ,, ,,	,,
69.	वीरनवास ,, ,,	,,	75.	ढोढाकरी ,, ,,	,,
70.	रायसराना ,, ,,	,,	76.	कांकर ,, ,,	,,
71.	गिगलाना ,, ,,	,,	77.	वटाना ,, ,,	,,
72.	वीधानाजाट,, ,,	,,	78.	कुंतीना ,, ,,	,,

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के आरक्षित पदों की पूर्ति

373. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के प्रत्येक विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के आरक्षित पदों की पूर्ति निर्धारित प्रतिशत से अभी तक नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो निर्धारित प्रतिशत से आरक्षित पदों को न भरने वाले अधिकारियों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ।

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक विभागों के लिये पदों का सृजन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के आरक्षित पदों का बंटवारा निर्धारित प्रतिशत से नहीं किया जाता है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पद सृजन करते समय आरक्षित पदों का निर्धारित प्रतिशत से बंटवारा न करने के अभाव से नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा मनमानी की जाती है ?

(जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(4) क्या राजस्थान सरकार यह निर्णय लेगी कि पदों का सृजन करते समय ही प्रत्येक वर्गवार पदों पर आरक्षित पदों का निर्धारित प्रतिशत से बंटवारा कर दिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ऐसे आदेश जारी कर दिये जावेंगे ।

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि विभागाध्यक्षों द्वारा आरक्षित पदों की पूर्ति निर्धारित प्रतिशत से नहीं की गई है, जिनके लिये राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किये गये हैं एवं पूछताछ की जा रही है ।

(2) पद के सृजन का सम्बन्ध वर्त्तमान में आरक्षण से नहीं है पदों की भर्ती के समय आरक्षण कायम किया जाता है ।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(4) वर्त्तमान में यह विचाराधीन नहीं है ।

केशवरायपाटन व लाखेरी की नल योजना

374. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बून्दी जिले की नगरपालिका केशवरायपाटन एवं लाखेरी की नल योजना का कार्य पूर्ण हो गया ? यदि हां, तो कब और इस योजना में कितनी-कितनी धन राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नल योजनाओं से नागरिकों को जल का वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) केशवरायपाटन जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है, वैसे मार्च, 72 से जनता को वाटर वितरण किया जा रहा है इस योजना पर जनवरी, 73 तक 2.93 लाख रु० व्यय किया जा चुका है । लाखेरी जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है इस योजना पर माह जनवरी, 73 तक 5.87 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

(2) केशोरायपाटन जलप्रदाय योजना से जल वितरण (रॉ वाटर) मार्च, 72 से शुरू किया जा चुका है विभाग द्वारा बनाई गई लाखेरी की जलप्रदाय योजना अभी

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

चालू नहीं हुई है। वहां की जनता को पानी वितरण का कार्य नगरपालिका लाखेरी पूर्व निर्मित योजना से कर रही है नगरपालिका द्वारा संचालित जल योजना को विभाग के हाथ में लेने की कार्यवाही की जा रही है जिसके उपरांत विभागीय योजना को भी शुरू किया जा सकेगा।

खानपुर क्षेत्र में कृषि मंडी खोलने का प्रस्ताव

375. श्री गौरीशंकर (खानपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किसी भी क्षेत्र में कृषि उपज मंडी स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की नीति एवं निर्देश क्या हैं ?

(2) झालावाड जिले में कितनी कृषि उपज मण्डियां कार्यरत हैं ?

(3) खानपुर क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी खोलने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके निर्णय में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की नीति यह रहती है कि उस मण्डी में वार्षिक आय कम से कम इतनी हो कि उस उपज के विक्रय पर प्राप्त होने वाला मण्डी शुल्क तथा लाइसेन्स शुल्क मण्डी समिति स्थापन तथा नियंत्रण और उसके समुचित विकास का खर्चा वर्दाश्त कर सके। मण्डी समिति स्थापित करने हेतु आम तौर पर एक वर्ष में 80 लाख रुपये मूल्य की उपज की आवक होना अपेक्षित है और गौण मण्डी के लिए कम से कम 20 लाख रुपये मूल्य की आवक होना।

(2) झालावाड़ जिले में दो कृषि उपज मण्डियां हैं। (1) भवानीमण्डी (2) चौमहला।

(3) जी हां। खानपुर में मण्डी स्थापित करने हेतु विस्तृत जांच की जा रही है ताकि ये निश्चित् किया जा सके कि मण्डी में आने वाली कृषि उपज की मात्रा आवश्यकतानुसार है और उससे होने वाली आय से मण्डी नियंत्रण तथा उसके समुचित विकास का व्यय उपलब्ध हो सकेगा।

गुरुकुल वकानी मिडिल स्कूल

376. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गुरुकुल वकानी मिडिल स्कूल राज्य सरकार की सहायता (एड) से चलाया जा रहा है और जिसका कार्य भी अब तक सुचारुरूप से चल रहा है परन्तु आर्थिक संकट से बन्द होने की संभावना है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त संस्था के पास भवन, जमीन आदि एक लाख रुपये से ज्यादा के हैं, जिन्हें यह संस्था शिक्षा विभाग को देकर स्कूल चलाना चाहती है और इसके लिये कई बार निवेदन भी किया गया है ? यदि हां, तो इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या सरकार अगले सत्र में इस स्कूल को अपने अधिकार में ले लेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है ।

(2) (3) इस संस्था को 1-7-73 से राज्याधीन लेने हेतु सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है ।

फर्नीचर उद्योग

377. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के फर्नीचर उद्योग में जी० पी० शीट्स काम में आती हैं ? अगर नहीं तो फिर कितने उद्योगों को फर्नीचर हेतु जी० पी० शीट्स आवन्टित की गई और क्यों ?

(2) क्या आलमारियों में गर्डर्स लगते हैं ?

(3) आलमारियां बनाने हेतु किस-किस उद्योग को कितनी-कितनी गर्डर्स कब-कब अलॉट की गईं ?

उत्तर

(1) साधारणतया स्टील फर्नीचर उद्योग में जी० पी० शीट्स काम में नहीं आतीं परन्तु बी० पी० शीट्स के अभाव में फर्नीचर उद्योग के लिये जी० पी० शीट्स भी काम में लाई जाती हैं। केवल जयपुर स्टील मेकिंग फर्नीचर एसोसिएशन को जी० पी० शीट्स आवन्टित की गईं ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लाखेरी नगरपालिका सीमा विवाद

378. श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी म्युनिसिपल वोर्ड के सीमा विवाद के समय राज्य सरकार व ए० सी० सी० कम्पनी के मध्य कोई इकरारनामा किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल सीमा के अन्तर्गत सरकार ने रिजर्व एरिया कायम किया था ? यदि हां, तो उक्त रिजर्व एरिया में कुल कितना रकवा था और किस कार्य हेतु रिजर्व रखा था ?

(3) क्या यह सही है कि रिजर्व एरिया में लाखेरी के पटवारी की सहायता से सेंकड़ों मकान वना लिये गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने मकान रिजर्व एरिया में बिना सरकार की आज्ञा से बनाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इसी रिजर्व एरिया में सड़कों के किनारे की भूमि का अलॉटमेन्ट करा दिया गया है और कुछ को ट्रेसपासर्स मान कर पटवारी ने रेगुलाइज करवा दिये हैं ?

(5) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की तालिका सदन की मेज पर रखें जिनको रिजर्व एरिया में भूमि अलॉट की गई थी या एक्वायर करके खाते बांध दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

ऐसा रिजर्व एरिया लगभग 360 एकड़ का है जो फैक्टरी के विकासार्थ रखा गया।

(3) यह सही है कि कम्पनी के लिये रिजर्व किये एरिया में बिना नगरपालिका की अनुमति के सवाई चक जमीन में मकान वना लिये हैं।

(4) यह सही है।

(5) इसकी सूची तैयार करवाई जा रही है।

(133)

परिशिष्ट–8 मार्च, 1973–परिशिष्ट

सरकारी वाहनों का दुरुपयोग

379. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अधिकांश अधिकारी सरकारी वाहनों का उपयोग अपने निजी व पारिवारिक कार्यों के लिये करते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने वाहनों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के लिये कोई नियम बनाये हैं या कोई आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो कब और क्या ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी नहीं ।

वाहनों का दुरुपयोग न हो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार सतर्क है व समय-समय पर निर्देश प्रसारित करती रहती है । प्रसारित निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

Dated the 25th August, 1959.

No. MR/174/F. 1d (3) G.A/B/59:—The position regarding members of the families of officers accompanying them while travelling on tour in Government vehicle has been considered and the Governor has been pleased to order that there is no objection to officers taking members of their families free of charge in Government vehicles when they go out on tour provided the following conditions are observed:—

(1) The family will be taken only if accommodation is available after any other officer and the staff, who have to accompany the officer on tour have been accommodated in the vehicle. The family shall not be taken in the Government vehicle if the Government has to incur any expenditure on the T. A. of any other officer or staff of the touring officer who should have travelled with the officer in the vehicle.

(2) The family travel for the company of the officer on tour and not for any independent private purpose (e. g. pilgrimage to a place at or enroute to the place of halt).

(3) (a) The vehicle shall not be used by the Government officers and their families even on payment for visit to:—

(1) Cinema,

(2) Temples,

(3) Fairs,

(4) Clubs.

(b) In case the Government Officers take the families with them in Government vehicles in contravention of these rulest he full charges (including haltage charges) at the rates prescribed from time to time shall be recoverable from the defaulting officer in respect of the use of the vehicle.

Note:—(1) 'Family' for this purpose means the Officer's lawfully married wife or husband, his or her legitimate children residing with and wholly dependent on him, or her.

(2) The Government Officers shall furnish the following certificates on their travelling allowance bills in cases in which they use Government vehicles & their family members accompany them on tour, before they are countersigned by the Controlling Authority.

CERTIFICATE—

I Certify:—

(i) that only the following members of my family travelled with me in the Government vehicle and that they are covered by the definition contained in Note (i) to G. A. D. Order No. MR/174/F. Id (3)/GA/B/59, dated the 25th August, 1959;

(ii) that the conditions laid down in the said order are fulfilled; and

(iii) that no other officer, or member of staff who normally should have travelled with me in the vehicle was left out.

135

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(General Administration (Gr. III Department)

CIRCULAR

Jaipur, February 22, 1973.

No. F. 12 (10) GA/Gr. III/73:—The Rules regarding the use of the Motor Cars and Jeeps etc. placed at the disposal of the Government Departments/Officers issued vide F. 1d (2) GA/B/59, dated the 22nd June, 1959 require the Government vehicles to be used only for the official purposes. In case any officer wants the vehicle for his private use, he, under the Rules, can obtain it on payment only, provided he does not take the vehicle to the cinema, temple, fair, club. festival etc. The Rules were followed by the Circular No. MR/174 F. 1d (3) GA/B/59, dated 25th. August, 1959 wherein the use of Government vehicles to visit cinema, temple, fair, clubs etc. even on payment was as restricted. However, several complaints regarding use of Government vehicles in violation of the Rules and instructions are received by the Government. The matter was discussed in the 13th Senior Officers' Conference held on 11th to 13th December, 1972 wherein on the grounds of propriety and economy it was enjoined on all Government officers to have strict check over the use of Government vehicles. This decision may be fully complied with and if there are cases of mis-use of vehicles appropriate disciplinary action should be taken against the defaulting Government servants.

This may kindly be acknowledged.

Sd./—

Deputy Secretary to Government

जयपुर जिले की बनेटी ग्राम जलप्रदाय योजना

380. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपुतली) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की बनेटी ग्राम जलप्रदाय योजना पर राज्य सरकार द्वारा कितना खर्चा किया जावेगा तथा यह योजना कब तक पूरी की जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम की योजना में वनेटी ग्राम की आधी से अधिक आबादी को वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना में ग्राम की दोनों हरिजन पिछड़े वर्ग की वस्तियों को शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इनको शामिल करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम वनेटी की जलप्रदाय योजना की अनुमानित लागत रु. 92000/- है। इस योजना का कार्य सितम्बर, 73 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

(2) जी नहीं, यह योजना पम्प एवं टेंक योजना है जिसके अन्तर्गत जल वितरण लाइनों का कोई प्रावधान नहीं है। जल सिर्फ सार्वजनिक नलों द्वारा वितरित किया जावेगा।

(3) यह योजना पम्प एवं टेंक योजना है इसलिये सार्वजनिक नलों का ही प्रावधान रखा गया है और सार्वजनिक नलों द्वारा ही हरिजन एवं पिछड़े वर्ग दोनों वस्तियों को पानी वितरण किया जावेगा।

कोटा जिले में अनुसूचित जाति को आर्थिक स्थिति का सर्वे

381. **श्री जगमोहनसिंह** (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले में अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति का कोई सर्वे विभाग द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट को प्रति सदन की मेज पर रखें। अगर नहीं तो क्या समाज कल्याण विभाग के पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जिससे उनकी आर्थिक दशा का पता चल सके ? अगर हां, तो तो आंकड़ों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। कोटा जिले में अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति का कोई भी सर्वे विभाग द्वारा नहीं कराया गया है। विभाग के पास कोई ऐसे आकड़े नहीं है जिसमें उनकी आर्थिक दशा का पता चल सके।

कृषि विभाग के रिसर्च सेक्शन से सम्बन्धित व्यक्तियों की वरिष्ठता की सूची

382. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिये डी० पी० सी० बनी हुई है ? यदि हां तो क्यों ? डी० पी० सी० की कोई बैठकें हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रिसर्च सेक्शन के कैमिस्ट्री विभाग में पदोन्नति के लिये भी डी० पी० सी० बैठी थी ? यदि हां तो क्या श्री प्रतापनारायण सिंह का मामला डी० पी० सी० में रखा गया था ? यदि नहीं तो श्री प्रतापनारायण सिंह को स्थाई कैसे किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री प्रतापनारायणसिंह से और भी कई सीनियर व्यक्ति इस विभाग में हैं ? यदि हां, तो क्या श्री प्रतापनारायण सिंह के साथ उनका भी केस कन्सीडर किया गया था ?

(4) उक्त रिचर्स सेक्शन के सम्बन्धित व्यक्तियों की सीनियोरिटी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें हुई हैं।

(2) जी हां, श्री प्रतापनारायण सिंह का सहायक कृषि रसायन के पद पर हुई नियुक्ति का प्रकरण सीधी भर्ती का होने के कारण डी० पी० सी० के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। अस्तु, उनका केस डी० पी० सी० के समक्ष नहीं रखा गया। श्री सिंह की सीधी भर्ती का अनुमोदन राजस्थान जन-सेवा आयोग से प्राप्त होने पर ही उनकी नियुक्ति को स्थाई किया गया है।

(3) जी हां, श्री सिंह की सीधी भर्ती द्वारा राज्य सेवा में आने से पहले जो अन्य विभागीय व्यक्ति नीचे के पद (अनुसंधान सहायक) से कृषि रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति किये गये उनका अन्तिम अनुमोदन डी० पी० सी० द्वारा हो चुका है, इसलिये उनकी नियुक्ति स्थाई किये जाने की कार्यवाही अब की जा रही है।

श्री सिंह का केस उक्त व्यक्तियों के साथ डी० पी० सी० की बैठक में कन्सीडर नहीं हुआ, क्योंकि उनका केस सीधी भर्ती का था, और डी० पी० सी० के अधिकार क्षेत्र के बाहर था। उक्त पदोन्नत व्यक्तियों तथा श्री सिंह की पारस्परिक वरिष्ठता का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) रसायन सेक्शन के सम्बन्धित व्यक्तियों (अनुसंधान सहायक, रसायन) की अंतिम वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्यस्तर के पदों (सहायक कृषि रसायनज्ञ) पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की वरिष्ठता डी० पी० सी० से अनुमोदित व्यक्तियों के स्थायीकरण के पश्चात् प्रकाशित की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 167 की सूची)

गांधी-सेवा-सदन, राजसमन्द (राजस्थान)

कार्य समिति :

1.	अध्यक्ष	श्री हीरालाल देवपुरा	केलवाड़ा
2.	कार्यवाहक अध्यक्ष	श्रीं रोशनलाल वड़ोला	राजसमन्द
3.	उपाध्यक्ष	श्री सागरमल कावड़िया	,,
4.	मन्त्री	श्री देवेन्द्रकुमार कर्णावट	,,
5.	संयुक्त मन्त्री	श्री राजेन्द्रकुमार कावड़िया	,,
6.	अर्थ मन्त्री	श्री नारायणलाल शर्मा	कांकरोली
7.	कोषाध्यक्ष	श्री फूलचन्द कोठारी	राजसमन्द
8.	संचालक	श्री मोहनलाल पुरोहित	कांकरोली
9.	सदस्य	डॉ० शम्भूलाल शर्मा	,,
10.	सदस्य	श्री भंवरलाल कर्णावट	राजसमन्द
11.	सदस्य	श्री देवेन्द्रकुमार हिरण	राजसमन्द
12.	सदस्य	सुश्री रसिक प्रिया शर्मा	कांकरोली
13.	सदस्य	श्री गोपाललाल वड़गूर्जर	विद्यालय वरिष्ठ उप-निरीक्षक, राजसमन्द

1–4–57 से राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदानित राशि का ब्योरा

सत्र 1	प्रतिशत 2	स्वीकृत राशि 3
57-58	50 प्रतिशत	3852/—
58-59	50 ,,	2437/—
59-60	50 ,,	3948/—
60-61	65 ,,	7070/—
61-62	65 ,,	7389/—
62-63	65 ,,	7728/—
63-64	70 ,,	7086/—
64-65	70 ,,	9233/—

1	2	3
65-66	70 ,,	9901/—
66-67	70 ,	12586/—
67-68	70 ,,	15323/—
68-69	70 ,,	16219/—
69-70	70 ,,	17230/—
70-71	70 ,,	16229/—
71-72	70 ,,	14483/—

सहायता, अनुदान आदि जो मिला

सत्र 1	राज्य सरकार 2	केन्द्रीय सरकार 3	समाज कल्याण वोर्ड 4
55-56	2500/— (फार कन्सट्रक्शन)	—	—
56-57	2500/— (फार कन्सट्रक्शन)	—	2000/– (केन्द्र से)
57-58	3852/—	—	—
58-59	2437/—	16000/— (फार कन्सट्रक्शन)	4000/— (राजस्थान से)
59-60	12450/— (फार कन्सट्रक्शन)	17000/— (फार कन्सट्रक्शन)	—
60-61	7070/—	4313/— (फार कन्सट्रक्शन)	—
61-62	7389/—	—	4143/— (केन्द्र से) 3429/— (राजस्थान से)
62-63	7728/—	—	5310/— (राजस्थान से)
63-64	7084/—	—	3770/— ,,
64-65	9233/—	—	750/— ,, 673/— ,,

1	2	3		4
65-66	9901/—	—	750/—	राजस्थान से
			1500/—	,,
66-67	12586/—	—	1000/—	,,
67-68	15323/—	—	750/—	,,
68-69	16219/—	—	2900/—	,,
69-70	12230/— 5000/— एडहाक	—	3000/—	,,
70-71	16229/— 3000/—नॉन-रेकरिंग ग्रांट	—	1500/—	,,
71-72	14483/— 5000/—एडहाक	—	1811/—	,,

गोपाललाल शर्मा,
विद्यालय वरिष्ठ उप-निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, राजसमन्द ।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 168 की सूची)

राजस्थान स्थित सहायता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय शिक्षण संस्थाओं की जिलेवार सूची 1972-73

क्रम संख्या	जिले का नाम	शिक्षण संस्था का नाम
1	2	3
1	अजमेर	(1) दयानन्द कॉलेज, अजमेर।
2	,,	(2) सावित्री गर्ल्स कॉलेज, अजमेर।
3	बीकानेर	(1) बी० के० एस० आर० जैन कॉलेज, बीकानेर।
4	,,	(2) श्री जैन (पोस्ट-ग्रेजुएट) कॉलेज, बीकानेर।
5	टोंक	(1) वनस्थली विद्यापीठ, ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, वनस्थली।
6	झुंझुनू	(1) चिड़ावा कॉलेज, चिड़ावा।
7	,,	(2) सेठ मोतीलाल कॉलेज, झुंझुनू।
8	,,	(3) शारदा सदन कॉलेज, मुकन्दगढ़।
9	,,	(4) सेठ जी० बी० पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़।
10	,,	(5) इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन, अरडावता।
11	सीकर	(1) सेठ भगवानदास टोडी कॉलेज, लक्ष्मणगढ़।
12	,,	(2) सेठ जी० आर० चमड़िया कॉलेज, फतेहपुर।
13	पाली	(1) एस० पी० यू० कॉलेज, फालना।
14	उदयपुर	(1) माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी कॉलेज, उदयपुर।
15	,,	(2) उदयपुर स्कूल ऑफ सोशियल वर्क, उदयपुर।
16	,,	(3) विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर।
17	,,	(4) बी० एन० कॉलेज, उदयपुर।
18	जोधपुर	(1) लाच्छू मेमोरियल कॉलेज आफ साइन्स, जोधपुर।

1	2	3
19	श्री गंगानगर	(1) एस० जी० एन० खालसा कॉलेज, श्री गंगानगर।
20	,,	(2) सेठ जी० एल० बिन्नानी एस० डी० कॉलेज, श्री गंगानगर।
21	जयपुर	(1) अग्रवाल कॉलेज, जयपुर।
22	,,	(2) कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर।
23	,,	(3) लालबहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर।
24	,,	(4) एस० एस० जी० पारीक कॉलेज, जयपुर।
25	,,	(5) एस० एस० जैन सुबोध कॉलेज, जयपुर।
26	,,	(6) राजस्थान इन्स्टीट्यूट आफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जयपुर।

के० के० महर्षि
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज— शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

—

राजकीय अनुदान प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों की जिलेवार सूची

जिला : जयपुर

(1) श्री दिगम्बर जैन संस्कृत कॉलेज, जयपुर
(2) श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर
(3) श्री विजयसागर ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत कॉलेज, तलाव गांव
(4) श्री सनातनधर्म संस्कृत महाविद्यालय, लालसोट
(5) श्री गोविन्द संस्कृत विद्यालय, सामोद
(6) श्री खांडल विप्र विद्यालय, जयपुर

जिला : झुंझुनूं

(7) श्री बिरला संस्कृत कॉलेज, पिलानी
(8) श्री एस० पी० रूंगटा संस्कृत महाविद्यालय, बांगड़
(9) श्री वेद-वेदांग संस्कृत महाविद्यालय, चिड़ावा।

जिला : बीकानेर

(10) श्री शार्दूल संस्कृत विद्यापीठ, बीकानेर

जिला : चूरू

(11) श्री हनुमान संस्कृत विद्यालय, सरदारशहर

जिला : डूंगरपुर

(12) श्री गोवर्धन संस्कृत विद्यालय, खड़गदा

जिला : सीकर

(13) श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत कॉलेज, लमक्ष्णगढ़

(14) श्री संस्कृत पाठशाला, नेछवा

(15) श्री जांगीड़ वैदिक विद्यालय, फतेहपुर

(16) श्री जी० ग्रार० चमड़िया संस्कृत महाविद्यालय, फतेहपुर

*(17) श्री बलदेवदास बाजोरिया संस्कृत महाविद्यालय, फतेहपुर

*नोट:—(सहायता प्रवेशिका स्तर को दी जा रही है)

जिला : कोटा

(18) श्री विट्ठलनाथ संस्कृत महाविद्यालय, कोटा

(19) श्री सरस्वती विद्यापीठ, कोटा

(20) सार्वजनिक संस्कृत विद्यालय, बारां

(21) भारतीय विद्यापीठ, सुल्तानपुर

जिला : नागौर

(22) पारीक संस्कृत कालेज, मेड़ता सिटी

(23) श्री सनातनधर्म संस्कृत महाविद्यालय, मारवाड़ मुण्डवा*

*नोट:—(सहायता प्रवेशिका स्तर की दी जा रही है)

जिला : टौंक

(24) श्री सनातनधर्म संस्कृत महाविद्यालय, निवाई

जिला : चित्तौड़गढ़

(25) श्री गुरुकुल चित्तौड़गढ़

जिला : भीलवाड़ा

(26) श्री राजस्थान संस्कृत विद्यापीठ, भीलवाड़ा

जिला : ग्रजमेर

(27) श्री सनातनधर्म प्रकाशक संस्कृत महाविद्यालय, ब्यावर

जिला : उदयपुर

(28) श्री माधव संस्कृत विद्यालय, उदयपुर

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 172 की सूची)

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० को दिये गये ऋण की शर्तें

1. कच्चे माल, स्टॉक इन ट्रेड, अनिर्मित और तैयार माल के अतिरिक्त वनस्पति प्लान्ट की वर्तमान एवं भावी समस्त सम्पत्ति का प्रथम पंजीकृत बन्धक (Registered Mortgage)

2. मार्जिन 40 प्रतिशत ।

३. ऋण की अवधि 10 वर्ष ।

4. प्रबन्धक संचालक, राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत कम्पनी के दो संचालकों द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान की गारन्टी ।

5. प्रचलित बैंक दर से 4% अधिक ब्याज पर ऋण । यदि किस्तों का भुगतान नियमानुसार समय पर होता रहे तो 1/2% प्रति वर्ष की छूट किन्तु रिबेट देने के बाद किसी भी स्थिति में ब्याज की दर 8 1/2% प्रति वर्ष से कम नहीं होगी । यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 5 1/2% प्रति वर्ष की रियायती दर से पुनर्वित उपलब्ध होगा और कम्पनी द्वारा भुगतान समय पर होता रहे तो निगम 8 1/4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल करेगा ।

6. निगम को बन्धक की गई समस्त अचल सम्पत्ति का बीमा ऋण वितरण से पूर्व कराना होगा । 50% बीमा जीवन बीमा निगम से कराया जाना अनिवार्य है ।

7. प्रतिभूति के लिए प्रस्तुत की गई अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन ऋण वितरण से पूर्व निगम के मुल्य निर्धारक (एसेसर्स) के द्वारा किया जाएगा ।

8. ऋण वितरण से पूर्व निगम के विधि परामर्शदाता द्वारा भूमि पर स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच की जाएगी ।

9. जयपुर में कम्पनी की सम्पत्ति को ऋण पत्रधारियों के प्रथम प्रभार से मुक्त कराया जाए और इस सम्बन्ध में निगम के विधि परामर्शदाता के संतोष हेतु कम्पनी द्वारा आवश्यक विधि विषयक औपचारिकताएं सम्पन्न कर दी जाएं ।

145

10. मशीनरी के प्रदायकों और कम्पनी के मध्य होने वाले समझौते की जांच वितरण से पूर्व निगम के विधि परामर्शदाता द्वारा की जाएगी।

11. कम्पनी को आवश्यक मात्रा में विद्युत् प्रदाय करने विषयक राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का एक आश्वासन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अन्य टर्म्स तथा कन्डीशन्स जो कि कम्पनी के प्रतिनिधि और निगम के प्रबन्ध संचालक के मध्य वैयक्तिक वार्त्ता के बाद निर्धारित होंगी।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 179 की सूची)

अल्प आय/मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 में किये गये जिलेवार ऋण आवंटन का मानचित्र

क्रमांक	जिले का नाम	मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत धनराशि जो आवंटित की गई	अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत धनराशि जो आवंटित की गई
1	2	3	4
1.	अजमेर	56,760/-	51,574/-
2.	अलवर	97,000/-	2,35,225/-
3.	बांसवाड़ा	×	1,10,220/-
4.	बाड़मेर	×	23,300/-
5.	भीलवाड़ा	74,450/-	1 77,635/-
6.	बीकानेर	42,000/-	22,700/-
7.	बून्दी	47,000/-	1,32 704/-
8.	चित्तौड़गढ़	×	1,39 076
9.	डूंगरपुर	×	79,520/-
10.	गंगानगर	28,800/-	27,600/-
11.	जयपुर	5,71,900/-	10.51,081/-
12.	झालावाड़	×	24,100/-
13.	झुंझुनूं	×	7,770/-
14.	जोधपुर	2,82,920/-	3,64,755/-
15.	कोटा	61,410/-	1,01,600/-
16.	पाली	×	1,92,000/-
17.	सवाई माधोपुर	12,800/-	75,700/-
18.	सीकर	49,260/-	50,480/-
19.	सिरोही	8,000/-	6,250/-

(147)

1	2	3	4
20.	टोंक	×	75,955/–
21.	उदयपुर	2,01,500/–	4,06,876/–
22.	भरतपुर	75,000/–	35,000/–
23.	चूरू	×	26,000/–
24.	जालोर	×	8,000/–
25.	नागौर	×	18,000/–
26.	जैसलमेर	×	12,470/–
	योग....	16,08,800/–*	34,55,591/–×

× गत वर्ष समर्पित राशि रु० 8,800/– सम्मिलित है।

* गत वर्ष की समर्पित राशि रु० 55,591/– सम्मिलित है।

Page No 148

(148)

(८)

—शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
17	ऊपर से 5	कोताई	कोताही
27	,, 15	कोम्राडीनेट	कोआर्डीनेट
30	,, 2	मिटिंगे	मीटिंगें
	,, 7	भानुकुमार शास्त्री	श्री भानुकुमार शास्त्री
37	,, 14	सर्वे सम्पूर्ण	सर्वे रिपोर्ट सम्पूर्ण
43	,, 1	अध्यक्ष	अध्यक्ष महोदय,
57	,, 5	पुस्तकाज	पुस्तकालय
68	,, 7	श्री चिमनजिह भाटी	श्री चिम्मनसिंह भाटी
81	,, 2	केन्द्रीत	केन्द्रित
88	,, 11	श्री मंहोम्मद गफ्फार	श्री मौहम्मद गफ्फार
89	अन्तिम से 8	त-करा	तजकिरा
91	ऊपर से 12	,,	,,
94	अन्तिम से 16	मुसीवतशुदा	मुसीवतजदा
	,, 2	मलती	मिलती
102	,, –	51-20 मिनट	15-20 मिनिट
108	,, 10 व 11	श्री मानिकचन्द सौगानी	श्री मानक चन्द सोगानी
118	ऊपर से 9 – 10	शिड्यूल कास्ट	शिड्यूल्ड कास्ट्स
	अन्तिम से 5	कावेरी	कावेरी में
122	,, 17	ऊन्होंने	उन्होंने
129	,, 10	राजस्थान के	राजस्थान की
132	,, 6	पहनना	पहनाना
133	,, 20	हटाम्रो की	हटाम्रो के
135	,, 11	उपाध्यक्ष महोदय,	सभापति महोदय,
	,,	हम के लोगों	हम लोगों
140	ऊपर से 2	सुझाव	सुझाव है कि करप्शन केसेज के लिए कोर्ट
142	,, 15	अकाल चे चंगुल	अकाल के चंगुल
146	,, 6	उठाई ग	उठाई गई
147	,, 12	में	में

149

1	2	3	4
147	ऊपर से 12	वीकरए सेक्शन	वीकर सेक्शन
151	अन्तिम से 7	श्री रामनरायए	श्री रामनारायए
161	ऊपर से 16	कारबर	कारगर
161	अन्तिम से 10	रेगिस्थान	रेगिस्तान
162	,, 6	सिपाइयों	सिपाहियों
173	,, 9	1990 में	—
178	,, 2	ओज बलने	आज बोलने
179	,, 9	दीप शंकर	दीपंकर
	,, 4	सशाकीय	शासकीय
180	,, 5	मघ्य निषेघ	मद्य निषेध
183	,, 3	13-2-1793	12-2-1973
184	,, 11	भबिष्य	भविष्य
187	ऊपर से 1	श्री चन्दन मल बैंद	श्री मनोहर कोठारी
191	,, 14	शराव बन्दी को धीरे धीरे समाप्त करने की	शराबबन्दी धीरे धीरे करने की
	अन्तिम से 8	पीला कर	पिला कर
192	,, 11	इससे ईको घाटा	इससे घाटा
194	,, 7,9,14,16 व 23	मध्य निषेघ	मद्य निषेध
195	,, 16	किये जाते	किया जाते
196	ऊपर से 16	नुक्सान	नुकसान
199	अन्तिम से 7	जेबों	जेबों
215	ऊपर से 6	जाये कि	जाये ताकि
216	अन्तिम से 10	कि यदि	यदि
222	ऊपर से 7	खुल्ले	खुले
248	परिशिष्ट 1	जयकिशन तोसावड़ा	श्री जयकिशन तोसावडा
250	,, 1	—	(श्री राम प्रसाद बोहरा)
255	,, 1	—	(श्री सुरेशचन्द्र)
265-266	,,	परिशिष्ट-9 मार्च	परिशिष्ट-8 मार्च